



SUPREME AUDIT INSTITUTION  
OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
का  
स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन  
मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु



छत्तीसगढ़ शासन  
वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या — 1

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
का  
स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन  
मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु





## विषय-सूची

| विवरण                                                                                                          | कड़िका क्रमांक | पृष्ठ संख्या |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| प्रस्तावना                                                                                                     |                | v            |
| विहंगावलोकन                                                                                                    |                | vii          |
| <b>अध्याय I</b>                                                                                                |                |              |
| <b>पंचायती राज संस्थानों की कार्य पद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों का विहंगावलोकन</b> |                |              |
| प्रस्तावना                                                                                                     | 1.1            | 1            |
| पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना                                                                      | 1.2            | 2            |
| पंचायती राज संस्थाओं की कार्यपद्धति                                                                            | 1.3            | 3            |
| पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों का हस्तांतरण                                                                   | 1.4            | 5            |
| पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखों का रखरखाव                                                                    | 1.5            | 5            |
| लेखापरीक्षा व्यवस्था                                                                                           | 1.6            | 7            |
| लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया                                                                           | 1.7            | 9            |
| लोकपाल                                                                                                         | 1.8            | 10           |
| सामाजिक अंकेक्षण                                                                                               | 1.9            | 10           |
| उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण                                                                            | 1.10           | 11           |
| पंचायती राज संस्थाओं का निरीक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली                                                   | 1.11           | 12           |
| वित्तीय प्रतिवेदनों के मुद्दे                                                                                  | 1.12           | 13           |
| <b>अध्याय II</b>                                                                                               |                |              |
| <b>शहरी स्थानीय निकायों की कार्य पद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों का विहंगावलोकन</b>  |                |              |
| प्रस्तावना                                                                                                     | 2.1            | 17           |
| शहरी स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना                                                                      | 2.2            | 18           |
| शहरी स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति                                                                            | 2.3            | 19           |
| जिला योजना समितियां                                                                                            | 2.4            | 21           |
| अन्य समितियों का गठन                                                                                           | 2.5            | 21           |
| शहरी स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण                                                                   | 2.6            | 22           |

|                                                                              |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| शहरी स्थानीय निकायों में लेखों की स्थिति                                     | 2.7  | 22 |
| लेखापरीक्षा व्यवस्था                                                         | 2.8  | 24 |
| लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया                                         | 2.9  | 25 |
| लोकपाल                                                                       | 2.10 | 25 |
| सामाजिक अंकेक्षण                                                             | 2.11 | 26 |
| सेवा स्तर मानक                                                               | 2.12 | 26 |
| उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण                                          | 2.13 | 27 |
| शहरी स्थानीय निकायों का आंतरिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली       | 2.14 | 27 |
| वित्तीय प्रतिवेदनों के मुद्दे                                                | 2.15 | 27 |
| <b>अध्याय III</b>                                                            |      |    |
| <b>निष्पादन लेखापरीक्षा</b>                                                  |      |    |
| शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन                                 | 3.1  | 36 |
| <b>अध्याय IV</b>                                                             |      |    |
| <b>अनुपालन लेखापरीक्षा</b>                                                   |      |    |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को कम मूल्य वाली भूमि का हस्तांतरण     | 4.1  | 91 |
| कॉलोनाइजर्स से शुल्क की कम वसूली                                             | 4.2  | 92 |
| कार्य में उपयोग किये गए पाइप्स के लिए ठेकेदार को उच्च दरों पर अनियमित भुगतान | 4.3  | 94 |

|                 |                                                                            |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>परिशिष्ट</b> |                                                                            |              |
| परिशिष्ट क्र.   | शीर्षक                                                                     | पृष्ठ संख्या |
| 3.1             | आईएसडब्ल्यूएमएफ, नगरपालिक निगम, रायपुर के लिए निधि के स्रोत का विवरण       | 97           |
| 3.2             | एमएसडब्ल्यूएम के लिए लागत वसूली की वर्षवार विवरण                           | 99           |
| 3.3             | एमसीसी के अंतर्गत एसएचजी को मानदेय के भुगतान के लिए निधि के स्रोत का विवरण | 100          |
| 3.4             | उपभोक्ता प्रभार संग्रहण की दक्षता दर्शाने वाला विवरण                       | 101          |

|      |                                                                                                           |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.5  | शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार अपशिष्ट उत्पादन का आंकलन                              | 103 |
| 3.6  | शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्षमता विकास                                          | 105 |
| 3.7  | रेग-पिकर्स की पहचान के लिए सर्वेक्षण दर्शाने वाला विवरण                                                   | 107 |
| 3.8  | कम क्षमता विकास एवं गैर-कार्यात्मक विकसित क्षमता दर्शाने वाला विवरण                                       | 108 |
| 3.9  | चयनित शहरी स्थानीय निकायों में एसएलआरएम केन्द्रों और कम्पोस्ट शेड के परिचालन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण | 109 |
| 3.10 | अपरिचालित एसएलआरएम एवं कम्पोस्ट शेड में हुए व्यय का विवरण                                                 | 111 |
| 3.11 | गैर-मान्यता प्राप्त डंपिंग ग्राउंड के अक्षांश और देशांतर के साथ उपग्रह मानचित्र का विवरण                  | 112 |
| 3.12 | शहरी स्थानीय निकाय-वार आवश्यक क्षमता के साथ विकसित क्षमता का तुलनात्मक विवरण                              | 116 |
| 3.13 | शहरी स्थानीय निकायों में कम्पोस्ट मशीन की स्थिति का विवरण                                                 | 118 |
| 4.1  | पीसीसीपी पाईपों के कारण परिहार्य व्यय का विवरण                                                            | 119 |



## प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के तहत मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य के पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और नगरीय स्थानीय निकायों (यूएलबी) सहित संबंधित विभागों के लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण आपत्तियों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

प्रतिवेदन में वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि का लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए मुद्दों के साथ-साथ वैसे प्रकरण, जो पूर्व वर्षों में प्रकाश में आये, परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके, प्रतिवेदन में आवश्यकतानुसार शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपन्न किया गया है।



## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में चार अध्याय हैं। अध्याय I और II में क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन दिया गया है। अध्याय III में छत्तीसगढ़ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अध्याय IV में शहरी स्थानीय निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा से तीन प्रारूप कंडिकाएं शामिल हैं।

यह लेखापरीक्षा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है। शासन के विचारों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गए हैं एवं अनुशंसाएं की गई हैं। इस विहंगावलोकन में मुख्य लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

### 1. पंचायती राज संस्थाओं की कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन

छत्तीसगढ़ राज्य में निधि, कार्य और पदाधिकारियों का हस्तांतरण होना अभी बाकी है। वर्तमान में, पंचायती राज संस्थाएँ अविभाजित मध्य प्रदेश के समय की गई कार्यकलाप मानचित्रण के आधार पर कार्य कर रही हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में लेखे संधारित नहीं किये गये थे।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने वर्ष 2016–22 की अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थाओं की 251 इकाइयों का लेखापरीक्षण किया। इस अवधि में कुल 2925 कंडिकाएं जारी की गईं, जिनमें से 1039 कंडिकाओं का निराकरण किया गया है। परिणामस्वरूप, मार्च 2022 तक 4301 कंडिकाएं लंबित थीं, जिनमें से 2415 कंडिकाएं वर्ष 2016–17 से पहले के अवधि के थे।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान राज्य शासन ने राज्य वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित निधि के हस्तांतरण के मुकाबले पंचायती राज संस्थाओं को कम बजट आवंटित किया था। इसके अलावा वर्ष 2017–22 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को जारी वास्तविक निधि आवंटित बजट से भी कम थी।

(कंडिका 1.4, 1.5, 1.7 और 1.12.3)

### 2. शहरी स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने 2016–22 की अवधि के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की 137 इकाइयों का लेखापरीक्षण किया। इस अवधि में कुल 1613 कंडिकाएं जारी की गईं, जिनमें से 277 कंडिकाओं का निराकरण किया गया है। परिणामस्वरूप, मार्च 2022 तक 1862 कंडिकाएं लंबित थीं, जिनमें से 526 आपत्तियाँ 2016–17 से पहले के अवधि के थे।

वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के कुल संसाधनों में स्वयं के राजस्व का हिस्सा 16 से 19 प्रतिशत के बीच रहा। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों का स्वयं का राजस्व छह वर्षों की अवधि में स्थिर रहा है।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान, राज्य शासन ने राज्य वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित निधि के हस्तांतरण के मुकाबले शहरी स्थानीय निकायों को कम बजट आवंटित किया था।



वर्ष 2017–22 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को जारी की गयी वास्तविक निधि बजट आवंटन के अनुसार थी, सिवाय 2020–21 के, जिसमें थोड़ी कमी देखी गई।

(कंडिका 2.9, 2.15.1 और 2.15.5)

### 3. निष्पादन लेखापरीक्षा – शहरी स्थानीय निकाय

#### 3.1 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

भारत सरकार ने बढ़ते नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को वैज्ञानिक रीति से प्रबंधित करने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 तैयार किए। एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के अनुसार “ठोस अपशिष्ट” में ठोस या अर्द्ध-ठोस घरेलू अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थागत अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट और अन्य गैर-आवासीय अपशिष्ट, सड़क की सफाई, सतही नालियों से एकत्रित गाद, बागवानी अपशिष्ट, कृषि और डेयरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-कचरा, बैटरी अपशिष्ट और स्थानीय प्राधिकरणों के अंतर्गत क्षेत्र में उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्ट शामिल हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए कुल 169 शहरी स्थानीय निकायों में से 167 स्थानीय निकायों में, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य विशिष्ट मॉडल के रूप में मिशन क्लीन सिटी (एमसीसी) को अपनाया गया है। शेष दो शहरी स्थानीय निकायों में, बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पादन को देखते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा (आईएसडब्ल्यूएमएफ) पद्धति को अपनाया गया है। यह निष्पादन लेखापरीक्षा इस उद्देश्य से की गई जिससे यह आकलन किया जा सके कि शहरी स्थानीय निकाय में अपशिष्ट प्रबंधन की योजना प्रभावी, कुशल और मितव्ययी थी या नहीं; और जागरूकता सृजन की पर्याप्तता, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नागरिक सहभागिता, नागरिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन और आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र के कार्यान्वयन सहित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की निगरानी और मूल्यांकन पर्याप्त और प्रभावी था। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2017–22 की अवधि के लिए नगरीय प्रशासन विकास विभाग, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) और 16 चयनित शहरी स्थानीय निकाय की लेखापरीक्षा शामिल थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकाय के लिए विशिष्ट डीपीआर तैयार नहीं किया गया, इसलिए प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में उत्पन्न अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा पर विचार करते हुए वित्तीय और ढांचागत क्षमता का आकलन नहीं किया गया। मजबूत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा के लिए वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित नहीं किया गया क्योंकि शहरी स्थानीय निकाय में विगत पांच वर्षों के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के परिचालन व्यय की तुलना में परिचालन राजस्व 57 प्रतिशत से कम था। ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन (एसएलआरएम) केंद्रों और कम्पोस्ट शेड जैसी सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा का अनियोजित/अपर्याप्त निर्माण और अतिरिक्त बुनियादी ढांचे/मानवबल के बिना गोधन न्याय योजना (जीएनवाई) के साथ इन सुविधाओं को साझा करने से शहरी स्थानीय निकाय में कचरे के संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप बिना पृथक् किए कचरे को खुले क्षेत्रों में डंप किया गया। लेखापरीक्षा में नौ शहरी स्थानीय निकाय में 12 अनाधिकृत डंपिंग साइट मिलीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि बिना योजना और आवश्यकता के बुनियादी ढांचे/मशीनों/वाहनों के विकास/खरीद के परिणामस्वरूप ये सुविधाएं बेकार हो गईं और

परिणामस्वरूप अनुपयुक्त क्षमता विकास पर ₹ 369.98 लाख का निष्फल व्यय हुआ। राज्य में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां मुख्य रूप से नागरिकों के बीच निरंतर व्यवहार परिवर्तन लाने की जगह स्वच्छता सर्वेक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। यद्यपि, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड (एसएलएबी) का गठन किया गया है, परंतु न तो एसएलएबी द्वारा और न ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) द्वारा समय-समय पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा की गई और इस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी गई सीईसीबी की वार्षिक रिपोर्ट में राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमियों का भी उल्लेख नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.1)

## अच्छी प्रथा

नगर पालिक निगम, अंबिकापुर एकमात्र शहरी स्थानीय निकाय है जो एसएलआरएम केन्द्रों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और एमसीसी में निहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए पूर्ण पृथक्करण कर रहा है।

उक्त मॉडल के अनुसार, एकत्रित ठोस कचरे को आगे संसाधित करके कम्पोस्ट तैयार किया जाता है। अकार्बनिक नरम प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक बैग (सफेद और रंगीन), पैकिंग सामग्री आदि को टुकड़े करके, धोकर और सुखाकर गोलियां बनायी जाती हैं और पुर्नचक्रणकर्ता को बेचा जाता है।

(कंडिका 3.4.2.2 (बी))

## 4. अनुपालन लेखापरीक्षा – शहरी स्थानीय निकाय

इस अध्याय में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित तीन लेखापरीक्षा कंडिकाएं शामिल हैं।

कॉलोनाइजर को ₹ 1.54 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया, क्योंकि वैकल्पिक स्थल पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हस्तांतरित भूमि का मूल्य कम था।

(कंडिका 4.1)

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा भूमि की गलत दर लागू करने के कारण तीन कॉलोनाइजरों से भूमि के एवज में ₹ 75.77 लाख शुल्क की कम वसूली।

(कंडिका 4.2)

नगरपालिक निगम, कोरबा ने ठेकेदार को प्री-कास्ट कंक्रीट पाइप के लिए लागू उच्च दर पर भुगतान किया था, जबकि उसके द्वारा काम में प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप का उपयोग किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.88 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। हालांकि लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित किये जाने पर भुगतान की वसूली कर ली गई, लेकिन उच्च दरों पर भुगतान स्वीकृत करने और भुगतान करने में शामिल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(कंडिका 4.3)

## 5. अनुशंसाएं

- राज्य शासन को स्थानीय निकायों के कार्यात्मक स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए कदम उठाने चाहिए।

(अध्याय-II)

2. राज्य शासन को घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर निकायों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी सुनिश्चित करना चाहिए तथा वित्तीय और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता में अंतर को पूरा करने के लिए समय-समय पर आंकड़ों को अद्यतन करना चाहिए।
3. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राज्य बजट से ₹ 2369.20 लाख की धनराशि को एक अलग खाते में अवरुद्ध रखने की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
4. विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से जुड़ी प्राप्तियों और व्यय का लेखा-जोखा रखने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी करना चाहिए ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। यूजर चार्ज के लिए उचित मांग और जमा पंजी भी रखा जाना चाहिए।
5. अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य खतरों को ध्यान में रखते हुए, शहरी स्थानीय निकायों को स्व-सहायता समूह के सदस्यों की स्वास्थ्य जांच की एक नियमित प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
6. सभी शहरी स्थानीय निकायों को स्व-सहायता समूह के सदस्यों की गतिविधियों की उचित निगरानी के माध्यम से एसएलआरएम केन्द्रों पर द्वितीयक पृथक्करण भी सुनिश्चित करना चाहिए।
7. शासन को राज्य में मौजूदा सभी डंप साइट को चिह्नित कर उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए।
8. राज्य शासन को नालियों की सफाई से निकले निष्क्रिय/अपशिष्ट तथा अधिकतम पृथक्करण एवं प्रसंस्करण से बचे अन्य अपशिष्टों के निपटान के लिए स्थानीय लैंडफिल की स्थापना पर विचार करना चाहिए।
9. राज्य शासन को शहरी स्थानीय निकाय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एसएलआरएम केन्द्रों, कम्पोस्ट शेडों, वाहनों, औजारों, मानव संसाधन आदि जैसे क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहिए।
10. राज्य शासन द्वारा एकत्रित कचरे को मापने के लिए माप-तौल यंत्र की अधिष्ठापन के लिए विभाग को निर्देश जारी करना चाहिए तथा शहरी स्थानीय निकायों में एकत्रित कचरे के आंकड़ों का अभिलेखन सुनिश्चित करना चाहिए।
11. राज्य शासन द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए केंद्रीकृत रणनीतिक योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें सभी हितधारकों के व्यवहार में सतत परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

(अध्याय-III)

## अध्याय I

पंचायती राज संस्थानों की कार्य पद्धति,  
जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों  
का विहंगावलोकन



## अध्याय I

### पंचायती राज संस्थानों की कार्य पद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों का विहंगावलोकन

#### 1.1 प्रस्तावना

सबसे निचले स्तर पर स्वायत्ता को बढ़ावा देने और ग्राम सभा से जुड़े विभिन्न विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं पहचान करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 (जी) के प्रावधानों के अधीन राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हो और ऐसे किसी विधि में पंचायतों को अधिकारों एवं शक्तियों के हस्तांतरण हेतु समुचित प्रावधान विनिर्दिष्ट करेगा।

मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 द्वारा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) हेतु त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गयी थी, जो कि जनवरी 1994 से अस्तित्व में आयी और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात् 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम (सीजीपीआरए), 1993 के रूप में अपनाया गया।

##### 1.1.1 पंचायती राज संस्थाओं का वर्गीकरण

पीआरआई को तीन स्तरों में नामतः जिला स्तर पर जिला पंचायत, खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में वर्गीकृत किया गया है। नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ के गठन के बाद, जिलों की संख्या 2001 में 16 से बढ़कर 2023 में 33<sup>1</sup> हो गई। हालांकि, राज्य में कुल 27 जिला पंचायत कार्यरत हैं।

अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत और जिले के प्रत्येक खण्ड के लिए एक जनपद पंचायत होगा। आगे, अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राज्यपाल द्वारा प्रत्येक विनिर्दिष्ट ग्राम के लिए सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम और ग्रामों के समूह के लिए ग्राम पंचायत को गठित करेगा। वर्तमान में, राज्य में 27 जिला पंचायत, 146 जनपद पंचायत और 11,654 ग्राम पंचायत हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य की मूलभूत जानकारी अग्रलिखित तालिका 1.1 में दी गई है :

<sup>1</sup> सितंबर 2022 में गठित पाँच नए जिले अर्थात् (i) मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (ii) खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (iii) मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (iv) सक्ती (v) सारंगढ़-बिलाईगढ़ भी इस आंकड़े में शामिल हैं।

**तालिका 1.1: राज्य की मूलभूत जानकारी**

| विवरण                                 | इकाई    | राज्य के आंकड़ें |
|---------------------------------------|---------|------------------|
| जनसंख्या                              | करोड़   | 2.55             |
| देश की जनसंख्या में हिस्सा            | प्रतिशत | 2.11             |
| ग्रामीण जनसंख्या                      | करोड़   | 1.96             |
| ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा            | प्रतिशत | 76.86            |
| साक्षरता दर                           | प्रतिशत | 70.3             |
| ग्रामीण साक्षरता दर                   | प्रतिशत | 66               |
| लिंगानुपात (स्त्री प्रति हजार पुरुष)* | अनुपात  | 1015             |
| जिला पंचायत                           | संख्या  | 27               |
| जनपद पंचायत                           | संख्या  | 146              |
| ग्राम पंचायत                          | संख्या  | 11654            |

(स्रोत: जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े और पंचायत संचालनालय, रायपुर द्वारा प्रदान की गई जानकारी, भारत सरकार की वेबसाइट)

\* एन.एफ.एच.एस. सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 2.55 करोड़ थी, जिसमें से 1.96 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे, जो कुल जनसंख्या का 76.86 प्रतिशत है। मार्च 2023 तक जनसंख्यावार ग्राम पंचायतों का वर्गीकरण नीचे तालिका 1.2 में दिया गया है :

**तालिका 1.2: ग्राम पंचायतों की जनसंख्यावार वर्गीकरण (मार्च 2023 की स्थिति में)**

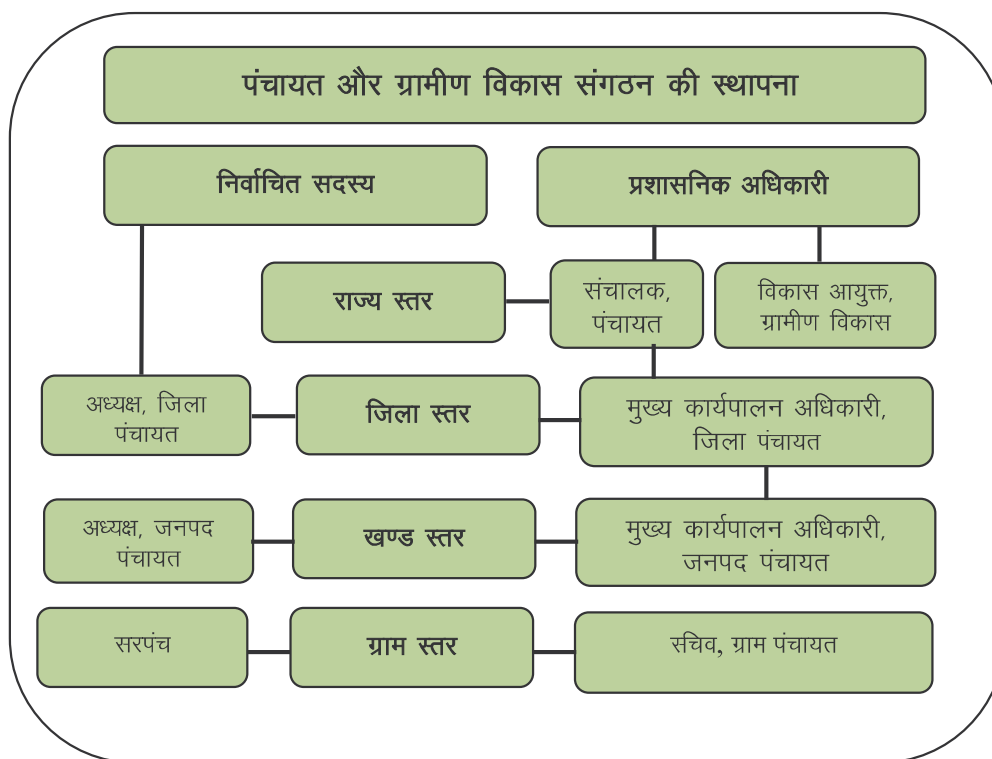
| क्र.सं. | जनसंख्या       | ग्राम पंचायतों की संख्या |
|---------|----------------|--------------------------|
| 1       | 1,000 तक       | 1284                     |
| 2       | 1,001 से 2,000 | 7829                     |
| 3       | 2,001 से 3,000 | 1845                     |
| 4       | 3,001 से 4,000 | 441                      |
| 5       | 4,000 से अधिक  | 255                      |
| योग     |                | 11654                    |

(स्रोत: पंचायत संचालनालय, रायपुर द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

## 1.2 पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के प्रशासनिक नियंत्रण अंतर्गत पीआरआई हैं। अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियम/उपनियम कार्यकारी/प्रशासनिक निकायों के साथ-साथ निर्वाचित निकायों को पीआरआई का प्रशासन चलाने के लिए उनके कर्तव्यों का पालन करने का प्रावधान करते हैं। राज्य, जिला, जनपद और ग्राम स्तर पर प्रशासन के लिए संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है:

### पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना



## 1.3 पंचायती राज संस्थाओं की कार्यपद्धति

### 1.3.1 पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियाँ एवं कार्यपद्धति

राज्य शासन ने सीजीपीआरए, 1993 के तहत जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों के कार्यों को क्रमशः धारा 52, 50 और 49 के तहत परिभाषित किया है। इसके अलावा, पीआरआई की शक्तियों को अधिनियम की धारा 54 से 68 के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित कड़िकाओं में दिया गया है।

**1.3.1.1** जिला पंचायत जिला स्तर पर पंचायत का पहला स्तर है। अधिनियम की धारा 29 के अनुसार, प्रत्येक जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य होंगे, जिन्हें अधिनियम की धारा 32 के तहत एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार दिया गया है। अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत अध्यक्ष, जिला पंचायत के संकल्प के क्रियाकलापों, राज्य शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों एवं जिला पंचायत को सौंपे गए सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, धारा 69 (3) के अनुसार, राज्य शासन प्रत्येक जिला पंचायत के लिए एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति करेगी और उसके अधीन एक या एक से अधिक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकेगी, जो सीईओ द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। सीईओ प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और उन्हें लोक स्वास्थ्य, लोक निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी आदि विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सीईओ, जिला पंचायत के सभी क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, जिला पंचायत के संकल्प के लिए कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होता है। वह वित्तीय नियमों के अनुसार जिला पंचायत निधि से राशि आहरण एवं संवितरण हेतु अधिकृत होता है।

सीईओ, जिला पंचायत, जिला के योजनाबद्ध विकास और संसाधनों के उपयोग के लिए बजट तैयार करने, संसाधनों का उपयोग, जिला के आर्थिक विकास और सामाजिक



न्याय के लिये वार्षिक योजना तैयार करने एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। सीईओ, जिला पंचायत, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों के समन्वय, मूल्यांकन और निगरानी करने, केन्द्र या राज्य शासन द्वारा सौंपी गयी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के लिये केन्द्र या राज्य शासन से प्राप्त निधियों का निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार विनियोजन करने के लिये भी उत्तरदायी होंगे।

**1.3.1.2** जनपद पंचायत खण्ड स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, प्रत्येक जनपद पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य होंगे, जो अधिनियम की धारा 25 के तहत एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अध्यक्ष जनपद पंचायत के प्रस्तावों, राज्य शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों और अधिनियम की धारा 50 के तहत जनपद पंचायत को सौंपे गए सभी कार्यों के अनुसार गतिविधियों को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

इसके अलावा, धारा 69 (2) के अनुसार, राज्य शासन प्रत्येक जनपद पंचायत के लिए के लिए एक सीईओ की नियुक्ति करेगी और उसके अधीन एक या एक से अधिक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकेगी, जो सीईओ द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। सीईओ, जनपद पंचायत को खण्ड विस्तार अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक अभियंता और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकेगी। सीईओ जनपद पंचायत के प्रस्तावों के कार्यान्वयन, सभी गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्हें वित्तीय नियमों के अनुसार जनपद पंचायत कोष से धन निकासी और वितरण करने का अधिकार होता है।

जनपद पंचायतों के पास अपने स्वयं के राजस्व का सबसे कम स्रोत होता है और वे ज्यादातर जिला पंचायतों से प्राप्त खण्ड अनुदान पर निर्भर होते हैं। जनपद पंचायत विकास कार्य करती हैं। जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन एवं मत्स्यपालन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, सहकारी कार्य आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं।

**1.3.1.3** ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर पीआरआई का अंतिम स्तर है। अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत एक सरपंच और निर्वाचित पंच से मिलकर बनेगा। सरपंच का चुनाव अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार होता है। सरपंच ग्राम पंचायत के प्रस्तावों, राज्य शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों और अधिनियम की धारा 49 के तहत ग्राम पंचायत को सौंपे गए सभी कार्यों के आधार पर गतिविधियों को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी होंगे। वह अभिलेखों और पंजियों के रख-रखाव को सुनिश्चित करने, भुगतान को अधिकारिक मंजूरी देने, चेक निर्गत करने तथा प्रतिदाय आदि करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आगे, अधिनियम की धारा 69 में प्रावधान है कि राज्य शासन या विहित प्राधिकारी एक ग्राम पंचायत या दो अथवा अधिक ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक सचिव नियुक्त कर सकता है। ग्राम पंचायत (सचिव का कृत्य एवं शक्तियाँ) नियम 1999 के अनुसार, ग्राम पंचायत की बैठकें और ग्राम सभा आयोजित करना एवं कार्यवाही अभिलेखित करना, ग्राम पंचायत के कार्यपद्धति को विनियमित करना, ग्राम पंचायत के सभी कार्यालयीन अभिलेखों का संधारण करना, ग्राम पंचायत का वार्षिक योजना तैयार करना, आय एवं व्यय का आकलन करना, ग्राम पंचायत के कर, फीस तथा अन्य बकाया वसूल करने का दायित्व ग्राम पंचायत के सचिव का है।

ग्राम पंचायत का सचिव सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखना, जल संसाधनों का अनुरक्षण एवं रखरखाव, बिजली एवं ग्रामीण सड़क सम्पर्क, युवा कल्याण को बढ़ावा देना, परिवार कल्याण एवं खेल गतिविधियाँ, समाज कल्याण के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना एवं

राज्य शासन, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य कोई कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

#### 1.4 पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का हस्तांतरण

तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य पीआरआई को 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के संबंध में कार्य करने और योजनाओं को लागू करने के लिए सक्षम और सशक्त बनाना है, और अधिनियम में प्रत्येक राज्य को अधिकार दिया गया है कि वो इन कार्यों को विधि बनाकर पीआरआई को हस्तांतरित करें। प्रभावी हस्तान्तरण करने हेतु, प्रत्येक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए कार्यों का स्पष्ट विभाजन होगा और पंचायतों के तीनों स्तरों की भूमिका और जिम्मेदारियों का निर्धारण गतिविधि-मानचित्रण के माध्यम से की जाएगी जो पंचायतों के कार्यों का हस्तान्तरण में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत कानूनों के अंगीकरण के आदेश के अनुसार, अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में जो कानून लागू थे, उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अंगीकार किया गया। इस प्रकार, मध्य प्रदेश में लागू पंचायती राज कानूनों को छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया और अब इसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993 कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार है। जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1994 से 1998 की अवधि के दौरान 29 गतिविधियों/कार्यक्रमों में से 27 के हस्तान्तरण के आदेश जारी किए गए थे।

सितम्बर 2018 के तृतीय वित्त आयोग के प्रतिवेदन (अवधि 2017-18 से 2021-22) में उल्लेख किया गया है कि 29 कार्यों में से 27 कार्य पीआरआई को हस्तांतरित कर दिए गए थे, लेकिन संबंधित विभाग से इन कार्यों के लिए फंड, कार्य और कर्मचारियों का हस्तांतरण की कार्रवाई लंबित थी। वर्तमान में, पंचायती राज संस्थाएँ मध्य प्रदेश में लागू हस्तांतरण नीति के आधार पर कार्य कर रही हैं। हालांकि गतिविधि मानचित्रण रूपरेखा तैयार की गई है, लेकिन इसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यकारी आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं और कई मामलों में कर्मचारी इसके बारे में अवगत नहीं हैं।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक फंड, कार्य और कर्मचारियों का वास्तविक हस्तांतरण नहीं हुआ है।

#### 1.5 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखों का रखरखाव

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, उचित नियंत्रण और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा पीआरआई के वित्त पर बजट और खातों की तैयारी और डेटाबेस के लिए प्रारूप (2002) निर्धारित किए गए थे। इन प्रारूपों को जमीनी स्तर पर आसान बनाने के लिए 2007 में और सरल किया गया था, जैसे (i) मासिक/वार्षिक रसीद और भुगतान खातों (ii) संयुक्त विवरण प्रारूप (iii) मासिक संमिलन विवरण प्रारूप (iv) देय और वित्तीय प्रारूप (v) अचल संपत्ति प्रारूप (vi) चल संपत्ति प्रारूप (vii) भंडार पंजी प्रारूप और (viii) मांग, वसूली और शेष प्रारूप। राज्य शासन ने इन प्रारूपों के कार्यान्वयन के लिए राज्य मॉडल लेखा प्रणाली समिति का गठन किया था।

विभाग ने (अप्रैल 2023) में बताया कि 2016-17 से 2018-19 के दौरान, ग्राम पंचायतों ने पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित *प्रियासॉफ्ट* (ऑनलाइन ऑडिट) का उपयोग लेखांकन प्रविष्टियों के लिए किया और 2019-20 से 2021-22 की अवधि

के दौरान, पंद्रहवें वित्त आयोग से संबंधित लेखांकन के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और एकीकृत पीएफएमएस पोर्टल का उपयोग किया गया।

हालांकि, चार<sup>2</sup> जांच किए गए पंचायती राज संस्थानों में यह देखा गया कि खाते उपरोक्त प्रारूपों में नहीं बनाए गए थे।

पीआरआई में उचित लेखा प्रणाली की कमी के कारण, छत्तीसगढ़ राज्य लेखापरीक्षा (सीएसए) ने रोकड बही और अन्य बुनियादी दस्तावेजों को सत्यापित करके प्रमाणीकरण कार्य संचालित किया। सीएसए द्वारा पीआरआई के खातों के प्रमाणीकरण की स्थिति (ऑडिट ऑनलाइन के अलावा) निम्नलिखित **तालिका 1.3** में दी गई है :

**तालिका 1.3: खातों के प्रमाणीकरण की स्थिति (मार्च 2022 की स्थिति में)**

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | विगत वर्ष के अंत में कुल लंबित मामले | वर्ष में प्रमाणीकरण के लिए लंबित खातों की संख्या | वर्ष में प्रमाणित किए गए खाते | वर्ष के अंत में प्रमाणीकरण के लिए कुल लंबित खाते |
|---------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1       | 2017-18      | 112912                               | 11142                                            | 813                           | 123241                                           |
| 2       | 2018-19      | 123241                               | 11145                                            | 1842                          | 132544                                           |
| 3       | 2019-20      | 132544                               | 11145                                            | 457                           | 143232                                           |
| 4       | 2020-21      | 143232                               | 11584                                            | 619                           | 154197                                           |
| 5       | 2021-22      | 154197                               | 11721                                            | 3530                          | 162388                                           |
| योग     |              |                                      |                                                  | <b>7261</b>                   |                                                  |

(स्रोत: संचालक सीएसए, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

संचालक, सीएसए, रायपुर ने सूचित किया (दिसंबर 2023) कि 2017-2022 की अवधि के दौरान, पीआरआई के 7261 खातों को प्रमाणित किया गया, और 1,62,388 खाते अभी भी प्रमाणीकरण के लिए लंबित हैं। हालांकि, संचालक, सीएसए ने खातों के प्रमाणीकरण हेतु इतनी बड़ी संख्या में लंबित मामलों के कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, पीआरआई में लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वचालन को सुविधाजनक बनाने और इस प्रकार राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, पंचायत विभाग मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2020 को ऑडिट ऑनलाइन नामक एक आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ऑडिट ऑनलाइन में जिन पीआरआई की इकाइयों का लेखापरीक्षा किया गया, उनकी संख्या निम्नलिखित **तालिका 1.4** में दी गई है :

**तालिका 1.4: पंचायती राज संस्थाओं की इकाइयों की संख्या जिनका लेखापरीक्षा ऑडिट ऑनलाइन के माध्यम से की गई (जुलाई 2023 की स्थिति में)**

| लेखापरीक्षा का वर्ष | लेखापरीक्षित खातों का वर्ष | लेखापरीक्षित पंचायत राज संस्थाओं की इकाइयों की संख्या |                   |             |      |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------|
|                     |                            | ग्राम पंचायत                                          | जनपद पंचायत       | जिला पंचायत | योग  |
| 2020-21             | 2019-20                    | 13                                                    | 0                 | 0           | 13   |
| 2021-22             | 2020-21                    | 2908<br>(2019-20)                                     | 3783<br>(2020-21) | 56          | 10   |
| 2022-23             | 2020-21                    | 7510                                                  | 90                | 17          | 7617 |

(स्रोत: संचालक, सीएसए, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

<sup>2</sup> जनपद पंचायत धमधा, जनपद पंचायत लखनपुर, जनपद पंचायत बैकुंठपुर, ग्राम पंचायत अमरपुर

## 1.6 लेखापरीक्षा व्यवस्था

### 1.6.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (अधिनियम) को राज्य में स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन या नियंत्रण के तहत स्थानीय निधियों के लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान करने और उसे विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। राज्य शासन ने फरवरी 2004 में सीएसए को पंचायतों के खातों की लेखापरीक्षा के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षक के रूप में नामित किया, जो सीएजी के तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन (टीजीएस) के तहत कार्य करेगा। सीएसए वित्त विभाग के तहत एक संचालनालय है जिसे पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, कृषि बाजार समितियों और अन्य सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएसए छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन या नियंत्रण के तहत स्थानीय निधियों की लेखापरीक्षा को विनियमित करता है।

सीएसए प्रमुख वित्तीय अनियमितताओं, गबन और धन के दुरुपयोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित जानकारी का संकलन और प्रसंस्करण करता है। सीएसए ऑनलाइन और पारंपरिक दोनों तरीका में लेखापरीक्षा और प्रमाणीकरण कार्य करता है। केंद्रीय वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त धन की लेखापरीक्षा केवल ऑनलाइन तरीका में किया जाता है और शेष की लेखापरीक्षा परंपरागत मोड में किया जाता है। संचालक, सीएसए अपने द्वारा किये गए लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाले सभी स्थानीय निकायों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन वित्त विभाग को (अधिनियम की धारा 8ए (1) के अनुसार) प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद वित्त विभाग इस वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है (अधिनियम की धारा 8ए (2) के अनुसार)।

सीएसए द्वारा लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं की कुल संख्या निम्नलिखित तालिका 1.5 में दी गई है :

**तालिका 1.5: छत्तीसगढ़ राज्य लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं की संख्या**

| क्र. सं. | वर्ष    | वर्ष के दौरान इकाइयों की संख्या |              | लंबित लेखापरीक्षा | राज्य में कुल जिला पंचायतों की संख्या | लेखापरीक्षित जिला पंचायतों की संख्या | राज्य में कुल जनपद पंचायतों की संख्या | लेखापरीक्षित जनपद पंचायतों की संख्या | राज्य में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या | लेखापरीक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या |
|----------|---------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|          |         | कुल                             | लेखापरीक्षित |                   |                                       |                                      |                                       |                                      |                                        |                                       |
| 1.       | 2016-17 | 11142                           | 262          | 10880             | 25                                    | 7                                    | 146                                   | 39                                   | 10971                                  | 216                                   |
| 2.       | 2017-18 | 11142                           | 270          | 10872             | 25                                    | 5                                    | 146                                   | 48                                   | 10971                                  | 217                                   |
| 3.       | 2018-19 | 11145                           | 497          | 10648             | 27                                    | 2                                    | 146                                   | 50                                   | 10972                                  | 445                                   |
| 4.       | 2019-20 | 11145                           | 175          | 10970             | 27                                    | 2                                    | 146                                   | 31                                   | 10972                                  | 142                                   |
| 5.       | 2020-21 | 11357                           | 52           | 11305             | 27                                    | 1                                    | 146                                   | 13                                   | 11184                                  | 38                                    |
| 6.       | 2021-22 | 11494                           | 30           | 11464             | 27                                    | 4                                    | 146                                   | 22                                   | 11321                                  | 4                                     |

(स्रोत: संचालक, सीएसए, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

मार्च 2022 तक, सीएसए की कुल लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या 2.79 लाख थी। सीएसए के निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल पंचायती राज संस्थाओं की लंबित आपत्तियों का विवरण निम्नलिखित तालिका 1.6 में दिया गया है :

**तालिका 1.6: छत्तीसगढ़ राज्य लेखापरीक्षा की लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों**

| क्र.सं.    | वित्तीय वर्ष | लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या | लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की कुल संख्या | वर्ष के दौरान ली गई आपत्तियों | निराकृत आपत्तियों की संख्या | लंबित आपत्तियों की संख्या |
|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1          | 2016-17      | 262                             | 173255                                    | 20845                         | 8631                        | 185469                    |
| 2          | 2017-18      | 270                             | 185469                                    | 19472                         | 14627                       | 190314                    |
| 3          | 2018-19      | 497                             | 190314                                    | 38717                         | 1864                        | 227167                    |
| 4          | 2019-20      | 175                             | 227167                                    | 15223                         | 798                         | 241592                    |
| 5          | 2020-21      | 52                              | 241592                                    | 2323                          | 769                         | 243146                    |
| 6          | 2021-22      | 30                              | 243146                                    | 57071                         | 21420                       | 278797                    |
| <b>योग</b> |              | <b>1286</b>                     |                                           | <b>153651</b>                 | <b>48109</b>                |                           |

(स्रोत: संचालक, सीएसए, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिकाओं से यह स्पष्ट है कि 2016-17 से 2021-22 के दौरान जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा में लंबित मामले और लंबित आपत्तियों के निराकरण में वृद्धि हुई है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सीएसए के लिए कुल 425 स्वीकृत पदों में से मात्र 246 (58 प्रतिशत) पद भरे गए थे। जून 2024 तक, वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/सहायक लेखापरीक्षकों के 257 पदों में से मात्र 159 (62 प्रतिशत) पद भरे गए थे और 38 प्रतिशत पद खाली थे। इस प्रकार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक/सहायक लेखापरीक्षक की 62 प्रतिशत उपलब्ध अमले के पास राज्य में 27 जिला पंचायत, 146 जनपद पंचायत और 11,321 ग्राम पंचायतों के अलावा 169 शहरी स्थानीय निकायों (मार्च 2022 तक) के लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी है, जो लगातार लेखापरीक्षा की लंबित स्थिति को बढ़ा रही है।

सीएसए की लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों के बारे में पूछे जाने पर, संचालक, सीएसए ने स्थानीय निकायों द्वारा लंबित आपत्तियों के निपटान में सुस्ती और लेखापरीक्षित इकाइयों में अमले की कमी को बढ़ी संख्या में लंबित आपत्तियों के प्रमुख कारणों के रूप में बताया (जुलाई 2023)।

### 1.6.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

ग्यारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि सीएजी को पंचायतों के सभी स्तरों के खातों के सही रखरखाव और लेखापरीक्षा पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। पंचायतों और नगरपालिकाओं के खातों की लेखापरीक्षा से संबंधित सीएजी की प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल की एक समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए, जो लोक लेखा समिति के समान गठित हो। तेरहवें वित्त आयोग ने भी सिफारिश की थी कि सीएजी को सभी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए और उनकी वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ-साथ निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (डीएलएफए) की वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए। चौदहवें वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि पिछले वित्त आयोगों द्वारा स्थानीय निकायों के खातों के रखरखाव और उनकी लेखापरीक्षा और सीएजी द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था में सुधार के संबंध में की गई पहलों को जारी रखा जाना चाहिए।

सीएजी को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अक्टूबर 2011 में सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20 की उप-धारा (1) के तहत स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 की धारा 152 के साथ पढ़ी जाने वाली सौंपने की प्रक्रिया, स्थानीय निकायों के

प्राथमिक लेखा परीक्षक, अर्थात् डीएलएफए, को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन और जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से उपयुक्त तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था करती है।

डीएलएफए को एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करना, विधियों के अनुसार लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रिया का पालन करना, निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित करना तथा लेखापरीक्षा और खातों के विनियम, 2007 के विनियम 152 में निर्दिष्ट अन्य शर्तों का पालन करना चाहिए।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा योजना की तैयारी और लेखापरीक्षा पद्धति के संचालन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता की प्रभावशीलता पर डीएलएफए के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गये थे। वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय के साथ एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था जिसमें 31 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया था। वर्ष 2022-23 में महालेखाकार कार्यालय में पांच प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए जिनमें महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा 183 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, अगस्त 2015 से अप्रैल 2023 के दौरान डीएलएफए और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के बीच तकनीकी मार्गदर्शन सहायता के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए नौ संयुक्त बैठकें आयोजित की गईं।

### 1.7 लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया

वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा 28 जिला पंचायतों में से दो और 146 जनपद पंचायतों में से 27 का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया।

वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए महालेखाकार की निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित आपत्तियों की संख्या मार्च 2022 तक 4301 थी। महालेखाकार की निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण नीचे दी गई तालिका 1.7 में दिखाया गया है :

तालिका 1.7: महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियां

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | वर्ष के दौरान कुल लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या | आपत्तियों की प्रारंभिक संख्या | वर्ष के दौरान ली गयी आपत्तियाँ | आपत्तियों की कुल संख्या | निराकृत आपत्तियों की कुल संख्या | लंबित आपत्तियों की संख्या |
|---------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1       | 2016-17      | 68                                               | 2415                          | 821                            | 3236                    | 743                             | 2493                      |
| 2       | 2017-18      | 49                                               | 2493                          | 594                            | 3087                    | 201                             | 2886                      |
| 3       | 2018-19      | 17                                               | 2886                          | 242                            | 3128                    | 36                              | 3092                      |
| 4       | 2019-20      | 40                                               | 3092                          | 517                            | 3609                    | 39                              | 3570                      |
| 5       | 2020-21      | 48                                               | 3570                          | 458                            | 4028                    | 0                               | 4028                      |
| 6       | 2021-22      | 29                                               | 4028                          | 293                            | 4321                    | 20                              | 4301                      |
| योग     |              | 251                                              |                               | 2925                           |                         | 1039                            |                           |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान मात्र 1039 लेखापरीक्षा आपत्तियों का निराकरण किया गया। इसके परिणामस्वरूप 2021-22 तक कुल 4301 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ लंबित थी, जिसमें से 2,415 कंडिकाये वर्ष



2016-17 से पहले की अवधि के थे।

## जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामले

### जवाबदेही क्रियाविधि

#### 1.8 लोकपाल

तेरहवें वित्त आयोग की प्रतिवेदन की कण्डिका 10.66 में संबंधित राज्य पंचायत और नगरपालिका अधिनियमों में संशोधन करके स्थानीय निकायों के लिए एक अलग लोकपाल गठित करने का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 में मंत्रियों, संसदीय सचिवों, लोक सेवकों आदि के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति और कार्यों के प्रावधान किए गए हैं और इस संबंध में अन्य मामलों के लिए भी प्रावधान किया गया है। इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना नवंबर 2002 में प्रकाशित की गई थी।

छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 2.2(vii)(ए) और धारा 2(ई) के अनुसार स्थानीय निकायों को भी 'लोक आयोग' के दायरे में लाया गया है।

#### 1.9 सामाजिक अंकेक्षण

'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी' योजना लेखापरीक्षा नियम, 2011 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सामाजिक लेखापरीक्षा (एसए) प्रक्रिया को मजबूती प्रदान किये जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (सीएसएयू) का गठन (सितंबर 2013) एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में किया गया था।

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू) ग्राम सभाओं के दौरान जिला और ग्राम स्तर पर राज्य एसएयू द्वारा चिन्हांकित व्यक्तियों (ग्राम सभा के सदस्य/लाभार्थियों) की मदद और समर्थन से सामाजिक लेखापरीक्षा करती है। चिन्हांकित व्यक्ति प्राथमिक हितधारकों के साथ मिलकर भुगतान, सामग्री की खरीद और अन्य वित्तीय लेनदेन से संबंधित अभिलेखों को सत्यापित करते हैं, कार्य स्थलों का दौरा करते हैं, मजदूरी चाहने वालों से संपर्क करते हैं, अभिलेख एकत्र करते हैं और सत्यापन अभ्यास के निष्कर्षों पर चर्चा करने और पारदर्शिता और जवाबदेही, मजदूरों के अधिकारों और हकों की पूर्ति और धन के उचित उपयोग पर अनुपालन की समीक्षा करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन करते हैं। सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई सभी निष्कर्षों को समेकित करती है और एक सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करती है। अंतिम दिन विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाती है, जहाँ सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को पढ़ा जाता है और ग्राम सभा द्वारा आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश की जाती है।

सीएसएयू की स्वीकृत पद संख्या 520 थी, जिसमें सात राज्य रिसोर्स पर्सन, 88 जिला रिसोर्स पर्सन और 425 खंड रिसोर्स पर्सन शामिल हैं। स्वीकृत पद संख्या के मुकाबले 02 राज्य रिसोर्स पर्सन, 20 जिला रिसोर्स पर्सन और 287 खंड रिसोर्स पर्सन थे। इस प्रकार 40 प्रतिशत पद रिक्त थे। सीएसएयू ने 3000 ग्राम रिसोर्स पर्सन को भी नियुक्त किया है और उन्हें सामाजिक लेखापरीक्षा कार्य के संचालन के लिए प्रशिक्षित किया।

'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी' योजना लेखापरीक्षा नियम, 2011 की धारा 3(1) के अनुसार राज्य शासन को नियमों के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिनियम के तहत किए गए कार्यों की छह महीने में कम से कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा का विवरण निम्नलिखित **तालिका 1.8** में

दिखाया गया है :

**तालिका 1.8: सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा की गई मनरेगा की सामाजिक लेखापरीक्षा**

| वित्तीय वर्ष | राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या | सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए योजना की गई ग्राम पंचायतें | ग्राम पंचायत जिसमें सामाजिक लेखापरीक्षा की गई (प्रतिशत) |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2016-17      | 10978                              | 10667                                                 | 5846 (55)                                               |
| 2017-18      | 10978                              | 10677                                                 | 7621 (71)                                               |
| 2018-19      | 10978                              | 6561                                                  | 6490 (99)                                               |
| 2019-20      | 11664                              | 6951                                                  | 6635 (95)                                               |
| 2020-21      | 11664                              | 0                                                     | 0                                                       |
| 2021-22      | 11664                              | 11494                                                 | 7996 (70)                                               |
| <b>योग</b>   |                                    | <b>46350</b>                                          | <b>34588 (75)</b>                                       |

(स्रोत: संचालक, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

इस प्रकार वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा का कवरेज 55 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक था। हालांकि, वर्ष 2020-21 में कोई सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, जिसके लिए सीएसएयू के अतिरिक्त संचालक ने बताया कि वर्ष 2020-21 के कोविड महामारी के कारण 11,295 ग्राम पंचायतों की समवर्ती लेखापरीक्षा किया गया था, लेकिन सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया जा सका।

सीएसएयू ने बताया (मार्च 2024) कि मनरेगा की सामाजिक लेखापरीक्षा के अलावा, सीएसएयू ने वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 78 ग्राम पंचायतों और राष्ट्रीय रूअर्बन मिशन के अंतर्गत 14 ग्राम पंचायतों की भी सामाजिक लेखापरीक्षा की गई।

### 1.10 उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग I के नियम 182 के अनुसार वार्षिक या एक अनावर्ती सशर्त अनुदान के मामलों में, जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायता अनुदान आहरित किया जाता है, वह अधिकारी जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके आगामी वर्ष की 30 सितम्बर या उससे पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करेंगे।

आगे, यह उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ कार्यालय ने आपसी सहमति से निर्णय लिया (अगस्त 2014) कि अनुदान सहायता प्रमाणक जिनमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था कि उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार को भेजा जाएगा, वे उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित नहीं दिखाए जाएंगे। इसलिए, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा केवल उन सहायता अनुदान प्रमाणकों के उपयोगिता प्रमाणपत्र संकलित किए जा रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार को भेजे जाने चाहिए।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी (फरवरी 2023) में यह विदित हुआ कि 2021-22 के दौरान प्रमुख शीर्ष 2515 (अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम) के तहत भुगतान की गई अनुदान राशि ₹ 436.12 लाख के तीन उपयोगिता प्रमाणपत्र अक्टूबर 2022 से लंबित थे। इन तीन उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से राशि ₹ 120.84 लाख का एक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में फरवरी 2023 तक अप्राप्त था।



### 1.11 पंचायती राज संस्थाओं का निरीक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

अधिनियम की धारा 95 के साथ पठित धारा 84 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ पंचायत (कार्यवाहियों का निरीक्षण) नियम, 1995 को पंचायतों के कार्यों के निरीक्षण के लिए बनाया। उक्त नियम की धारा 3 में परिकल्पित है कि अधिनियम की धारा 84 के खंड (1) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिकृत अधिकारियों द्वारा कार्यों और पंचायतों के कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के संबंध में आयुक्त/संचालक (पंचायत) या कलेक्टर और जिला पंचायत के संबंध में आयुक्त/संचालक (पंचायत) को प्रबंधन की देखरेख के लिए निरीक्षण अधिकारी के रूप में अधिकृत किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ पंचायत संपरीक्षा नियम, 1997 की धारा 13 के अनुसार, सरपंच, अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताओं का पता लगाया जायेगा और प्रतिवेदन को तथ्यों के साथ मिलाकर सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष चर्चा के लिए रखा जायेगा। पंचायत द्वारा प्रतिवेदन पर चर्चा के बाद, सरपंच/अध्यक्ष/ सीईओ जनपद पंचायत द्वारा प्रतिवेदन में उल्लिखित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर लेखापरीक्षा प्राधिकारी को एक विस्तृत अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जायेगा।

इस संदर्भ में संचालनालय, पंचायत ने सूचित किया (अप्रैल 2023) कि छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 (धारा 129) के अनुसार, शासन के नियंत्रण में एक पृथक और स्वतंत्र लेखापरीक्षा का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा, शासन के आदेशानुसार संचालनालय, पंचायत के उप संचालक, सहायक संचालक, जिला लेखापरीक्षक और अन्य अधिकारियों द्वारा समय-समय पर लेखापरीक्षा किया गया।

संचालनालय, पंचायत ने सूचित किया (अप्रैल 2023) कि पंचायतों के निरीक्षण से संबंधित आंकड़े संचालनालय स्तर पर संधारित नहीं किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, संचालनालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में 100 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रावधान है। आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण निम्नलिखित तालिका 1.9 में दिखाया गया है :

**तालिका 1.9: ग्राम पंचायतों की आंतरिक लेखापरीक्षा के वर्षवार आंकड़े**

| क्र.सं. | वर्ष    | लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान की गई ग्राम पंचायतों की संख्या | लेखापरीक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या | लेखापरीक्षित ग्राम पंचायतों का प्रतिशत |
|---------|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1       | 2016-17 | 10971                                                      | 10704                                 | 97.57                                  |
| 2       | 2017-18 | 10971                                                      | 10570                                 | 96.34                                  |
| 3       | 2018-19 | 10978                                                      | 9549                                  | 86.98                                  |
| 4       | 2019-20 | 10978                                                      | 8628                                  | 78.59                                  |
| 5       | 2020-21 | 10960                                                      | 9567                                  | 87.29                                  |
| 6       | 2021-22 | 11664                                                      | 10994                                 | 94.26                                  |
| योग     |         | 66522                                                      | 60012                                 | 90.21                                  |

(स्रोत: पंचायत संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़)

## 1.12 वित्तीय प्रतिवेदनों के मुद्दे

### 1.12.1 राजस्व के स्रोत

पीआरआई के लिए मुख्य रूप से दो आय के स्रोत हैं, मुख्यतः शासकीय अनुदान और स्वयं का राजस्व। शासकीय अनुदान राज्य वित्त आयोग/केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य शासन और भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। जिसमें विभिन्न केंद्र प्रवर्तित/केंद्रीय और राज्य क्षेत्रीय योजनाओं के लिए केंद्रांश और राज्यांश द्वारा स्थानांतरित राशि भी शामिल होती है। पीआरआई के स्वयं के राजस्व स्रोतों में उनके द्वारा प्राप्त कर और गैर-कर राजस्व शामिल होते हैं।

### ग्राम पंचायतों का राजस्व

सीजीपीआरए ग्राम पंचायतों को सौंपे गए करों/शुल्कों में छः<sup>3</sup> मदों को अनिवार्य करों के रूप में वर्गीकृत करता है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों द्वारा कुछ वैकल्पिक कर/शुल्क भी लगाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत अनिवार्य कर और शुल्क (शर्तें और अपवाद) नियम 1996 के नियम 3 के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत को कर या शुल्क लगाने से पहले उस दर के संबंध में एक प्रस्ताव पारित करेगा जिस दर पर कर या शुल्क लगाया जाना है। आगे नियम विहित करता है कि भूमि और भवनों पर संपत्ति कर, किसी भी व्यापार या व्यवसाय करने वाले व्यक्ति पर कर, बाजार शुल्क और किसी भी बाजार में बेचे जाने वाले पशुओं के पंजीकरण पर शुल्क के लिए एक न्यूनतम दर के अलावा अधिकतम दर का भी प्रावधान करेगा।

### 1.12.2 बजटीय आवंटन और व्यय

राज्य शासन द्वारा बजट के माध्यम से पीआरआई को आवंटित की गई निधि (राज्य के कर राजस्व का हिस्सा, योजनाएँ और अनुदान इत्यादि) जिसमें केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित योजनाओं और अनुदानों का भारत सरकार का हिस्सा भी शामिल है, को तालिका 1.10 में दिखाया गया है :

तालिका 1.10: निधियों के आवंटन और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | वर्ष    | बजटीय आवंटन |           |          | व्यय    |           |          | बचत (प्रतिशत) |
|----------|---------|-------------|-----------|----------|---------|-----------|----------|---------------|
|          |         | योजना       | गैर-योजना | योग      | योजना   | गैर-योजना | योग      |               |
| 1        | 2016-17 | 789.41      | 1559.75   | 2349.16  | 300.87  | 1508.31   | 1809.18  | 22.99         |
| 2        | 2017-18 | 1011.20     | 1305.17   | 2316.37  | 986.92  | 1088.44   | 2075.36  | 10.40         |
| 3        | 2018-19 | 961.10      | 1601.14   | 2562.24  | 862.23  | 871.03    | 1733.26  | 32.35         |
| 4        | 2019-20 | 815.18      | 2555.77   | 3370.96  | 783.20  | 2171.99   | 2955.19  | 12.33         |
| 5        | 2020-21 | 939.26      | 1983.11   | 2922.37  | 629.66  | 1693.82   | 2323.48  | 20.49         |
| 6        | 2021-22 | 916.42      | 1357.90   | 2274.32  | 685.05  | 1321.07   | 2006.12  | 11.79         |
| योग      |         | 5432.57     | 10362.84  | 15795.42 | 4247.93 | 8654.66   | 12902.59 |               |

(स्रोत: संचालनालय पंचायत, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान कुल आवंटन ₹ 15,795.42 करोड़ के विरुद्ध पीआरआई का व्यय ₹ 12,902.59 करोड़ था।

<sup>3</sup> संपत्ति कर, निजी शौचालय की सफाई पर कर, प्रकाश कर, व्यवसाय/व्यापार करने वाले व्यक्तियों पर कर, बाजार शुल्क और बाजार में बेचे गए जानवरों के पंजीकरण पर शुल्क

वर्ष 2016–17 और 2018–19 के दौरान अधिकतम बचत क्रमशः 23 प्रतिशत और 32 प्रतिशत हुई। विभाग द्वारा बचत के कारण सूचित नहीं किए गए।

### 1.12.3 राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की अनुशंसायें

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) और 243 (वाई) के अनुसार राज्य वित्त आयोग को प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि राज्य शासन से स्थानीय निकायों को निधि के वितरण की अनुशंसा की जा सके।

छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के वर्ष 2000 में गठन के बाद से अब तक चार राज्य वित्त आयोग गठित किए हैं। राज्य वित्त आयोगों का विवरण निम्नलिखित तालिका 1.11 में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 1.11: राज्य वित्त आयोग का गठन

| क्र.सं. | राज्य वित्त आयोग | गठन की तिथि | अनुशंसा प्रस्तुति की तिथि | शासन द्वारा स्वीकृति | शामिल अवधि |
|---------|------------------|-------------|---------------------------|----------------------|------------|
| 1       | प्रथम            | 22.08.2003  | 30.05.2007                | जुलाई 2009           | 2007–12    |
| 2       | द्वितीय          | 23.07.2011  | 31.03.2013                | जुलाई 2013           | 2012–20    |
| 3       | तृतीय            | 20.01.2016  | 30.09.2018                | अक्टूबर 2019         | 2020–25    |
| 4       | चतुर्थ           | 29.07.2021  | —                         | —                    | 2025–30    |

(स्रोत: छत्तीसगढ़ का तृतीय राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन)

राज्य वित्त आयोगों द्वारा की गई अनुशंसा और राज्य शासन द्वारा स्वीकृत संशोधनों के अनुसार राज्य के स्वयं कर राजस्व (एसओटीआर) का पंचायती राज संस्थाओं को वितरण निम्नलिखित तालिका 1.12 में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 1.12: राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसा अनुसार राज्य शासन द्वारा स्वीकृत राज्य के स्वयं कर राजस्व का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण

(प्रतिशत में)

| क्र.सं. | राज्य वित्त आयोग | अवार्ड अवधि | राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित हस्तांतरण | राज्य शासन द्वारा स्वीकृत हस्तांतरण |
|---------|------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1       | प्रथम            | 2007–12     | 6.62                                       | 4.79                                |
| 2       | द्वितीय          | 2012–20     | 6.15                                       | 6.15                                |
| 3       | तृतीय            | 2020–25     | 6.91                                       | 6.91                                |
| 4       | चतुर्थ           | 2025–30     | —                                          | —                                   |

(स्रोत: छत्तीसगढ़ का तृतीय राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन)

प्रथम राज्य वित्त आयोग ने अवार्ड अवधि 2007–12 के दौरान राज्य के स्वयं कर राजस्व का 6.62 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की थी। हालांकि, राज्य शासन द्वारा मात्र 4.79 प्रतिशत पीआरआई को हस्तांतरित किये जाने पर सहमति प्रदान की गई। द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने अवार्ड अवधि 2012–17 के दौरान राज्य के स्वयं कर राजस्व का 6.15 प्रतिशत पीआरआई को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की थी, जिसे राज्य शासन द्वारा 2012–20 की अवधि के लिए स्वीकार किया गया। तृतीय राज्य वित्त आयोग ने अवार्ड अवधि 2017–22 के दौरान राज्य के शुद्ध स्वयं कर राजस्व का 6.91 प्रतिशत पीआरआई को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की थी, जिसे राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020–25 की अवधि के लिए स्वीकार किया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा, स्वीकृत हस्तांतरण और राज्य शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित और जारी किये गये वास्तविक बजट का विवरण निम्नलिखित तालिका 1.13 में प्रस्तुत किया गया है :

**तालिका 1.13: वर्ष 2017–22 के दौरान राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग अनुमानों के विरुद्ध पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्वीकृत हस्तांतरण और वास्तविक बजट/व्यय**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | वर्ष    | राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रतिशत | राज्य शासन द्वारा स्वीकृत हस्तांतरण | राज्य के शुद्ध स्वयं कर राजस्व की आय | राज्य शासन द्वारा आवंटित की जाने वाली बजट | राज्य शासन द्वारा वास्तविक रूप से आवंटित बजट | राज्य शासन द्वारा वास्तविक रूप से जारी |
|----------|---------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1        | 2017–18 | (6.15)                                   | (6.15)                              | 18,577.89                            | 1142.54                                   | 952.00                                       | 946.79                                 |
| 2        | 2018–19 | (6.15)                                   | (6.15)                              | 21,120.80                            | 1298.93                                   | 899.89                                       | 859.49                                 |
| 3        | 2019–20 | (6.15)                                   | (6.15)                              | 21,630.73                            | 1330.29                                   | 755.89                                       | 751.46                                 |
| 4        | 2020–21 | (6.91)                                   | (6.91)                              | 21,580.13                            | 1491.19                                   | 865.09                                       | 616.30                                 |
| 5        | 2021–22 | (6.91)                                   | (6.91)                              | 25,743.56                            | 1778.88                                   | 858.09                                       | 729.45                                 |

(स्रोत: पंचायत संचालनालय, रायपुर और छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त लेखे)

द्वितीय राज्य वित्त आयोग और तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि केवल राज्य का शुद्ध कर राजस्व पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के साथ साझा किया जाना चाहिए। राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन में उल्लिखित विधि के अनुसार राज्य के शुद्ध कर राजस्व की गणना राज्य के स्वयं कर राजस्व (एसओटीआर) में से तीन<sup>4</sup> करों के राजस्व, जो पूरी तरह से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाते हैं, और शेष करों<sup>5</sup> के संग्रहण में हुए व्यय को घटाकर की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य के शुद्ध स्वयं कर राजस्व की गणना के लिए पंचायत संचालनालय, रायपुर द्वारा प्रदाय राज्य के स्वयं कर राजस्व के आकड़ें और छत्तीसगढ़ राज्य के वित्तीय लेखों में उपलब्ध करो की वसूली लागत और स्थानीय निकायों को पूरी तरह स्थानांतरित करों के आकड़े को ध्यान में रखा जाता है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान स्वीकृत हस्तांतरण के अनुसार पीआरआई को कम बजट आवंटित किया गया है। साथ ही वर्ष 2017–22 के दौरान पीआरआई को जारी की गई वास्तविक निधि आवंटित बजट से भी कम थी।

#### 1.12.4 केंद्र वित्त आयोग की अनुशंसायें

##### चौदहवां वित्त आयोग अनुदान

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए दो प्रकार के अनुदान यथा मूलभूत अनुदान और निष्पादन अनुदान की अनुशंसा की थी। मूलभूत अनुदान का उद्देश्य ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को उनके संबंधित नियमों के तहत उन्हें सौंपे गए बुनियादी कार्यों को पूरा करने के लिए बिना शर्त समर्थन प्रदान करना है, जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव,

<sup>4</sup> भू-राजस्व, वस्तुओं और यात्रियों पर कर, वस्तु और सेवाओं पर अन्य कर।

<sup>5</sup> चार करों की वसूली की लागत अर्थात स्टाम्प और पंजीकरण, राज्य उत्पाद शुल्क, वाणिज्यिक कर, और वाहनों पर कर।

फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट, कब्रिस्तान और शवदाह स्थल आदि। निष्पादन अनुदान के मामले में, राज्य शासन द्वारा राजस्व सुधार के आधार पर ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को निष्पादन अनुदान का वितरण करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया तय की गई थी, जिसमें कुछ पात्रता मानदंडों को ध्यान में रखा गया था।

भारत सरकार द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 4,943.30 करोड़ की राशि स्वीकृत की और संपूर्ण राशि जारी की गई। जारी की गई राशि ₹ 4,943.30 करोड़ में से, ₹ 4,919.42 करोड़ का व्यय किया गया और ₹ 23.87 करोड़ (0.48 प्रतिशत) मार्च 2023 तक खर्च नहीं किए गए थे। चौदहवें वित्त आयोग अनुदान के आवंटन और व्यय का विवरण निम्नलिखित तालिका 1.14 में दर्शाया गया है :

**तालिका 1.14: चौदहवें वित्त आयोग अनुदान के आवंटन और व्यय का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| वर्ष       | आवंटन          |                 |                      | कुल व्यय | बचत (प्रतिशत)           |
|------------|----------------|-----------------|----------------------|----------|-------------------------|
|            | मूलभूत अनुदान  | निष्पादन अनुदान | योग                  |          |                         |
| 2015-16    | 566.18         | 0.00            | 566.18               | 4919.42  | 23.87<br>(0.48 प्रतिशत) |
| 2016-17    | 783.98         | 102.84          | 886.82               |          |                         |
| 2017-18    | 905.81         | 116.37          | 1022.18              |          |                         |
| 2018-19    | 1047.86        | 0.00            | 1052.22 <sup>6</sup> |          |                         |
| 2019-20    | 1415.89        | 0.00            | 1415.89              |          |                         |
| <b>योग</b> | <b>4719.72</b> | <b>219.21</b>   | <b>4943.29</b>       |          |                         |

(स्रोत: पंचायत संचालनालय, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

### पंद्रहवां वित्त आयोग अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग की प्रतिवेदन (2021-22 से 2025-26) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिये निर्धारित कुल अनुदानों में से 60 प्रतिशत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे पेयजल आपूर्ति और वर्षा जल संचयन और स्वच्छता के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि 40 प्रतिशत अनुदान को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उनके विवेकाधिकार पर उपयोग किया जाना है।

इसके अनुसार, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 और 2021-22 के मध्य पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार मूलभूत अनुदान के रूप में ₹ 2,529.00 करोड़ का अनुदान आवंटित और जारी किया गया जिसमें से विभाग द्वारा मार्च 2022 तक ₹ 1,329.92 करोड़ का व्यय किया गया।

संशोधित अध्याय I राज्य शासन को नवम्बर 2024 में जारी किये गए थे, उसपर शासन की प्रतिक्रिया आपेक्षित है।

<sup>6</sup> भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर धनराशि का हस्तांतरण न होने के कारण ₹ 4.3663 करोड़ का ब्याज जोड़ा गया है।

## अध्याय II

शहरी स्थानीय निकायों की कार्य पद्धति, जवाबदेही  
क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों का  
विहंगावलोकन



## अध्याय II

### शहरी स्थानीय निकायों की कार्य पद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन

#### 2.1 प्रस्तावना

संविधान के अनुच्छेद 243 (क्यू) में यह प्रावधानित है कि प्रत्येक राज्य द्वारा बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिये नगरपालिक निगम, छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिये नगरपालिक परिषद, एवं ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र वाले परिवर्तनशील क्षेत्रों के लिये नगर पंचायत का गठन किया जायेगा। आगे, अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) में यह प्रावधानित है कि राज्य शासन विधि द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये आवश्यक हों और ऐसी विधियों में नगरीय स्थानीय निकायों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण हेतु प्रावधान होने चाहिये।

##### 2.1.1 राज्य का परिचय

मध्यप्रदेश से 16 जिलों के विभाजन के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य, अपनी राजधानी रायपुर के साथ, 1 नवंबर 2000 को आस्तित्व में आया। वर्तमान में मार्च 2023 की स्थिति में राज्य में 33<sup>1</sup> जिले हैं।

मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश द्वारा अधिनियमित किया गया था, और इसे अगस्त 2001 में छत्तीसगढ़ में अंगीकार किया गया, जिसका उद्देश्य नगरपालिकाओं से संबंधित नियम को सामेकित और संशोधित करना और नगरपालिकाओं के संगठन और प्रशासन के लिए बेहतर प्रावधान करना था।

छत्तीसगढ़ में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के तीन स्तर हैं: नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत। वर्तमान में राज्य में 14 नगरपालिक निगम, 44 नगरपालिका परिषद और 112 नगर पंचायत हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार, राज्य के 170 शहरी स्थानीय निकाय के तहत कुल शहरी जनसंख्या 59 लाख थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 23.24 प्रतिशत थी। शहरी स्थानीय निकाय का जनसंख्या-वार वर्गीकरण अग्रलिखित **तालिका 2.1** में दिया गया है:

<sup>1</sup> सितंबर 2022 में गठित पाँच नए जिले अर्थात् (i) मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (ii) खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (iii) मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (iv) सक्ती (v) सारंगढ़-बिलाईगढ़ भी इस आंकड़े में शामिल हैं।



**तालिका 2.1 शहरी स्थानीय निकायों का जनसंख्या-वार वर्गीकरण (मार्च 2023 तक)**

| क्र.सं.    | जनसंख्या           | नगरपालिक निगम की संख्या | नगरपालिका परिषद की संख्या | नगर पंचायत की संख्या |
|------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1          | 5000 से कम         | निरंक                   | 01                        | 11                   |
| 2          | 5,001 से 10,000    | निरंक                   | निरंक                     | 66                   |
| 3          | 10,001 से 20,000   | निरंक                   | 10                        | 35                   |
| 4          | 20,001 से 50,000   | निरंक                   | 31                        | निरंक                |
| 5          | 50,001 से 1,00,000 | 05                      | 02                        | निरंक                |
| 6          | 1,00,000 से अधिक   | 09                      | निरंक                     | निरंक                |
| <b>कुल</b> |                    | <b>14</b>               | <b>44*</b>                | <b>112</b>           |

(स्रोत: जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय प्रशासन और विकास विभाग, रायपुर द्वारा प्रदत्त एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

\* अगस्त 2022 में दुर्ग जिले में एक नई नगरपालिका परिषद अमलेश्वर का गठन किया गया।

### 2.1.2 शहरी स्थानीय निकायों के उन्नयन के लिए मानदंड

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 7 और मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 के अनुसार, राज्यपाल जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि के अलावा अन्य गतिविधियों में नियोजन का प्रतिशत, आर्थिक महत्व या ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी शहरी क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का गठन कर सकते हैं।

उपरोक्त उल्लिखित मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम और मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन ने (फरवरी 2003 में) एक अधिसूचना जारी की जिसके अनुसार नगरपालिक निगम के लिए एक लाख या उससे अधिक, नगरपालिका परिषद के लिए 20,000 से एक लाख, और नगर पंचायत के लिए 5,000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए।

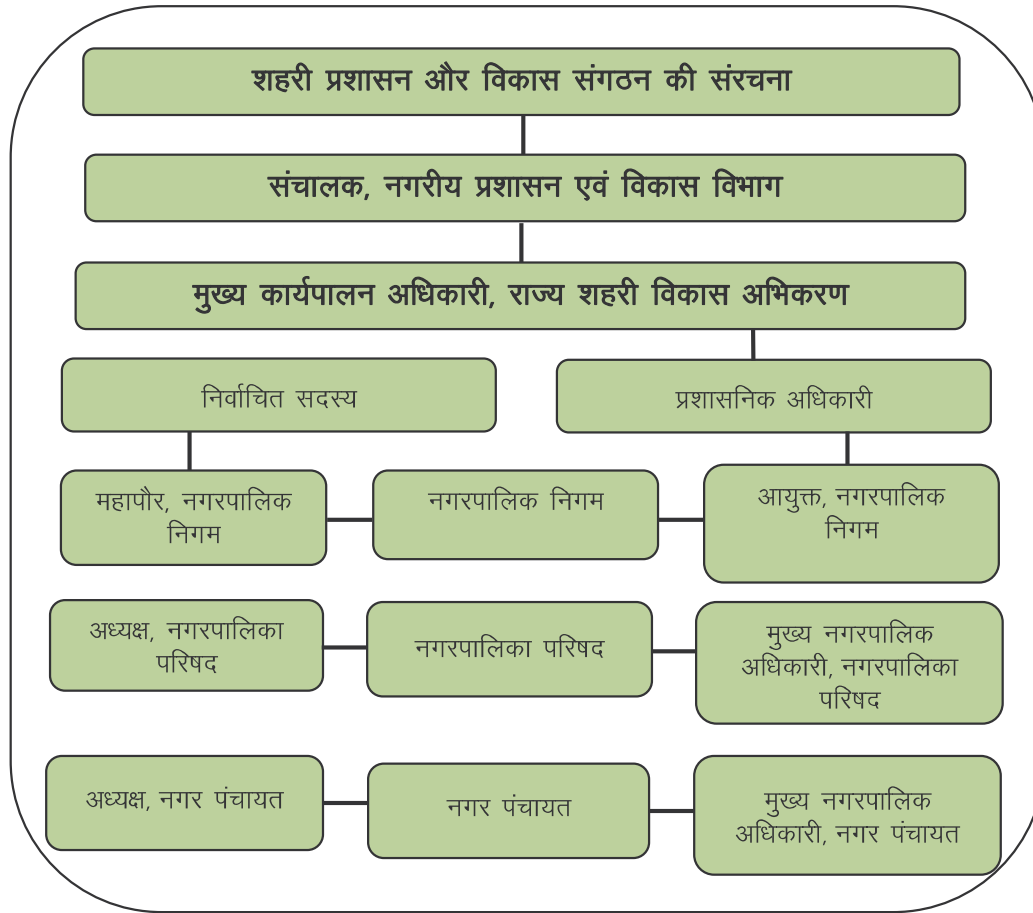
हालांकि, एक शहरी स्थानीय निकाय घोषित किए जाने के लिए उपरोक्त निर्धारित जनसंख्या मानदंडों का सख्ती से पालन नहीं किया गया, क्योंकि 12 शहरी स्थानीय निकाय (एक नगरपालिका परिषद और 11 नगर पंचायतों) की जनसंख्या 5,000 से कम है।

मार्च 2023 में इसे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

## 2.2 शहरी स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना

नगरीय प्रशासन और विकास विभाग (यूएडीडी) राज्य के विभिन्न नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए प्रशासनिक विभाग है। यूएडीडी की प्रशासनिक संरचना निम्नलिखित है:

## शहरी स्थानीय निकायों की संगठनात्मक चार्ट



यूएडीडी के अंतर्गत एक संचालनालय स्थापित किया गया है, जिसके क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर और दुर्ग में स्थित हैं। राज्य शहरी विकास अभिकरण, जिसे जून 2001 में यूएडीडी के तहत गठित किया गया था, राज्य के शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

यूएडीडी की अन्य जिम्मेदारियों में शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित कार्यों की देखरेख, झुग्गी क्षेत्रों में विकास योजनाओं की निगरानी, शहरी गरीबों के उत्थान के लिए विशेष योजनाओं का कार्यान्वयन और उनकी निगरानी, शहरी गरीबों को आवास सुविधाएं प्रदान करना, चुंगी मुआवजा कर कोष का प्रशासन आदि शामिल हैं।

### 2.3 शहरी स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति

74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 शहरी स्थानीय निकायों को संविधान की 12वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 विषयों से संबंधित कार्य करने और योजनाएं लागू करने के लिए सशक्त बनाया है। इसके प्रारंभ होने से 20 वर्षों के बाद भी राज्य में सभी कार्यों का हस्तान्तरण पूर्ण नहीं हो पाया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (एक्स) में यह परिकल्पना की गयी है कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को विभिन्न करों का आरोपण और राजस्व संग्रह के लिए शक्ति प्रदान कर सकेगा। इस संवैधानिक प्रावधान को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132 और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 में अंगीकृत किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय को राज्य शासन द्वारा चुंगी मुआवजा अनुदान और यात्री कर

विशेष अनुदान के तहत मासिक आधार पर धनराशि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर विभिन्न प्रकार के करों का आरोपण किया जाता है, जिनमें संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर, बाजार शुल्क, निर्यात कर आदि शामिल हैं।

### **2.3.1 नगरपालिक निगम**

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, (सीजीएमसीए) 1956 की धारा 9 के अनुसार, एक नगरपालिक निगम में महापौर और पार्षद नगरपालिक निगम में शामिल होंगे जो नगरपालिक क्षेत्र से सीधे चुने जायेंगे। उक्त अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रत्येक नगरपालिक निगम के लिए मेयर-इन-कौंसिल होगी, जो निर्वाचित पार्षदों में से महापौर द्वारा मेयर-इन-कौंसिल के कृत्यों और उसके क्रियाकलापों के संचालन के लिए गठित की जायगी जैसा कि विहित किया जाए।

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसार, महापौर अपने कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों में वर्णित शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेगा।

नगरपालिक निगम के आयुक्त की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी, जो निगम के प्रधान कार्यकारी अधिकारी होंगे और उन्हें निगम या उसकी किसी भी समिति की किसी भी बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन मतदान करने या कोई प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं होगा। आयुक्त के कार्यालय में नियमों के तहत निर्धारित कार्यों और कर्तव्यों के लिए प्रशासनिक कर्मचारी होंगे।

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 69 के अनुसार, आयुक्त इस अधिनियम में प्रदत्त सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे और सभी नगरपालिक निगम अधिकारियों के कार्यों और कार्यवाही पर निरीक्षण और नियंत्रण करेंगे।

### **2.3.2 नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत**

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम (सीजीएमए), 1961 की धारा 19 के अनुसार, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका परिषद, शहरी क्षेत्रों की ओर बदलाव होते हुए क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत होगा, जिसमें एक प्रेसिडेंट एवं संबंधित क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए पार्षद होंगे। अधिनियम की धारा 70 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के लिए एक प्रेसिडेंट-इन-कौंसिल (पीआईसी) होगी, जो निर्वाचित पार्षदों में से प्रेसिडेंट द्वारा पीआईसी के कृत्यों और उसके क्रियाकलापों के संचालन के लिए गठित की जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए।

नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट-इन-कौंसिल के अध्यक्ष होंगे, सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन पर नजर रखेंगे और उस अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कार्यकारी कार्यों का निर्वहन करेंगे।

अधिनियम की धारा 87 के अनुसार, परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी, जो नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के प्रधान कार्यकारी अधिकारी होंगे और उन्हें अपने कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा और उन्हें अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार होगा।

अधिनियम की धारा 92 के अनुसार, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अध्यक्ष सामान्य नियंत्रण के अधीन, परिषद के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन पर नजर रखेंगे और इस अधिनियम द्वारा उन पर विशेष रूप से प्रदत्त सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे और उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो उन पर इस अधिनियम के अनुसार प्रात्यायोजित किये गये हो।

## 2.4 जिला योजना समितियाँ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (जेडडी) के अनुसार, जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और जिले के लिए एक समग्र विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति की स्थापना की जाएगी।

### 2.4.1 कार्य

प्रत्येक जिला योजना समिति (डीपीसी) को पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच सामान्य हित के मामलों में, जैसे कि स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का साझा उपयोग, बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण, उपलब्ध संसाधनों (चाहे वे वित्तीय हों या अन्य) की सीमा और प्रकार, को ध्यान में रखते हुए एक प्रारूप विकास योजना तैयार करनी होगी। यह समिति सरकार द्वारा आदेश से निर्दिष्ट संस्थानों और संगठनों से परामर्श भी ले सकती है। प्रत्येक डीपीसी का अध्यक्ष इस समिति द्वारा सिफारिश की गई विकास योजना को राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

### 2.4.2 जिला योजना समिति का गठन और बैठक की आवृत्ति

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम 1995 के अनुसार, समिति की बैठकें वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। सभापति या उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा। समिति अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकती है।

पांच<sup>2</sup> जिलों की जिला केंद्रित लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सभी पांच चयनित जिलों में जिला योजना समिति बनाई गई थी, परन्तु चार जिलों (जांजगीर-चापा, कोंडागांव, दुर्ग और राजनांदगांव) में जिला योजना समिति की बैठकें नहीं हुई थीं और सिर्फ सूरजपुर जिले में 2016-17 से 2021-22 की अवधि में एक बैठक हुई थी।

## 2.5 अन्य समितियों का गठन

सीजीएमसीए 1956 के अनुच्छेद 48-ए के अनुसार, तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगम के प्रादेशिक क्षेत्र में वार्ड समितियां स्थापित की जाएगी और सीजीएमसीए 1956 के अनुच्छेद 48-बी के अनुसार, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत, जिसे राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित किया गया है, मोहल्ला समितियों का गठन अधिसूचना की तारीख से तीन माह के भीतर किया जायेगा। उसी प्रकार, सीजीएमए 1961 के अनुच्छेद 72-ए और 72-बी के तहत वार्ड समिति और मोहल्ला समिति का गठन निर्धारित किया गया है।

पांच जिलों की जिला केंद्रित लेखापरीक्षा में, पाया गया कि पांच जिलों के 15 नगरीय निकायों में से सात<sup>3</sup> में वार्ड/मोहल्ला समितियां स्थापित नहीं की गई थीं। हालांकि, उन आठ<sup>4</sup> नगरीय निकायों में जहां वार्ड/मोहल्ला समितियां स्थापित की गई थीं, उनमें

<sup>2</sup> राजनांदगांव, जांजगीर-चापा, कोंडागांव, सूरजपुर, दुर्ग

<sup>3</sup> नगरपालिक निगम, राजनांदगांव, नगरपालिका परिषद, अकलतरा, नगर पंचायत, केशकाल, नगर पंचायत, अर्जुन्दा, नगर पंचायत, नवागढ़, नगर पंचायत, डोंगरगांव, नगरपालिका परिषद, अमलेश्वर

<sup>4</sup> नगर पंचायत, शिवरीनारायण, नगरपालिका परिषद, कोण्डागांव, नगर पंचायत, फरसगांव, नगर पंचायत, भाटागांव, नगर पंचायत, प्रतापपुर, नगर पंचायत, जरही, नगरपालिका परिषद, दीपका, नगरपालिका परिषद, सूरजपुर

से पांच<sup>5</sup> नगरीय निकायों में अवधि 2016–17 से 2021–22 के दौरान वार्ड/मोहल्ला समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी। शेष तीन बचे हुए नगरीय निकायों में (नगरपालिका परिषद सुरजपुर, नगरपालिका दीपका और नगर पंचायत फरसगांव), जहां वार्ड/मोहल्ला समिति स्थापित की गई थी, नगरपालिका परिषद दीपका और नगर पंचायत फरसगांव ने लेखापरीक्षा को बैठकों के विवरण प्रदान नहीं किए जबकि नगरपालिका सुरजपुर ने बताया कि वार्ड/मोहल्ला समिति की अंतिम बैठक मार्च और अप्रैल 2022 में हुई थी।

## 2.6 शहरी स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण

74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम नगरीय स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 विषयों से संबंधित कार्यों को संपादित करने और योजनाओं को लागू करने के लिए सशक्त बनाता है। संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) ने राज्य विधानसभाओं को यह अधिकार प्रदान किया कि वे स्थानीय निकायों को स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाएं और शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान करें।

छत्तीसगढ़ में कार्यों के हस्तांतरण की स्थिति के बारे में विभाग से जानकारी मांगी गई। विभाग ने सूचित (अक्टूबर 2024) किया कि 2001 में कानूनों के अंगीकरण आदेश के माध्यम से, मध्यप्रदेश राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पहले लागू सभी कानूनों को छत्तीसगढ़ राज्य में अपनाया गया। इसमें मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (जिन्हें अब छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 के रूप में नामित किया गया है) शामिल हैं, जिनमें शहरी स्थानीय निकायों को 18 कार्यों के हस्तांतरण के प्रावधान थे।

हालांकि, यह देखा गया कि अग्निशमन सेवाएं और स्कूल शिक्षा से संबंधित कार्य 2015 में स्थानीय निकायों से क्रमशः गृह विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिए गए थे। इस प्रकार, राज्य में सभी कार्यों का नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरण पूरा नहीं हुआ था।

## 2.7 शहरी स्थानीय निकायों में लेखों की स्थिति

11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने नगरीय निकायों के लिए निर्धारित उपयुक्त लेखांकन प्रारूपों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी थी।

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने महालेखापरीक्षक के कार्यदल की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय नगरीय लेखा मैनुअल विकसित किया। राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सूचित (सितंबर 2023) किया कि मार्च 2023 की स्थिति में समस्त स्थानीय नगरीय निकायों ने वर्ष 2021–22 तक के लेखाओं को राष्ट्रीय नगरीय लेखा मैनुअल के अनुरूप तैयार कर लिए थे।

<sup>5</sup> नगर पंचायत शिवरीनारायण, नगर पालिका परिषद कोण्डागांव, नगर पंचायत भाटागांव, नगर पंचायत प्रतापपुर, नगर पंचायत जरही,

### 2.7.1 शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की तैयारी और प्रस्तुतिकरण

सीजीएमसीए 1956 और सीजीएमए 1961 के प्रावधानों के अनुसार निगम के प्राप्तियों और व्यय के लेखें उस तरीके और रूप में रखे जायेंगे जैसा राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा। निगम जैसे ही पिछले वर्ष के लेखों को अंतिम रूप से पारित कर देगा वह उन लेखों को शासन को उसी रूप में प्रेषित करेगा जैसा शासन समय-समय पर निर्देशित करेगी।

इसमें यह भी प्रावधान है कि निगम के लेखों की जांच विशेष रूप से शासन द्वारा नियुक्त किए गए एक लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी। लेखापरीक्षक समय-समय पर शासन द्वारा इस संबंध में स्वीकृत व्यवस्थाओं के अनुसार लेखों की जांच और अंकक्षण करेगा।

इसके अलावा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से चार महीने के भीतर परिषद के संबंध में आय और व्यय खाता और प्राप्तियों और भुगतान खाता सहित एक वित्तीय विवरण तैयार कराएंगे। मुख्य नगरपालिका अधिकारी वित्तीय विवरण और तुलना-पत्रक को परिषद के सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसे जांच के बाद अपनाया जाएगा और राज्य शासन द्वारा इस संबंध में नियुक्त लेखापरीक्षक को प्रेषित किया जाएगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपनाए गए वित्तीय विवरण, तुलना-पत्रक और लेखापरीक्षक की प्रतिवेदन की प्रतिलिपि राज्य शासन को नगरपालिकाओं द्वारा उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ अग्रेषित करेंगे और उसकी प्रतियां लेखापरीक्षक को भी भेजेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य लेखापरीक्षा (सीएसए) स्थानीय निकायों का प्राथमिक लेखापरीक्षक है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य लेखापरीक्षा नगरीय निकायों के लेखों का लेखापरीक्षा और प्रमाणन कर रहा है। मार्च 2023 तक सभी 170 नगरीय निकायों के वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के खाते तैयार किए गए हैं और 2022-23 के लेखा तैयारी में हैं। नीचे तालिका 2.2 में सीएसए द्वारा प्रमाणित लेखों की स्थिति दर्शाई गई है:

तालिका 2.2: मार्च 2022 तक लेखों के प्रमाणन की स्थिति

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | पिछले वर्ष के अंत में कुल लंबित लेखाओं | वर्ष में प्रमाणन के लिए लंबित लेखाओं की संख्या | वर्ष में प्रमाणित किए गए लेखाओं | वर्ष के अंत में प्रमाणन के लिए कुल लंबित लेखाओं |
|---------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1       | 2017-18      | 492                                    | 146                                            | 114                             | 524                                             |
| 2       | 2018-19      | 524                                    | 168                                            | 75                              | 617                                             |
| 3       | 2019-20      | 617                                    | 168                                            | 71                              | 714                                             |
| 4       | 2020-21      | 714                                    | 168                                            | 74                              | 808                                             |
| 5       | 2021-22      | 808                                    | 167                                            | 81                              | 894                                             |
| योग     |              |                                        |                                                | 415                             |                                                 |

(स्रोत: सीएसए छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

संचालक, सीएसए, रायपुर ने सूचित (दिसंबर 2023) किया कि 2017-2022 के मध्य, नगरीय निकायों के 415 लेखों का प्रमाणन किया गया था और 894 लेखों का प्रमाणन अभी भी लंबित है। हालांकि, संचालक, सीएसए ने लेखों के प्रमाणन के लंबित होने के कोई कारण नहीं बताए।

## 2.8 लेखापरीक्षा व्यवस्था

### 2.8.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लेखापरीक्षा, स्थानीय निकायों के लेखाओं के प्राथमिक लेखापरीक्षक (वैधानिक लेखापरीक्षक) हैं। राज्य शासन ने (फरवरी 2004) छत्तीसगढ़ राज्य लेखापरीक्षा के संचालक को स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन (टीजीएस) के तहत कार्य करेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा किए गए कुल नगरीय निकायों की संख्या नीचे तालिका 2.3 में दी गई है:

**तालिका 2.3: छत्तीसगढ़ राज्य लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा किये गए शहरी स्थानीय निकायों की संख्या**

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | वर्ष के दौरान इकाईयों की संख्या |              | राज्य में नगरपालिका निगमों की कुल संख्या | लेखापरीक्षित नगरपालिका निगमों की कुल संख्या | राज्य में नगरपालिका परिषद की कुल संख्या | लेखापरीक्षित नगरपालिका परिषद की कुल संख्या | राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या | लेखापरीक्षित नगर पंचायतों की कुल संख्या |
|----------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |              | कुल                             | लेखापरीक्षित |                                          |                                             |                                         |                                            |                                      |                                         |
| 1        | 2016-17      | 167                             | 77           | 13                                       | 6                                           | 43                                      | 18                                         | 111                                  | 53                                      |
| 2        | 2017-18      | 167                             | 82           | 13                                       | 9                                           | 43                                      | 27                                         | 111                                  | 46                                      |
| 3        | 2018-19      | 168                             | 49           | 13                                       | 5                                           | 44                                      | 15                                         | 111                                  | 29                                      |
| 4        | 2019-20      | 168                             | 41           | 13                                       | 3                                           | 44                                      | 12                                         | 111                                  | 26                                      |
| 5        | 2020-21      | 168                             | 35           | 13                                       | 2                                           | 44                                      | 9                                          | 111                                  | 24                                      |
| 6        | 2021-22      | 167                             | 33           | 14                                       | 3                                           | 43                                      | 4                                          | 110                                  | 26                                      |

(स्रोत: संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य लेखा द्वारा प्रदत्त जानकारी)

वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान सीएसए द्वारा लेखापरीक्षा किए गए इकाईयों की स्थिति और मार्च 2022 तक लंबित टिप्पणियाँ नीचे दी गई तालिका 2.4 में दर्शाई गई हैं:

**तालिका 2.4: छत्तीसगढ़ राज्य लेखापरीक्षा की लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या | कुल लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ | वर्ष के दौरान की गई टिप्पणियाँ | वर्ष के दौरान निपटाए गए आपत्तियों की संख्या | लंबित टिप्पणियों की संख्या |
|---------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 1       | 2016-17      | 77                             | 64101                            | 5386                           | 464                                         | 69023                      |
| 2       | 2017-18      | 82                             | 69023                            | 4167                           | 495                                         | 72695                      |
| 3       | 2018-19      | 49                             | 72695                            | 3946                           | 180                                         | 76461                      |
| 4       | 2019-20      | 41                             | 76461                            | 2010                           | 243                                         | 78228                      |
| 5       | 2020-21      | 35                             | 78228                            | 1878                           | 45                                          | 80061                      |
| 6       | 2021-22      | 33                             | 80061                            | 1524                           | 151                                         | 81434                      |

(स्रोत: संचालनालय, स्थानीय निधि लेखा द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मार्च 2022 तक 81434 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ निराकरण के लिए लंबित हैं।



संचालक, सीएसए, ने जुलाई 2023 में बताया कि लेखापरीक्षा की गई इकाइयों के कर्मचारियों में नियमों और विनियमों के बारे में ज्ञान की कमी और लेखापरीक्षा इकाइयों में कर्मचारियों की कमी, बड़ी संख्या में लंबित टिप्पणियाँ का मुख्य कारण हैं।

### अनुशंसा:

राज्य शासन को स्थानीय निकायों के कार्यात्मक स्तरों पर क्षमता विकास के लिए कदम उठाने चाहिए।

## 2.9 लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया

तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन व्यवस्था के अनुसार, सीएसए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रतिवेदनो के ऐसे अनुच्छेदों के अनुपालन को उसी प्रकार आगे बढ़ाएगा जैसे वह अपनी प्रतिवेदनो के साथ करता है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों की 137 इकाइयों का लेखापरीक्षा किया गया, जिसमें 1613 लेखापरीक्षा अवलोकन किए गए। महालेखापरीक्षक की निरीक्षण प्रतिवेदनो के लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण निम्न तालिका 2.5 में दिखाया गया है:

तालिका 2.5: महालेखाकार की निरीक्षण प्रतिवेदनो की लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या | वर्ष की शुरुआत में लंबित टिप्पणियाँ की संख्या | वर्ष के दौरान की गई टिप्पणियाँ | निष्पादित टिप्पणियाँ की संख्या | वर्ष के अंत में लंबित टिप्पणियाँ की संख्या |
|---------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 1       | 2016-17      | 34                                           | 526                                           | 403                            | 29                             | 900                                        |
| 2       | 2017-18      | 31                                           | 900                                           | 385                            | 26                             | 1259                                       |
| 3       | 2018-19      | 10                                           | 1259                                          | 154                            | 5                              | 1408                                       |
| 4       | 2019-20      | 0                                            | 1408                                          | 0                              | 46                             | 1362                                       |
| 5       | 2020-21      | 41                                           | 1362                                          | 448                            | 96                             | 1714                                       |
| 6       | 2021-22      | 21                                           | 1714                                          | 223                            | 75                             | 1862                                       |
| योग     |              | 137                                          |                                               | 1613                           | 277                            |                                            |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस अवधि के दौरान केवल 277 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ का ही निराकरण हो सका और इसलिए मार्च 2022 तक 1862 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निराकरण के लिए लंबित थे, जिसमे से 526 टिप्पणियाँ 2016-17 के पूर्व वर्ष के थे।

## जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामले

### जवाबदेही क्रियाविधि

## 2.10 लोकपाल

13वें वित्त आयोग ने संबंधित राज्य पंचायत और नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करके स्थानीय निकायों के लिए एक अलग लोकपाल गठित करने की सिफारिश की थी।

छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम 2002 में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति और उनके कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है जो कुछ लोकसेवकों के खिलाफ शिकायत की



सूचना, कदाचार की जांच एवं इससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित है।

विभाग ने फरवरी 2023 में सूचित किया कि 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित कुल 64 मामले लोक आयुक्त के तहत दर्ज किए गए थे और मार्च 2022 तक लंबित मामलों की संख्या 12 थी। लोक आयुक्त के तहत दर्ज लंबित मामलों का विवरण निम्न **तालिका 2.6** में दिखाया गया है:

**तालिका 2.6: लोक आयुक्त के तहत लंबित मामलों की संख्या**

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | पूर्व लंबित मामले | वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या | वर्ष के दौरान निराकृत मामलों की संख्या | लंबित मामलों की संख्या |
|---------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 1       | 2016-17      | 08                | 11                                         | 05                                     | 14                     |
| 2       | 2017-18      | 14                | 19                                         | 01                                     | 32                     |
| 3       | 2018-19      | 32                | 13                                         | 34                                     | 11                     |
| 4       | 2019-20      | 11                | 12                                         | 16                                     | 07                     |
| 5       | 2020-21      | 07                | 05                                         | 02                                     | 10                     |
| 6       | 2021-22      | 10                | 04                                         | 02                                     | 12                     |
| योग     |              |                   | 64                                         | 60                                     |                        |

(स्रोत: यूएजीडी, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

## 2.11 सामाजिक अंकेक्षण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लेखापरीक्षा नियमों, 2011 के तहत, छत्तीसगढ़ सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को सितंबर 2013 में एक स्वतंत्र संस्था के रूप में गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ करना था।

छत्तीसगढ़ सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के संचालक से प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की योजनाओं/कार्यक्रमों का सामाजिक लेखापरीक्षा वर्ष 2016 से 2022 अवधि तक का नहीं किया गया।

## 2.12 सेवा स्तर मानक

सेवा स्तर मानकों को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में विकसित और जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य (i) जल और स्वच्छता क्षेत्र के लिए न्यूनतम मानक प्रदर्शन पैरामीटर का पहचान करना है जिसे देश भर के सभी हितधारकों द्वारा सामान्य रूप से समझा और उपयोग किया जा सके (ii) इन संकेतकों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक सामान्य न्यूनतम ढांचे को परिभाषित करना और (iii) इस ढांचे को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना है। यह ढांचा चार श्रेणियों –जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन और वर्षा जल निकासी के तहत 28 प्रदर्शन संकेतकों को शामिल करता है। इसके अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता पर सेवा स्तर मानक की उपलब्धि के साथ जोड़कर अनुदान प्रदान किये हैं।

सेवा स्तर मानकों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। जलापूर्ति के लिए सेवा स्तर मानकों में 24 घंटे जलापूर्ति तथा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर (एलपीसीडी) जलापूर्ति का प्रावधान किया गया है। चार<sup>6</sup> जिलों के 13<sup>7</sup> शहरी स्थानीय निकायों के नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि शहरी स्थानीय निकायों में इन मानकों के विपरीत केवल दो से छह घंटे प्रति दिन जल प्रदान कर पाए। इसके अलावा, नमूना जांच वाले शहरी स्थानीय निकायों में 135 एलपीसीडी उपलब्ध कराने का सेवा स्तर मानक कभी हांसिल नहीं किया गया, वहाँ जलापूर्ति 33–125 एलपीसीडी के बीच थी। इसी प्रकार, सेवा स्तर मानकों में वर्षा जल निकासी नेटवर्क के 100 प्रतिशत कवरेज प्रदान की बात करता है। हालांकि, जांच किए गए 13 इकाइयों में से सात में केवल 10 से 32 प्रतिशत तक वर्षा जल संचयन हांसिल किया गया।

### 2.13 उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग I के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक या गैर-आवर्ती शर्तों वाले अनुदान के मामले में, वह विभागीय अधिकारी जिसके हस्ताक्षर या प्रति-हस्ताक्षर पर सहायता अनुदान देयक आहरित किया जाता है, वह संबंधित अनुदान प्राप्त वर्ष के बाद के वर्ष के 30 सितंबर तक उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को प्रस्तुत करेगा। वर्ष 2016–2022 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा महालेखाकार को ₹ 6338.06 करोड़ की राशि के कुल 685 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किये गए। विभाग द्वारा महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में कोई लंबितता नहीं थी।

### 2.14 शहरी स्थानीय निकायों का आंतरिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

सीजीएमसीए की धारा 417 ए और सीजीएमए की धारा 322 के तहत राज्य शासन या नगरपालिकाएं निर्धारित तरीके से नगरपालिकाओं के दैनिक लेखा-जोखा के आंतरिक लेखापरीक्षा कर सकती हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अनुसार, नवंबर 2015 से राज्य के 168 शहरी स्थानीय निकायों में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कार्य कर रही है। इस प्रणाली के तहत, पाँच चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फर्म प्री ऑडिट कार्य करती हैं और अपना प्रतिवेदन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सौंपती हैं। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच और अनुपालन के लिए अतिरिक्त संचालक (वित्त) और स्थानीय निधि लेखापरीक्षा से सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखापरीक्षक के अधीन एक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। हालांकि, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखापरीक्षक और अक्टूबर 2020 से सीए फर्मों की सेवाएं समाप्त होने के कारण अनुपालनों की जाँच लंबित थी।

### 2.15 वित्तीय प्रतिवेदनों के मुद्दे

#### 2.15.1 राजस्व के स्रोत

स्थानीय निकायों के लिए मुख्य रूप से दो राजस्व स्रोत होते हैं, अर्थात् सरकारी अनुदान और स्वयं के राजस्व। सरकारी अनुदान में राज्य शासन और भारत सरकार द्वारा राज्य/केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर जारी किए गए धनराशि और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त धनराशि शामिल हैं। शहरी स्थानीय निकायों के

<sup>6</sup> सरगुजा, नारायणपुर, सुकमा, धमतरी

<sup>7</sup> (i) नगर पंचायतें – सीतापुर, लखनपुर, दोरनापाल, कोंटा, नगरी, मगरलोद, कुरुद, भाखरा, आमदी  
(ii) नगरपालिका – नारायणपुर, सुकमा (iii) नगरपालिक निगम – अंबिकापुर, धमतरी

स्वयं के राजस्व स्रोतों में उनके द्वारा प्राप्त किए गए कर और विभिन्न कर राजस्व शामिल हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न करों जैसे संपत्ति कर, जल कर, मनोरंजन कर, जल आपूर्ति, जल निकासी या सीवरज निपटान/उपचार, ठोस अपशिष्ट के घर-घर संग्रह आदि से उपयोगकर्ता प्रभार के माध्यम से स्वयं के संसाधनों से राजस्व अर्जित करते हैं। शहरी स्थानीय निकाय शहरी विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऋण भी प्राप्त करते हैं। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व संसाधनों का पिछले छः वर्षों का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है:

**तालिका 2.7: शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व संसाधन**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं.    | वर्ष    | सहायता अनुदान   | स्वयं का राजस्व संग्रह (कुल राजस्व का प्रतिशत) | योग             |
|------------|---------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1          | 2016-17 | 2956.30         | 589.40 (17)                                    | 3545.70         |
| 2          | 2017-18 | 2999.60         | 614.61 (17)                                    | 3614.21         |
| 3          | 2018-19 | 2418.40         | 571.67 (19)                                    | 2992.73         |
| 4          | 2019-20 | 2853.55         | 587.05 (17)                                    | 3440.60         |
| 5          | 2020-21 | 3384.93         | 640.66 (16)                                    | 4025.59         |
| 6          | 2021-22 | 3515.22         | 649.92 (16)                                    | 4165.13         |
| <b>योग</b> |         | <b>18128.00</b> | <b>3653.31 (17)</b>                            | <b>21783.96</b> |

(स्रोत: यूएडीडी रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

तालिका 2.7 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के कुल संसाधनों में उनके स्वयं के राजस्व का हिस्सा 16 से 19 प्रतिशत के बीच रहा। अतः, यह स्पष्ट है कि छह वर्षों की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों का स्वयं का राजस्व स्थिर रही।

### 2.15.2 बजट तैयारी और स्वीकृति

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम की धारा 97 के साथ सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम की धारा 116 के अनुसार, बजट को अगले वित्तीय वर्ष के संभावित प्राप्तियों और व्यय के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए और इसे यथासंभव व्यावहारिक और सही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अंतिम बजट को आगामी वर्ष के लिए 31 मार्च से पहले आवश्यक रूप से पारित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए रायगढ़ जिले में नमूना जाँच में चयनित तीन<sup>8</sup> में से दो<sup>9</sup> शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बजट तैयार किया गया था, सिवाय नगरपालिका परिषद, खरसिया के, जहां 2020-21 के लिए बजट तैयार नहीं किया गया था। हालांकि, संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को स्वीकृति हेतु इसके प्रस्तुत करने का कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। आगे की जांच में पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बजट निर्धारित तिथि (प्रत्येक वर्ष 31 मार्च) से 38 से 122 दिनों की अवधि के बाद पारित किया गया।

### 2.15.3 बजटीय आवंटन और व्यय

राज्य शासन द्वारा बजट के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित की गई धनराशि (राज्य के कर राजस्व का हिस्सा, योजना निधि और अनुदान आदि), जिसमें

<sup>8</sup> नगरपालिक निगम रायगढ़, नगरपालिका परिषद खरसिया और नगर पंचायत पुसौर

<sup>9</sup> नगरपालिक निगम रायगढ़ और नगर पंचायत पुसौर

भारत सरकार की योजनाओं में राज्य का हिस्सा और 14वें और 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान शामिल हैं, निम्नलिखित तालिका 2.8 में दी गई हैं:

**तालिका 2.8: निधि के आवंटन और व्यय का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | वर्ष    | बजटीय आवंटन | व्यय    | बचत     | बचत का प्रतिशत |
|---------|---------|-------------|---------|---------|----------------|
| 1       | 2016-17 | 3664.27     | 2956.30 | 707.97  | 19.32          |
| 2       | 2017-18 | 3409.13     | 2999.60 | 409.53  | 12.01          |
| 3       | 2018-19 | 4023.35     | 2418.40 | 1604.95 | 39.89          |
| 4       | 2019-20 | 4112.28     | 2853.55 | 1258.73 | 30.61          |
| 5       | 2020-21 | 4107.11     | 3384.93 | 722.18  | 17.58          |
| 6       | 2021-22 | 4099.82     | 3515.22 | 584.60  | 14.26          |
| योग     |         | 23415.96    | 18128   | 5287.96 |                |

(स्रोत: यूएजीडी रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के लिए बजट आवंटन में 12 प्रतिशत<sup>10</sup> की वृद्धि हुई। हालांकि, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पूरे बजट आवंटन को शहरी स्थानीय निकायों पर खर्च नहीं कर सका, और इस अवधि के दौरान बचत 12 से 40 प्रतिशत के बीच रही।

### 2.15.4 छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास कोष

छत्तीसगढ़ शहरी विकास निधि नियम 2003 के तहत स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर प्रवेश कर और अन्य प्राप्तियों के स्थानांतरण के संबंध में नियम बनाए गए थे ताकि उनकी बुनियादी ढांचा विकास के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाया जा सके। अधिनियम के नियम 7 के तहत दो खातों, अर्थात् हस्तांतरण खाता एवं अधोसंरचना खाता का संधारण का प्रावधान करता है। बजट प्रावधान के अनुसार, जो राशि प्रत्येक वर्ष शहरी स्थानीय निकायों को ऑक्ट्रॉय (चुंगी) के क्षतिपूर्ति के रूप में स्थानांतरित की जाती है, उसे हस्तांतरण खाते में स्थानांतरित किया जाता है। बजट में प्रदान किए गए प्रत्येक कर की राशि और जो हस्तांतरण खाते में स्थानांतरित की गई है, के बाद बची हुई राशि को अधोसंरचना खाते में स्थानांतरित किया जाता है। अधोसंरचना खाते में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राप्त राशि और राज्य शासन द्वारा विशिष्ट पूंजीगत कार्यों के लिए प्राप्त राशि भी शामिल होंगे। इन धनराशि का उपयोग सड़क मरम्मत कार्य, पेयजल से संबंधित योजनाएं, अग्निशमन सेवाओं में सुधार, राज्य शासन की किसी विशिष्ट योजना, कचरे के प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकायों में बुनियादी सुविधाओं के विकास जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान छत्तीसगढ़ बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत धनराशि के आवंटन और व्यय का विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है:

<sup>10</sup> वर्ष 2021-22 के दौरान बजट आवंटन में 2016-17 के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि =  $(4099.82 - 3664.27) * 100 / 3664.27 = 11.88$  प्रतिशत

तालिका 2.9: निधि के आवंटन/व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | आवंटन          |                | योग     | व्यय*          |                | योग     |
|---------|--------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|
|         |              | हस्तांतरण खाता | अधोसंरचना खाता |         | हस्तांतरण खाता | अधोसंरचना खाता |         |
| 1       | 2016-17      | 336.34         | 1154.19        | 1490.53 | 336.34         | 1154.19        | 1490.53 |
| 2       | 2017-18      | 329.27         | 1582.85        | 1912.12 | 329.27         | 1582.85        | 1912.12 |
| 3       | 2018-19      | 272.13         | 922.79         | 1194.92 | 272.13         | 922.79         | 1194.92 |
| 4       | 2019-20      | 288.81         | 1282.67        | 1571.48 | 288.81         | 1282.67        | 1571.48 |
| 5       | 2020-21      | 293.94         | 1393.09        | 1687.03 | 293.94         | 1393.09        | 1687.03 |
| 6       | 2021-22      | 322.44         | 1361.87        | 1684.31 | 322.44         | 1361.87        | 1684.31 |
| महायोग  |              | 1842.93        | 7697.46        | 9540.39 | 1842.93        | 7697.46        | 9540.39 |

(स्रोत: यूएजीडी रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी) \*(शहरी स्थानीय निकायों को जारी आवंटन की सम्पूर्ण आवंटन राशि को व्यय के रूप में अपनाकर)

2.15.5 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा

राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित और राज्य शासन द्वारा स्वीकार किये गये संशोधनों के अनुसार, राज्य के स्वयं के कर राजस्व (एसओटीआर) का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण का विवरण तालिका 2.10 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 2.10: राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं पर, राज्य शासन द्वारा (राजस्व का स्रोत) स्वीकृत नगरीय निकायों को हस्तांतरण राशि

(प्रतिशत में)

| क्र.सं. | राज्य वित्त आयोग | अनुबंध अवधि | राज्य वित्त आयोग द्वारा हस्तांतरण की अनुशंसा | राज्य शासन द्वारा हस्तांतरण स्वीकृत किया गया |
|---------|------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1       | प्रथम            | 2007-12     | 1.66                                         | 1.21                                         |
| 2       | द्वितीय          | 2012-20     | 1.85                                         | 1.85                                         |
| 3       | तृतीय            | 2020-25     | 2.09                                         | 2.09                                         |
| 4       | चतुर्थ           | 2025-30     | —                                            | —                                            |

(स्रोत: तीसरे राज्य वित्त आयोग की प्रतिवेदन)

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं, स्वीकृत हस्तांतरण, और राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित और जारी की गई वास्तविक बजट की राशि का विवरण तालिका 2.11 में दर्शाया गया है:

**तालिका 2.11: 2017–22 अवधि के दौरान राज्य वित्त आयोग के अनुमान के विरुद्ध राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए स्वीकृत हस्तांतरण एवं वास्तविक बजट/व्यय का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | वर्ष    | राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई प्रतिशत | राज्य शासन द्वारा हस्तांतरण स्वीकृत किया गया | राज्य का शुद्ध स्वयं कर राजस्व | राज्य शासन द्वारा आवंटित किया जाने वाला बजट | राज्य शासन द्वारा आवंटित किया गया बजट | राज्य शासन द्वारा वास्तव में किया गया बजट |
|----------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2017–18 | (1.85)                                        | (1.85)                                       | 18,577.89                      | 343.69                                      | 441.55                                | 383.88                                    |
| 2        | 2018–19 | (1.85)                                        | (1.85)                                       | 21,120.80                      | 390.73                                      | 299.76                                | 139.79                                    |
| 3        | 2019–20 | (1.85)                                        | (1.85)                                       | 21,630.73                      | 400.17                                      | 320.73                                | 374.90                                    |
| 4        | 2020–21 | (2.09)                                        | (2.09)                                       | 21,580.13                      | 451.02                                      | 441.62                                | 365.36                                    |
| 5        | 2021–22 | (2.09)                                        | (2.09)                                       | 25,743.56                      | 538.04                                      | 451.45                                | 299.67                                    |

(स्रोत: यूएडीडी रायपुर और छत्तीसगढ़ राज्य के वित्तीय लेखा)

द्वितीय राज्य वित्त आयोग और तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि केवल राज्य का शुद्ध कर राजस्व पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के साथ साझा किया जाना चाहिए। राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन में उल्लिखित विधि के अनुसार राज्य के शुद्ध कर राजस्व की गणना राज्य के स्वयं कर राजस्व (एसओटीआर) में से तीन<sup>11</sup> करों के राजस्व, जो पूरी तरह से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाते हैं, और शेष करों<sup>12</sup> के संग्रहण में हुए व्यय को घटाकर की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य के शुद्ध स्वयं कर राजस्व की गणना के लिए पंचायत संचालनालय, रायपुर द्वारा प्रदाय राज्य के स्वयं कर राजस्व के आकड़ों और छत्तीसगढ़ राज्य के वित्तीय लेखों में उपलब्ध करो की वसूली लागत और स्थानीय निकायों को पूरी तरह स्थानांतरित करों के आकड़े को ध्यान में रखा जाता है।

जैसा कि पूर्ववर्ती तालिका से देखा जा सकता है, राज्य शासन ने 2017–18 से 2021–22 तक स्वीकृत हस्तांतरण के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को कम बजट आवंटित किया है। वर्ष 2017–22 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को वास्तविक रूप से जारी किए गए धनराशि बजट आवंटन के अनुसार ही थी, वर्ष 2020–21 को छोड़कर, जहां थोड़ी कमी देखी गई।

### 2.15.6 केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा

#### चौदहवें वित्त आयोग अनुदान

चौदहवें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए दो प्रकार के अनुदानों की सिफारिश की थी, अर्थात् मूल अनुदान और निष्पादन अनुदान। मूल अनुदान का उद्देश्य ग्राम पंचायत और नगरपालिकाओं को उनके संबंधित कानूनों के तहत उन्हें सौंपे गए बुनियादी कार्यों को पूरा करने के लिए बिना शर्त समर्थन प्रदान करना है, जैसे (i) जल आपूर्ति (ii) स्वच्छता (iii) सीवरेज (iv) सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव, (v) फुटपाथ और (vi) सड़क प्रकाश व्यवस्था (vii) कब्रगाह और श्मशान भूमि आदि। निष्पादन अनुदान के मामले में, संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को

<sup>11</sup> भू-राजस्व, वस्तुओं और यात्रियों पर कर, वस्तु और सेवाओं पर अन्य कर।

<sup>12</sup> चार करों की वसूली की लागत अर्थात् स्टाम्प और पंजीकरण, राज्य उत्पाद शुल्क, वाणिज्यिक कर, और वाहनों पर कर।

अनुदान के वितरण की एक विस्तृत प्रक्रिया संबंधित राज्य शासन द्वारा की तैयार जायेगी, जो कुछ पात्रता मानदंडों के अधीन होगी।

भारत सरकार ने 2015-16 से 2019-20 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 1,587.91 करोड़ की स्वीकृत राशि के विरुद्ध ₹ 1,403.08 करोड़ की राशि जारी की। राज्य शासन को वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 80.03 करोड़ एवं वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 104.80 करोड़ के निष्पादन अनुदान की राशि प्राप्त नहीं हुई है। चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान के आवंटन और व्यय का विवरण तालिका 2.12 में दिया गया है:

**तालिका 2.12: चौदहवीं वित्त आयोग के अनुदान के आवंटन और व्यय का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं.    | वर्ष    | आवंटन          |                 |                | व्यय           |
|------------|---------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|            |         | मूल अनुदान     | निष्पादन अनुदान | योग            |                |
| 1          | 2015-16 | 152.39         | 0.00            | 152.39         | 152.39         |
| 2          | 2016-17 | 211.01         | 62.28           | 273.29         | 273.29         |
| 3          | 2017-18 | 243.80         | 70.47           | 314.27         | 314.27         |
| 4          | 2018-19 | 282.04         | 0.00            | 282.04         | 282.04         |
| 5          | 2019-20 | 381.09         | 0.00            | 381.09         | 381.09         |
| <b>योग</b> |         | <b>1270.33</b> | <b>132.75</b>   | <b>1403.08</b> | <b>1403.08</b> |

(स्रोत: यूएडीडी रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

### पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान

भारत सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2020-21 और 2021-22 के वर्षों के दौरान मूल और निष्पादन अनुदान के रूप में ₹ 1,244.70 करोड़ जारी किए। विभाग ने मार्च 2023 के अंत तक 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्राप्त पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान की पूरी राशि का व्यय किया गया।

#### 2.15.7 बजट और लेखांकन प्रारूपों को अपनाना

भारत सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से दिसंबर 2004 में वित्तीय मामलों में अधिक पारदर्शिता और नियंत्रण के लिए दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के साथ राष्ट्रीय नगरपालिका मैनुअल (एनएमएएम) तैयार किया गया था। इसके अतिरिक्त, सीजीएमए की धारा 125 बी के तहत प्रावधान किया गया है कि राज्य शासन एक मैनुअल निर्धारित और संधारित करेगी जिसे छत्तीसगढ़ नगरपालिका लेखा मैनुअल (सीजीएमएएम) कहा जाएगा, जिसमें नगरपालिक निगम से संबंधित सभी वित्तीय मामलों और प्रक्रियाओं का विवरण होगा।

राज्य शहरी विकास अभिकरण ने सूचित (फरवरी 2023) किया कि फिलहाल उपार्जन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली मोड्यूल का एकीकरण ई-गवर्नेंस सॉफ्टवेयर में प्रक्रियाधीन है एवं सफलतापूर्वक एकीकरण पश्चात रियल टाइम में डाटा की प्रविष्टि शुरू कर दी जाएगी। सभी शहरी स्थानीय निकायों में नकद आधारित लेखांकन प्रणाली के उपार्जन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली समानांतर रूप में प्रगति पर है।

#### 2.15.8 बकाया ऋण की स्थिति

राज्य शासन विभिन्न विकास कार्यों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को ऋण देती है। यूएडीडी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2022 को विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के विरुद्ध ₹ 164.86 करोड़ के ऋण बकाया थे। वर्ष 2021-22 के

दौरान ₹ 2.94 करोड़ के मूलधन और ₹ 0.55 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था। हालांकि, वर्ष 2021-22 में शहरी स्थानीय निकायों को कोई ऋण प्रदान नहीं किया गया था। 31 मार्च 2022 को बकाया ऋण का शहरी स्थानीय निकायों के अनुसार विवरण नीचे तालिका 2.13 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.13: बकाया ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | शहरी स्थानीय निकायों के नाम | 01 अप्रैल 2021 को शेष राशि (मूलधन + ब्याज) | 2021-22 के दौरान ब्याज सहित नया ऋण | 2021-22 के दौरान अदायगी |       | 31 मार्च 2022 की स्थिति में बकाया मूलधन | 31 मार्च 2022 की स्थिति में बकाया ब्याज | 31 मार्च 2022 की स्थिति में कुल बकाया राशि |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |                             |                                            |                                    | मूलधन                   | ब्याज |                                         |                                         |                                            |
| 1        | नगरपालिक निगम बिलासपुर      | 8.85                                       | 0                                  | 2.50                    | 0.53  | 5.41                                    | 0.40                                    | 5.81                                       |
| 2        | नगरपालिक निगम बिलासपुर      | 56.08                                      | 0                                  | 0                       | 0     | 40.52                                   | 15.56                                   | 56.08                                      |
| 3        | नगरपालिक निगम बिलासपुर      | 39.55                                      | 0                                  | 0                       | 0     | 29.00                                   | 10.55                                   | 39.55                                      |
| 4        | नगरपालिक निगम बिलासपुर      | 61.28                                      | 0                                  | 0                       | 0     | 43.50                                   | 17.78                                   | 61.28                                      |
| 5        | नगरपालिक निगम कवर्धा        | 0.47                                       | 0                                  | 0.44                    | 0.02  | 0                                       | 0                                       | 0                                          |
| 6        | नगर पंचायत बगीचा            | 2.14                                       | 0                                  | 0                       | 0     | 1.70                                    | 0.44                                    | 2.14                                       |
| योग      |                             | 168.37                                     |                                    | 2.94                    | 0.55  | 120.13                                  | 44.73                                   | 164.86                                     |

(स्रोत: यूएजीडी रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

ऋणों पर ब्याज के संचय का शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

संशोधित अध्याय II राज्य शासन को नवम्बर 2024 में जारी किये गए थे, उसपर शासन की प्रतिक्रिया आपेक्षित है।





### अध्याय III

शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन  
पर निष्पादन लेखापरीक्षा



### अध्याय III

#### शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

##### सारांश

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन (जून 2018) किया गया। राज्य की नीति के अनुसार, राज्य शासन द्वारा 169 शहरी स्थानीय निकायों में से 167 निकायों में अंबिकापुर में संचालित ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन (एसएलआरएम) पर आधारित प्रक्रिया को “मिशन क्लीन सिटी (एमसीसी)” के रूप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपनाया गया तथा रायपुर एवं बिलासपुर जैसे वृहद नगर पालिक निगमों में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को अपनाया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकाय की आवश्यकता के अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार नहीं किया गया। प्रत्येक निकायों में उत्पन्न कचरे की वास्तविक मात्रा को ध्यान में रखते हुए वित्तीय और ढांचागत अवसंरचनात्मक क्षमता का आकलन भी नहीं किया गया। निकायों में विगत पांच वर्षों के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के परिचालन व्यय की तुलना में परिचालन राजस्व कम (57 प्रतिशत) था जिससे सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा के लिए वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसके अलावा, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा जैसे कि एसएलआरएम केंद्र एवं कम्पोस्टिंग शेड के अनियोजित/अपर्याप्त निर्माण तथा अतिरिक्त अवसंरचना के बिना इस सुविधा को गोधन न्याय योजना (जीएनवाई) के साथ साझा करने से शहरी स्थानीय निकाय में कचरे के संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप अपृथक्कीकृत कचरे को खुले क्षेत्रों में डंप किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने नौ शहरी स्थानीय निकायों में 12 अनाधिकृत डंपिंग स्थल पाये, तथा इसके अतिरिक्त छः परम्परागत डंप स्थलों का उपचार भी नहीं किया गया था।

अनुचित अवसंरचनात्मक विकास के परिणामस्वरूप ₹ 369.98 लाख का निरर्थक या निष्फल व्यय होना पाया गया। राज्य में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां मुख्य रूप से निवासियों में व्यवहार परिवर्तन लाने के इच्छित उद्देश्य के बजाय स्वच्छ सर्वेक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित था।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र प्रभावी नहीं था। यद्यपि राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड (एसएलएबी) का गठन किया गया था, किन्तु एसएलएबी की सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं किया गया। आगे यह भी देखा गया कि, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई। फलस्वरूप, सीईसीबी द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट में राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमियों का उल्लेख नहीं किया गया।

### 3.1 प्रस्तावना

भारत में शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारतीय शहरी आबादी 377 मिलियन (कुल आबादी का 31 प्रतिशत) थी और 2031 तक 600 मिलियन होने की संभावना है। जैसे-जैसे शहरी आबादी बढ़ रही है, जीवनशैली में परिवर्तन के साथ उपभोग के तरीके भी बदल रहे हैं। इससे भारतीय शहरों में कचरे के उत्पादन की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। भारत में कचरा उत्पादन 2016-17 में 1,19,141 टन प्रतिदिन (टीपीडी) से बढ़कर 2020-21 में 1,60,039 टीपीडी (34 प्रतिशत) हो गया। सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में कचरा उत्पादन 2016-17 में 1,650 टीपीडी से बढ़कर 2021-22 में 1,820 टीपीडी (10 प्रतिशत) हो गया। अतः शहरी क्षेत्रों में कचरे का उचित प्रबंधन करने की नितांत आवश्यकता है क्योंकि ठोस कचरे के अपर्याप्त प्रबंधन से न केवल पर्यावरण प्रदूषण होगा बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, मानव और पशु जीवन तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक रीति से प्रबंधन एक प्रमुख आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नियम 2000 के अनुकरण में, भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (अप्रैल 2016) तैयार किया गया।

#### 3.1.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला नियामक ढांचा

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) अक्टूबर 2014 में प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य देश के सभी 4,041 शहरी स्थानीय निकायों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का 100 प्रतिशत वैज्ञानिक रीति से निपटान सुनिश्चित करना है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट को संग्रहित करना, परिवहन करना और वैज्ञानिक तरीके से उसका प्रबंधन करने की आवश्यकता है।

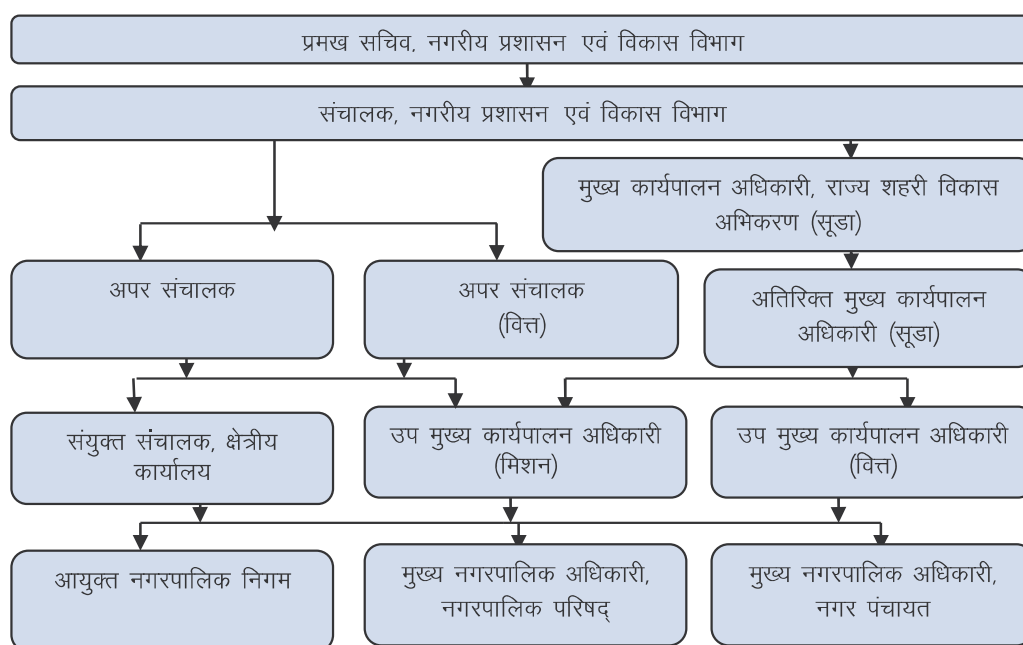
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, राज्य स्तर, शहरी स्थानीय निकायों स्तर और नागरिक स्तर पर ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक विधिक ढांचा प्रदान करते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम में प्रावधान है कि राज्य/नगरपालिका प्रशासन या स्थानीय निकाय इन नियमों के अनुरूप, कचरा बीनने वालों, स्व-सहायता समूहों और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले इसी तरह के समूहों के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के परामर्श से, राज्य के लिए एक "राज्य नीति" और "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन" रणनीति तैयार करेंगे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, "ठोस अपशिष्ट" में ठोस या अर्द्ध-ठोस घरेलू अपशिष्ट, सेनेटरी अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थागत अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट और अन्य गैर-आवासीय अपशिष्ट, सड़क की सफाई, सतही नालियों से एकत्रित गाद, बागवानी अपशिष्ट, कृषि और डेयरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-कचरा, बैटरी अपशिष्ट और स्थानीय प्राधिकरणों के अधीन क्षेत्र में उत्पन्न रेडियो-सक्रिय अपशिष्ट शामिल हैं।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकाय को 12वीं अनुसूची (भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत) में निर्दिष्ट 18 विषयों से संबंधित योजनाओं को निष्पादित करने और लागू करने का अधिकार दिया, जिसमें अन्य कार्यों के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल है। इसके अलावा, 14वें और 15वें वित्त आयोग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को जल आपूर्ति, सीवरेज और वर्षा जल निकासी के अलावा बुनियादी नागरिक सेवाओं में से एक के रूप में पहचान किया।

### 3.1.2 संगठनात्मक संरचना

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव राज्य के सभी स्थानीय प्राधिकरणों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के तहत गठित (जून 2001) राज्य शहरी विकास एजेंसी (सूडा) राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) सहित विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के कार्यान्वयन, तकनीकी सहायता और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) जिसे छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) के नाम से जाना जाता है, अपने सात क्षेत्रीय कार्यालयों<sup>1</sup> के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत निर्धारित मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

#### नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का संगठनात्मक संरचना



छत्तीसगढ़ के सभी 169 शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या<sup>2</sup> के आधार पर तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि तालिका 3.1 में दर्शाया गया है:

<sup>1</sup> अंबिकापुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग-भिलाई, जगदलपुर और रायपुर

<sup>2</sup> 1,00,000 या उससे अधिक की जनसंख्या को नगर पालिक निगम, 20,000 या उससे अधिक किन्तु 1,00,000 से कम की जनसंख्या को नगरपालिका परिषद तथा 5,000 या उससे अधिक किन्तु 20,000 से कम की जनसंख्या को नगर पंचायत कहा जाता है।

**तालिका 3.1: छत्तीसगढ़ राज्य में श्रेणीवार शहरी स्थानीय निकायों की संख्या**

| शहरी स्थानीय निकायों का प्रकार | शहरी स्थानीय निकायों की संख्या |
|--------------------------------|--------------------------------|
| नगर पालिक निगम (न.पा.नि.)      | 14                             |
| नगर पालिका परिषद (न.पा.प.)     | 43                             |
| नगर पंचायत (न.पं.)             | 112                            |
| <b>कुल</b>                     | <b>169</b>                     |

(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2021-22)

### 3.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ संचालित की गई:

- यह आकलन करना कि क्या शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की “रणनीति और योजना” तथा वित्तीय प्रबंधन, उत्पन्न अपशिष्ट और प्रचलित विधिक ढांचे के अनुरूप है।
- यह आकलन करना कि क्या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े नगरपालिका कार्य, जैसे संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और अनौपचारिक अपशिष्ट कार्यकर्ताओं का सामाजिक समावेशन, प्रभावी, कुशल और मितव्ययी थे।
- यह आकलन करना कि क्या शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना, निर्माण, प्रारंभ, संचालन और रखरखाव प्रभावी, कुशल और वित्तीय रूप से मजबूत था।
- यह आकलन करना कि क्या जागरूकता सृजन की पर्याप्तता, प्रभावी व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए नागरिक सहभागिता, नागरिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन और आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र का कार्यान्वयन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की निगरानी और मूल्यांकन पर्याप्त एवं प्रभावी था।

### 3.1.4 लेखापरीक्षा के मानदंड

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन के निम्नलिखित मानदंड अपनाये गए:

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016।
- भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में जारी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एमएसडब्ल्यूएम) मैनुअल, 2016।
- निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016।
- सेवा स्तर बेंचमार्किंग (एसएलबी) दिशानिर्देशों में निर्धारित निष्पादन पैरामीटर।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और नियम 1986।
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, दिशानिर्देश, नीतियां।

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ जारी मिशन क्लीन सिटी (एमसीसी) के दिशानिर्देश (सितंबर 2016)।

### 3.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को शामिल किया गया, जिसमें रायपुर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सुविधा (आईएसडब्ल्यूएमएफ) एवं अन्य नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में मिशन क्लीन सिटी (एमसीसी) के कार्यान्वयन पर व्यापक दृष्टिकोण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के प्रावधानों के साथ इसकी संगतता, को शामिल किया गया। फील्ड ऑडिट में पर्यावरण नियोजन और प्रौद्योगिकी केंद्र (सीईपीटी), अहमदाबाद द्वारा बनाए गए वेबसाइट ([www.pas.org](http://www.pas.org)) पर उपलब्ध डेटा का संग्रहण एवं जानकारी तथा संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, सूडा, शहरी स्थानीय निकाय और सीईसीबी में अभिलेखों की जांच की गई। छत्तीसगढ़ के 169 शहरी स्थानीय निकायों में से 16 शहरी स्थानीय निकायों को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चुना गया। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चुने गए शहरी स्थानीय निकायों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण निम्न तालिका 3.2 में दिया गया है:

तालिका 3.2: नमूना जांच के लिए चयनित शहरी स्थानीय निकायों की संख्या

| क्र.स. | शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी | राज्य में कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या | नमूना जांच के लिए चयनित शहरी स्थानीय निकायों की संख्या/प्रतिशत |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1      | नगर पालिक निगम                 | 14                                           | 5 (38 प्रतिशत)                                                 |
| 2      | नगर पालिका परिषद               | 43                                           | 6 (14 प्रतिशत)                                                 |
| 3      | नगर पंचायत                     | 112                                          | 5 (5 प्रतिशत)                                                  |
|        | <b>कुल</b>                     | <b>169</b>                                   | <b>16</b>                                                      |

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए आयडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सरल यादृच्छिक नमूनाकरण (राजस्व प्रभाग के अनुसार) लागू करते हुए सभी तीन स्तरों से 16 शहरी स्थानीय निकायों<sup>3</sup> का चयन किया गया। प्रत्येक राजस्व प्रभाग (पांच) का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय के प्रत्येक स्तर से नमूने लिए गए।

### 3.1.6 लेखापरीक्षा की पद्धति

सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ 08 अगस्त 2022 को आगम बैठक आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य और मानदंड के संबंध में जानकारी दी गई। लेखापरीक्षा पद्धति में अभिलेखों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर, नगरपालिका अधिकारी/कर्मचारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन और फोटोग्राफिक साक्ष्य एकत्र करना शामिल था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए निर्गम बैठक (7 अगस्त 2023) आयोजित की गई और शासन द्वारा व्यक्त किए गए

<sup>3</sup> नगर पालिक निगम – रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर, जगदलपुर और भिलाई-चरौदा, नगर पालिका परिषद– कांकेर, भाटापारा, कुम्हारी, जांजगीर-नैला, कटघोरा एवं जशपुर, नगर पंचायत– फरसगांव, राजिम, नवागढ़ पाली एवं पथलगांव



विचारों/अभिव्यक्ति/उत्तरों को प्रारूप प्रतिवेदन में शामिल किया गया। संशोधित प्रतिवेदन राज्य शासन को नवम्बर 2024 में जारी किया था जिसका उत्तर अपेक्षित है।

### 3.1.7 छत्तीसगढ़ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्यान्वयन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11(ए) के अनुसार, प्रत्येक राज्य में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को राज्य के लिए "राज्य की नीति" और "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति" तैयार करनी होगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में, राज्य शासन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति तैयार की और उसे स्वीकृति (जून 2018) दी। राज्य की नीति के अनुसार, राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ठोस-तरल-संसाधन-प्रबंधन (एसएलआरएम), कचरे के पृथक्करण और पुनर्चक्रण का कम लागत वाला मॉडल जो कि अंबिकापुर (अंबिकापुर मॉडल<sup>4</sup>) में संचालित है, पर आधारित होगा। यह कम लागत वाला मॉडल राज्य में एक लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकाय में कचरे की मात्रा के लिए इसकी प्रभावशील लागत को देखते हुए "मिशन क्लीन सिटी (एमसीसी)" के रूप में लागू (सितंबर 2016) किया गया। एमसीसी को प्रारंभ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 158 शहरी स्थानीय निकायों में लागू करना प्रस्तावित था तथा रायपुर, बिलासपुर और भिलाई जैसे बड़े नगर पालिक निगमों के लिए पृथक् से रणनीति तैयार की जानी थी। अंततः 169 शहरी स्थानीय निकायों में से 167 में एमसीसी को अपनाया गया और बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पादन और अपर्याप्त सफाई कर्मचारियों की अनुपलब्धता को देखते हुए नगर पालिक निगम, रायपुर और बिलासपुर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा (आईएसडब्ल्यूएमएफ) पर आधारित पद्धति को अपनाया गया।

मिशन क्लीन सिटी मॉडल के अंतर्गत, स्रोत पर अलग किए गए कचरे को महिला स्व-सहायता समूहों/ठेकेदारों द्वारा तिपहिया, ई-रिक्शा, मिनी टिपर पर डोर-टू-डोर जाकर एकत्र किया जाना था और द्वितीयक पृथक्करण के लिए एसएलआरएम केंद्रों पर लाया जाना था। एमसीसी के अंतर्गत 'गीले कचरे' की खाद बनाकर और 'सूखे कचरे' को पुनर्चक्रित करके कचरे के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना था, जिससे अस्वीकृत कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। राज्य में एमसीसी के तहत अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया नीचे दर्शाई गई है:

---

<sup>4</sup> अंबिकापुर मॉडल में प्रावधान है कि स्रोत (अपशिष्ट उत्पादक) पर प्राथमिक पृथक्करण के बाद एकत्रित ठोस अपशिष्ट को ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन (एसएलआरएम) केन्द्र में ले जाया जायेगा।



### 3.1.8 नगर पालिक निगम, रायपुर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा (आईएसडब्ल्यूएमएफ)

राज्य शासन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिन दो नगर पालिक निगमों में आईएसडब्ल्यूएमएफ को अपनाया, उनमें से नगर पालिक निगम, रायपुर को लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जांच के लिए चयन किया गया। आईएसडब्ल्यूएमएफ की स्थापना के लिए नगर पालिक निगम, रायपुर एवं मेसर्स दिल्ली एमएसडब्ल्यू सोल्यूशन लिमिटेड<sup>5</sup> के मध्य 15 वर्ष की अवधि (रियायती अवधि) हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर (फरवरी 2018) किये गये। डिजाइन, वित्त, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (डीएफबीओटी) मॉडल के अंतर्गत परियोजना नियोजित एवं क्रियान्वित की गई। कार्य के अंतर्गत— **अ.** संग्रहण और परिवहन, **ब.** अपशिष्ट प्रसंस्करण और संबंधित कार्य **स.** सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और **द.** लोक शिकायत निवारण प्रणाली शामिल थे।

आईएसडब्ल्यूएमएफ के अंतर्गत, नगर पालिक निगम, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पृथक किए गए ठोस कचरे को घरों, होटलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, बाजारों और रेहड़ी-पटरी वालों से डोर-टू-डोर एकत्र किया जाना था और मिनी टिपर द्वारा संबंधित क्षेत्रों में स्थापित 10 ट्रांसफर स्टेशनों तक लाया जाना था। इन ट्रांसफर स्टेशनों पर पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक, धातु और घरेलू हानिकारक कचरे के द्वितीयक पृथक्करण के बाद, कचरे को रायपुर शहर के बाहर सकरी में स्थापित आईएसडब्ल्यूएमएफ में ले जाया जाना था।

<sup>5</sup> निदेशालय, शहरी विकास विभाग ने नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर से सिस्टम टेंडर संख्या 20793 दिनांक 14.08.2017 के माध्यम से प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित किया। सफल निविदाकरता मेसर्स दिल्ली एमएसडब्ल्यू सोल्यूशन लिमिटेड को 17.11.2017 को कार्यादेश जारी किया गया।

आईएसडब्ल्यूएमएफ में टिपिंग फ्लोर<sup>6</sup>, कम्पोस्टिंग शेड, ट्रॉमेल मशीन<sup>7</sup>, सैनिटरी लैंड फिल, लीचेट<sup>8</sup> तालाब और परीक्षण प्रयोगशाला शामिल है। जैव-अपघटनीय अपशिष्ट को विंडरो कंपोस्टिंग<sup>9</sup> के माध्यम से संसाधित किया जाता है। कचरे के पुनर्चक्रण योग्य भाग को पुनर्चक्रणकर्ता को और अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ) को सीमेंट कारखाने को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त अवशेष (इनर्ट<sup>10</sup>) को वैज्ञानिक भूमि भरण (साईटिफिक लैंडफिल) में निपटान किया जाता है। आईएसडब्ल्यूएमएफ के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया को नीचे दर्शाया गया है।



## 3.2 वित्तीय प्रबंधन

### 3.2.1 बजट प्रावधान और निधि का आवंटन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 (x) के अनुसार, स्थानीय निकायों को वार्षिक बजट में पूंजी निवेश के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के संचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त निधि का प्रावधान करना होगा। नियम में आगे प्रावधान है कि

- <sup>6</sup> टिपिंग फ्लोर एक अभेद्य सतह से बना एक बंद फर्श है, जिस पर संग्रहण कंटेनर या वाहन से ठोस अपशिष्ट डाला जाता है।
- <sup>7</sup> ट्रॉमेल मशीन एक यांत्रिक स्क्रीनिंग मशीन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खनिज ओर ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योगों में सामग्रियों को अलग करने के लिए किया जाता है।
- <sup>8</sup> निक्षालन (लीचेट) को दूषित तरल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल से होकर रिसने वाले पानी से उत्पन्न होता है, तथा प्रदूषकों को एकत्रित करता है, तथा सतही क्षेत्रों में चला जाता है।
- <sup>9</sup> विंड्रो कम्पोस्ट बनाने में जैविक अपशिष्ट को "विंड्रो" नामक लम्बी ढेरियों की पंक्तियों में बनाना और ढेरों को समय-समय पर मैन्युअल रूप से या यांत्रिक रूप से घुमाकर हवा देना शामिल है।
- <sup>10</sup> इनर्ट का अर्थ है, ऐसे अपशिष्ट जो न तो जैविक रूप से विघटित होता हैं, न ही पुनर्चक्रण के लायक या जलने योग्य होता है। इसमें सड़क की सफाई से निकली धूल, सतही नालियों से निकाली गई गाद या ऐसे अपशिष्ट शामिल होते हैं जो रासायनिक और जैविक रूप से गैर-क्रियाशील होता है।

स्थानीय निकाय के विवेकाधीन कार्यों हेतु धनराशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्थानीय निकाय के अन्य अनिवार्य कार्यों के लिए धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के बाद ही आवंटित किया जावेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), 14वें और 15वें केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) के अंतर्गत प्राप्त केंद्रीय निधि निर्धारित मानदंडों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को जारी की गई थी। विगत पांच वर्षों के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न केंद्रीय अनुदानों के तहत जारी कुल निधि निम्नानुसार है:

**तालिका 3.3: एसबीएम, 14वें एवं 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त कुल केंद्रीय निधि**

(₹ लाख में)

| केंद्रीय अनुदान           | 2017-18  | 2018-19  | 2019-20  | 2020-21  | 2021-22  |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| एसबीएम केन्द्रांश         | 8813.02  | 9911.75  | 6192.96  | 2192.79  | 3506.55  |
| एसबीएम राज्यांश           |          |          |          |          |          |
| 14वें केंद्रीय वित्त आयोग | 24380.00 | 22747.50 | 50612.50 | 00       | 00       |
| 15वें केंद्रीय वित्त आयोग | 00       | 00       | 00       | 35000.00 | 53350.00 |

(स्रोत: सूडा द्वारा प्रदत्त जानकारी)

सूडा के द्वारा समय-समय पर शहरी स्थानीय निकायों की आवश्यकता के अनुसार अवसंरचनात्मक क्षमता के निर्माण, जैसे कि एसएलआरएम केन्द्र, कम्पोस्ट शेड, कम्पोस्ट मशीन, फटका मशीन, बेलिंग मशीन, तथा स्व-सहायता समूह के सदस्यों को मानदेय के लिए शहरी स्थानीय निकायों को जारी की गई निधि के विरुद्ध, वित्तीय स्वीकृति जारी की।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

**तालिका 3.4: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को जारी की गई धनराशि**

(₹ लाख में)

| निधि का स्रोत             | 2017-18        | 2018-19        | 2019-20        | 2020-21         | 2021-22         |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| एसबीएम केन्द्रांश         | 3081.70        | 4570.75        | 2013.67        | 489.51          | 1792.65         |
| एसबीएम राज्यांश           | 1343.68        | 1229.16        | 675.92         | 23.32           | 705.37          |
| 14वें केंद्रीय वित्त आयोग | 1106.67        | 1955.50        | 2136.24        | 7615.03         | 2129.83         |
| 15वें केंद्रीय वित्त आयोग | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 8750.00         | 14255.00        |
| अधोसंरचना मद              | 89.92          | 0.00           | 30.00          | 0.00            | 0.00            |
| चुंगी क्षतिपूर्ति         | 1621.65        | 1859.52        | 3480.78        | 6200.64         | 6519.96         |
| <b>योग</b>                | <b>7243.61</b> | <b>9614.93</b> | <b>8336.61</b> | <b>23078.50</b> | <b>25402.81</b> |

(स्रोत: सूडा द्वारा प्रदत्त जानकारी, एसबीएम की धनराशि सूडा के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को जारी की गई, जबकि शेष धनराशि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी की गई।)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एसबीएम, 14वें और 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को जारी कुल निधि के घटकों में से एक है। चूंकि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई विशेष बजट प्रावधान नहीं किया गया है, अतः न

तो सूझा और न ही चयनित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत व्यय के आंकड़े उपलब्ध कराया जा सका।

उपरोक्त निधियों के अलावा, राज्य शासन ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान योजना शीर्ष-7948 के अंतर्गत अनुदान संख्या 81-शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ₹ 3369.20 लाख का विशिष्ट बजट प्रावधान किया। राज्य शासन द्वारा ₹ 3369.20 लाख के बजट प्रावधान में से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को ₹ 2369.20 लाख जारी किए गए। यद्यपि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्राप्त धनराशि शहरी स्थानीय निकायों को जारी नहीं की गई, अपितु निधि को व्यपगत होने से बचाने के लिए एक अलग खाते में स्थानांतरित कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, शासन ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2023) कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पास उपलब्ध निधि का उपयोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जाएगा या ब्याज सहित वापस किया जाएगा।

### 3.2.1.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त निधि का प्रावधान न होना

नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा मेसर्स दिल्ली एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशन लिमिटेड, हैदराबाद के साथ डीएफबीओटी के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 15 वर्षों के लिए एक "रियायती अनुबंध"<sup>11</sup> किया गया (फरवरी 2018)।

अनुबंध के खंड 7.1.(सी) के अनुसार, ठेकेदार द्वारा पिछले महीने के दौरान भारित ठोस अपशिष्ट के कुल टन भार और प्रसंस्करण वजन का एक समेकित विवरण, भुगतान के लिए शहरी स्थानीय निकायों को मासिक चालान के साथ चालू महीने की 7 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि रियायती अनुबंध के अंतर्गत, ठेकेदार ने मई 2018 से अक्टूबर 2022 की अवधि के लिए ₹ 160.48 करोड़ के भुगतान का दावा किया था, जिसके विरुद्ध नगर पालिक निगम, रायपुर ने केवल ₹ 89.85 करोड़ का भुगतान किया और शेष ₹ 70.63 करोड़ का भुगतान (परिशिष्ट 3.1) अक्टूबर 2022 तक बकाया था।

यह उल्लेख करना उचित है कि अनुबंध की शर्त (कंडिका 7.3 ए) के अनुसार, ठेकेदार को भुगतान में किसी भी प्रकार के विलंब हेतु नगर पालिक निगम, रायपुर 12 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार, ठेकेदार को भुगतान में विलंब के कारण नगर पालिक निगम, रायपुर पर ब्याज के रूप में ₹ 54.56 लाख (जून 2021 तक) की देनदारी तय होता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भुगतान के लिए संविदागत उत्तरदायित्व होने के बावजूद, नगर पालिक निगम, रायपुर ने नियमित बजट में निधियों का कोई प्रावधान नहीं किया। परिणामस्वरूप, एजेंसी को नियमित मासिक भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि मेसर्स दिल्ली एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशन लिमिटेड को आपसी सहमति के तहत बिना किसी दंडात्मक ब्याज के सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। हालाँकि, इस संबंध में उत्तर के समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

<sup>11</sup> इस समझौते के अनुसार, शासन (यहां आरएमसी) किसी इकाई को एक विशिष्ट अवधि के लिए एक सुविधा (डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रह, परिवहन संचालन, अपशिष्ट प्रसंस्करण और लैंडफिल संचालन करने के लिए रियायतकर्ता) का निर्माण और संचालन करने के लिए विशिष्ट अधिकारों को परिभाषित और मंजूरी प्रदान करती है।

### 3.2.2 शहरी स्थानीय निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वित्तीय स्थिरता

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल (एमएसडब्ल्यूएम) 2016 के खंड 1.4.5.6.1 और 2 के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएँ तभी स्थायी होती हैं जब वे एकल आधार पर व्यवहार्य में हों। इसलिए, वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन एमएसडब्ल्यूएम प्रणाली में नियोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, उन्नत एमएसडब्ल्यूएम प्रणाली की योजना सटीक वित्तीय गणनाओं पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें छिपी हुई लागतों और राजस्व सहित सभी प्रासंगिक लागतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नियोजन प्रक्रिया के भीतर यह महत्वपूर्ण कार्य एमएसडब्ल्यूएम प्रणाली की वित्तीय व्यवहार्यता और दीर्घावधि में इसकी स्थिरता सुनिश्चित करना है।

शहरी स्थानीय निकायों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी लागत में मुख्य रूप से पूंजीगत लागत और परिचालन लागत शामिल है। शहरी स्थानीय निकायों में एसडब्ल्यूएम की परिचालन लागत में मुख्य रूप से संचालन और रखरखाव लागत, नवीनीकरण लागत और एमएसडब्ल्यू के प्रबंधन के दैनिक खर्च शामिल हैं। चूंकि एमसीसी के दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि खाद और पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट की बिक्री से होने वाली आय संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को प्राप्त होगी, इसलिए शहरी स्थानीय निकायों के परिचालन राजस्व में केवल उपभोक्ता प्रभार शामिल हैं।

शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्य शासन द्वारा प्रकाशित (मार्च 2021) एसएलबी के अनुसार, 15 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं में लागत वसूली 100 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध 16 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक थी और नगर पंचायत, नवागढ़ में लागत वसूली 146 प्रतिशत थी।

सात शहरी स्थानीय निकायों (परिशिष्ट 3.2) से प्राप्त परिचालन व्यय और परिचालन राजस्व के आंकड़ों की जांच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2017–2022 के राजस्व प्राप्तियां, परिचालन व्यय का केवल एक से 57 प्रतिशत था। शेष नौ<sup>12</sup> शहरी स्थानीय निकायों द्वारा परिचालन व्यय और परिचालन राजस्व के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे लेखापरीक्षा द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वित्तीय स्थिरता का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, उपलब्ध कराए गए और एसएलबी अधिसूचना में प्रकाशित आंकड़ों में भी विसंगति पायी गयी।

इसके अलावा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्देश (अगस्त 2017) जारी किया गया कि प्रारम्भिक छः महीनों के लिए मानदेय<sup>13</sup> राशि का 46 प्रतिशत एसबीएम से केंद्रांश और राज्यांश के रूप में प्रदान किया जाएगा और शेष उपभोक्ता प्रभार से पूरा किया जाएगा। हालांकि लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि छः महीने बाद भी, सूडा द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान, अधोसंरचना और चुंगी क्षतिपूर्ति मद (चुंगी शुल्क) से केंद्रांश, राज्यांश और शहरी स्थानीय निकायों के अंशदान के लिए राशि प्रदान की जा रही थी। सूडा द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, मानदेय के रूप में भुगतान के लिए ₹ 268.58 करोड़ स्वीकृत किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है। इस प्रकार, उपभोक्ता प्रभार के रूप में एकत्रित राजस्व प्राप्तियां शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी परिचालन व्यय

<sup>12</sup> नगरपालिका—निगम कोरबा, नगरपालिका परिषद— जांजगीर—नैला, भाटापारा, कटघोरा, जशपुर, नगर पंचायत— पथलगांव, राजिम, पाली, फरसगांव

<sup>13</sup> एमसीसी के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगे स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को ₹ 5000/— प्रति सदस्य/प्रतिमाह (27 जुलाई 2019 से ₹ 6000/— की दर से) मानदेय।



को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं, इससे लम्बे समय तक इसकी स्थिरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया गया (अगस्त 2023) कि शहरी स्थानीय निकायों में उपभोक्ता प्रभार का संग्रहण इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए शासन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। आगे यह भी बताया गया कि एमसीसी एक परिवर्तनकाल में है और इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए समय की आवश्यकता है।

### 3.2.3 उपभोक्ता प्रभार की मांग और संग्रहण के तंत्र में कमियां

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना (जुलाई 2017 और दिसंबर 2017) जिसमें नगर पालिकाओं और नगर पालिक निगमों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वित्तीय स्थिरता के लिए शहरी स्थानीय निकायों की ओर से एसएचजी द्वारा एकत्र किए जाने वाले उपभोक्ता प्रभार की श्रेणीवार दरें निर्धारित की गईं। उपभोक्ता प्रभार के निर्धारण के लिए अपनाए गए मानदंड थे: घरों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/सरकारी और निजी कार्यालयों/सब्जी और फल विक्रेताओं के लिए क्षेत्र, रेस्तरां में बैठने की क्षमता, होटलों और लॉज के लिए कमरों की संख्या, स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों का मानक, सरकारी/निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम की बिस्तर क्षमता, क्लीनिक/पैथोलॉजी/मल्टीप्लेक्स/फन पार्क/ब्यूटी पार्लर/हॉस्टल के लिए निर्धारित दर आदि तथा अधिसूचना जारी की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के बाद इनकी दरों में वृद्धि की जानी थी।

इसी तरह, एमसीसी में प्रावधान है कि स्व-सहायता समूह के सदस्य (सफाई मित्र) डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के दौरान कचरा उत्पादकों से उपभोक्ता प्रभार एकत्र करेंगे और इसे अपने संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के पास जमा करेंगे। उपभोक्ता प्रभार के लिए मांग पंजी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया जाएगा और संग्रहण की आवश्यक प्रविष्टि एसएचजी द्वारा प्रस्तुत काउंटर रसीदों से की जाएगी।

लेखापरीक्षा के दौरान, चयनित कुल 16 शहरी स्थानीय निकायों में से 12 द्वारा विगत पांच वर्षों में उपभोक्ता प्रभार के वर्षवार मांग के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये जा सके। शेष चार शहरी स्थानीय निकायों ने मांग के असंगत आंकड़े उपलब्ध कराए, जिसमें पिछले वर्षों की बकाया राशि शामिल नहीं थी। इसके अलावा, 16 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी मांग पंजी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया। जो यह दर्शाता है कि इन 16 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में उपभोक्ता प्रभार का आकलन और मांग पंजी तैयार करना सुनिश्चित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 16 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से 13 में स्व-सहायता समूहों के सदस्य उपभोक्ता प्रभार का संग्रहण कर रहे थे। शेष तीन<sup>14</sup> शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर के साथ उपभोक्ता प्रभार की वसूली की जा रही थी। परिणामस्वरूप, विभिन्न श्रेणियों के कचरा उत्पादकों<sup>15</sup> जो संपत्ति कर के दायरे में नहीं आते थे/भुगतान से छूट प्राप्त नहीं थे, उनसे उपभोक्ता प्रभार वसूल नहीं किया गया। वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान, 16 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में कुल ₹ 37.43 करोड़ (तालिका 3.5) का उपभोक्ता प्रभार संग्रहित किया गया जिसमें से 13 नमूना जांच शहरी स्थानीय निकायों में स्व-सहायता समूह के सदस्यों द्वारा ₹ 9.79 करोड़ संग्रहित

<sup>14</sup> नगरपालिक निगम-रायपुर, कोरबा और जगदलपुर

<sup>15</sup> शासकीय स्कूल/कॉलेज, कार्यालय, आवासीय परिसर, अस्पताल, धार्मिक संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्ट्रीट वेंडर आदि।

किया गया तथा तीन शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर के साथ ₹ 27.63 करोड़ संग्रहित किया गया। जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया है:

**तालिका 3.5: नमूना जांच शहरी स्थानीय निकायों में उपभोक्ता प्रभार संग्रहण**

(₹ लाख में)

| वर्ष                                              | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| संपत्ति कर के साथ संग्रहित उपभोक्ता प्रभार        | 69.28   | 170.62  | 227.45  | 253.16  | 2042.90 |
| स्व-सहायता समूहों द्वारा संग्रहित उपभोक्ता प्रभार | 128.73  | 189.76  | 216.15  | 216.07  | 228.75  |

(स्रोत: चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

यद्यपि इस अवधि में उपभोक्ता प्रभारों के संग्रहण में वृद्धि हुई, लेकिन इन शहरी स्थानीय निकायों में मांग के आकलन, उपभोक्ता प्रभारों के संग्रहण और संबंधित अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित तंत्र के अभाव के कारण लेखापरीक्षा, के दौरान उपभोक्ता प्रभारों के संग्रहण में दक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

तथापि, राज्य शासन द्वारा प्रकाशित एसएलबी के आंकड़ों के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभारों के संग्रहण में दक्षता 100 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध 23 से 77 प्रतिशत के बीच रही।

निर्गम बैठक (अगस्त 2023) में, राज्य शासन ने कहा कि सभी प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से उपभोक्ता प्रभार के संग्रहण एवं उचित लेखांकन के लिए स्पष्टीकरण के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक दिशानिर्देश भी जारी किए जाएंगे।

### 3.3 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीति और योजना

#### 3.3.1 सलाहकार बोर्ड में हितधारकों का प्रतिनिधित्व

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11 (ए) में प्रावधान है कि संबंधित विभाग इन नियमों के अनुरूप अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अपशिष्ट बीनने वालों, स्व-सहायता समूहों और इसी प्रकार के समूहों के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के परामर्श से राज्य के लिए एक राज्य नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति तैयार करेगा, जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख (अप्रैल 2016) से एक वर्ष के भीतर तैयार की जाएगी।

उक्त प्रावधान के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने, राज्य नीति के अंतर्गत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंबिकापुर मॉडल को "मिशन क्लीन सिटी" (एमसीसी) के नाम से शुरुआत किया (सितंबर 2016)। शासन द्वारा एमसीसी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रकाशित की गई (जनवरी 2017) और सभी शहरी स्थानीय निकायों को 1 मार्च 2017 से मिशन को लागू करने का निर्देश दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकायों के तीन प्रतिनिधि, शहरी समुदाय के दो प्रतिनिधि और स्व-सहायता समूहों, कचरा बीनने वालों, औद्योगिक प्रतिनिधियों, रिसाइकिल उद्योग प्रत्येक से एक प्रतिनिधि और दो क्षेत्रीय विशेषज्ञों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड (एसएलएबी) की बैठक के



दौरान सुनिश्चित नहीं किया गया था, जैसा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में आवश्यक था। यह दर्शाता है कि राज्य नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति हितधारकों के साथ आवश्यक परामर्श किये बिना ही तैयार की गई।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि योजना और कार्यान्वयन के चरणों के दौरान विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श सुनिश्चित किया गया है। हितधारकों के साथ कार्यशालाएँ और संगोष्ठियाँ भी आयोजित की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें सभी हितधारकों जैसे कि भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, स्व-सहायता समूहों, कचरा बीनने वालों, औद्योगिक प्रतिनिधियों, रीसाइकिल उद्योग आदि का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया था जैसा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत अपेक्षित था।

### **3.3.2 अपशिष्ट का उत्पादन और मूल्यांकन**

एमएसडब्ल्यूएम मैनुअल, 2016 की कंडिका 1.4.3.3 में प्रावधान है कि एमएसडब्ल्यूएम प्रणालियों की योजना बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से डिजाइन करने के लिए प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा और संरचना का आकलन करना अनिवार्य है। शहरी स्थानीय निकाय में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की मात्रा और संरचना के अंतर्गत संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान जैसे विकल्पों का निर्धारण कर अपनाया जा सकता है। ये जनसंख्या, जनसांख्यिकीय विवरण, शहर या कस्बे में प्रमुख गतिविधियों, आय स्तर और समुदाय की जीवनशैली आदि पर निर्भर हैं।

#### **3.3.2.1 शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर अपशिष्ट का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन**

एमसीसी दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि सभी घरेलू/वाणिज्यिक दुकानों/अत्यधिक कचरा उत्पन्न करने वालों का सर्वेक्षण स्व-सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा, तथा शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर जानकारी संकलित की जाएगी। शहरी स्थानीय निकाय उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर डीपीआर तैयार करेंगे।

नमूना जाँच किए गए सभी शहरी स्थानीय निकायों ने बताया कि 2017 में सर्वेक्षण किया गया था, तथापि, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर के अलावा किसी भी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रदान नहीं किया गया। इसलिए, सर्वेक्षण प्रतिवेदन की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट उत्पादन का आकलन और मात्रा का निर्धारण किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि सर्वेक्षण कराया गया था तथा आंकड़े एमआईएस में उपलब्ध हैं।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि बार-बार अनुरोध के बावजूद एमआईएस के आंकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। इसके अलावा, सभी घरों, वाणिज्यिक दुकानों और अत्यधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों आदि के वर्तमान आंकड़ों को एकत्र करने के बाद प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में वार्ड वार सर्वेक्षण के आधार पर अपशिष्ट का आकलन और मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया। इसके बजाय, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईआईआ) फॉर्मूले का पालन करते हुए 2011 की जनगणना की जनसंख्या पर औसत प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

### 3.3.2.2 भविष्य में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का अनुमान और क्षमता विकास के लिए विश्लेषण

एमएसडब्ल्यूएम मैनुअल 2016 की कंडिका 1.4.5.1 में भविष्य में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और संरचना का अनुमान लगाने का प्रावधान है जो एमएसडब्ल्यूएम योजना विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण, उपचार या निपटान परियोजनाओं के लिए योजना आमतौर पर सुविधा की प्रकृति के आधार पर 20–30 वर्षों तक विस्तारित होता है। भविष्य में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन का पूर्वानुमान विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे:

- भविष्य की जनसंख्या पूर्वानुमान,
- अपेक्षित जीवनशैली में परिवर्तन, और
- शहरी स्थानीय निकाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में परिवर्तन।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि न तो एमसीसी के दिशा-निर्देशों में और न ही एमसीसी के एसओपी में शहरी स्थानीय निकाय या राज्य में अपशिष्ट के भविष्य के अनुमान के लिए कोई प्रक्रिया या डिजाइन प्रदान किया गया।

एमएसडब्ल्यूएम मैनुअल 2016 की कंडिका 1.4.3.3 में दर्शाया गया है कि प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन में प्रति वर्ष लगभग 1.3 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या में 3.0 से 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है, नगरपालिका अपशिष्ट में वार्षिक वृद्धि 5 प्रतिशत प्रति वर्ष मानी जा सकती है।

नमूना जांच की गई 16 शहरी स्थानीय निकायों की वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट<sup>16</sup> की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 शहरी स्थानीय निकायों (परिशिष्ट 3.5) ने क्रमिक आगामी वर्षों की तुलना में आधार वर्ष (2017–18) के लिए जनसंख्या का आकलन किये बिना वर्तमान वर्ष की बजाय वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आंकड़े लिये और शेष चार शहरी स्थानीय निकायों में, केवल एक से 1.8 प्रतिशत के बीच जनसंख्या वृद्धि दर्शायी गई।

इससे पता चलता है कि 12 शहरी स्थानीय निकायों में जनसंख्या वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि का आकलन नहीं किया गया, जिससे कि भविष्य में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन और विकास क्षमता का पूर्वानुमान लगाया जा सके।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि एमसीसी, सीपीएचईईओ मानदंडों के आधार पर लघु और दीर्घकालिक योजना के व्यापक दृष्टिकोण का पालन करती है। हालाँकि, भविष्य में अपशिष्ट उत्पादन और क्षमता विकास सुनिश्चित करने के लिए एसबीएम 2.0 कार्य योजना तैयार की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार भविष्य में अपशिष्ट के अनुमान के लिए विशिष्ट डिजाइन अवधि की आवश्यकता होती है, लेकिन एमसीसी ने राज्य या शहरी स्थानीय निकायों के लिए कोई डिजाइन अवधि निर्धारित नहीं की। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकाय अभी भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में वर्तमान जनसंख्या के बजाय 2011 की जनगणना की जनसंख्या ही दर्शा रहे हैं। जो यह दर्शाता है कि

<sup>16</sup> ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 (जेडए) के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रोफार्मा-iv में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निर्धारित जनसंख्या वृद्धि और आनुपातिक अपशिष्ट उत्पादन का आकलन नहीं किया गया।

### 3.3.3 अपशिष्ट की संरचना का निर्धारण और अपशिष्ट विशिष्ट निपटान योजना

जैसा कि एमएसडब्ल्यूएम मैनुअल, 2016 की कंडिका 1.4.3.3 में निर्धारित है, प्रत्येक श्रेणी के उत्पन्न अपशिष्ट के संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए विकल्पों की योजना बनाने और निर्धारित करने के लिए अपशिष्ट की संरचना का आकलन आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमसीसी ने संरचना को दो श्रेणियों में सीमित कर दिया, अर्थात् जैविक और अजैविक अपशिष्ट। परिणामस्वरूप, एमसीसी विभिन्न प्रकार के अजैविक अपशिष्टों जो या तो गैर-पुनर्चक्रणीय हैं या जिनका कोई भौतिक मूल्य नहीं है, जैसे,

1. विभिन्न खाद्य पदार्थों के धातु लेपित प्लास्टिक आवरण (पुनर्चक्रण योग्य नहीं)।
2. एकल उपयोग प्लास्टिक जिसका कोई भौतिक मूल्य नहीं
3. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू)
4. मांस बाजार से निकलने वाला कचरा
5. घरेलू हानिकारक अपशिष्ट (डीएचडब्ल्यू)
6. नाली की सफाई से निकला गाद और मिश्रित अपशिष्ट
7. सड़क सफाई से निकलने वाला निष्क्रिय अपशिष्ट

नमूना जांच किए गए 15 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी में भी उपरोक्त अपशिष्टों के लिए आवश्यक विभिन्न निपटान सुविधाएं जैसे कि ऊर्जा संयंत्र, भस्मीकरण संयंत्र, भूमी-भरण सुविधा आदि नियोजित/स्थापित नहीं की गई थी। इसलिए, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 'उपर्युक्त श्रेणी के ठोस अपशिष्ट' का वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित नहीं किया गया।

नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में लेखापरीक्षा ने पाया कि विशिष्ट कार्य योजना के अभाव में इस प्रकार के कचरे को अलग नहीं किया जा रहा था तथा मिश्रित कचरे को डंप स्थलों<sup>17</sup> पर ढेर लगाया जा रहा था, जैसा कि पैरा 3.4.2.2(ए) और पैरा 3.4.2.2(बी) के फोटोग्राफ में दर्शाया गया है। इस प्रणाली के तहत मांस बाजार से निकलने वाले कचरे को एकत्र नहीं किया गया और ऊपर उल्लिखित क्रम संख्या 6 और 7 में उल्लिखित श्रेणियों के अपृथक्कीकृत कचरे का उपयोग शहरी स्थानीय निकाय<sup>18</sup> के निचले इलाकों को भरने के लिए किया जा रहा था या डंप स्थलों पर फेंका जा रहा है।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संक्रमण चरण में है और इस कमी की भरपाई एसबीएम-2.0 कार्ययोजना के अंतर्गत की जा रही है।

---

<sup>17</sup> नगरपालिक निगम— जगदलपुर, कोरबा, अंबिकापुर, नगर पालिका परिषद— पथलगांव, भाटापारा, राजिम, जशपुर, जांजगीर—नैला

<sup>18</sup> नगरपालिक निगम— कोरबा, जगदलपुर, नगर पालिका परिषद— कटघोरा, नवागढ़, जांजगीर—नैला, पथलगांव, भाटापारा, राजिम, जशपुर, नगर पंचायत— पाली

### 3.3.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए योजना/विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना

एमएसडब्ल्यूएम मैनुअल, 2016 की कंडिका 1 में बताया गया है कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एमएसडब्ल्यूएम) एक आवश्यक सेवा है और पूरे देश में नगरपालिका प्राधिकरण का एक अनिवार्य कार्य है। इसका अभी भी अनियोजित तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण का क्षरण हो रहा है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। यह स्पष्ट रूप से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एक रणनीतिक और विस्तृत एमएसडब्ल्यूएम योजना तैयार करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए एमएसडब्ल्यूएम योजना तैयार की जानी चाहिए।

एमसीसी दिशा-निर्देशों की कंडिका-3 के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) दो चरणों में तैयार किया जाना था। प्रथम चरण में, नोडल एजेंसी (सूडा) द्वारा मॉडल प्रारूप तैयार किया जाना था। शहरी स्थानीय निकाय के लिए डीपीआर, संचालनालय (तकनीकी सेल) द्वारा नियुक्त सलाहकार द्वारा तैयार किया जाना था, जिसमें रूट प्लान, एसएलआरएम केंद्रों के लिए ड्राइंग और डिजाइन, डस्टबिन की संख्या का निर्धारण, रिव्शा/अन्य वाहनों, उपकरण, मानव-बल, ड्यूटी चार्ट, आय-व्यय का आकलन और अन्य केंद्रीय/राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण जैसे बुनियादी विवरण शामिल किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सूडा द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए विशिष्ट डीपीआर-I या कोई विशिष्ट योजना (अल्पकालिक/दीर्घकालिक) अथवा नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एमसीसी के कार्यान्वयन के लिए तैयार नहीं की गई थी। इसके बजाय, शहरी स्थानीय निकायों को समय-समय पर संचालनालय द्वारा जारी एसओपी और अन्य निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया था। एसओपी में सभी त्रि-स्तरीय शहरी स्थानीय निकाय के लिए एसएलआरएम केंद्रों, खाद शेड, वाहनों, मानव-बल, एसएलआरएम केंद्रों के लिए मॉडल ड्राइंग और डिजाइन की संख्या को उनके स्थलाकृतिक और जनसांख्यिकीय अंतरों के बावजूद मानकीकृत किया गया। इस प्रकार, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय की रूपरेखा के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्षमता विकास का शहरी स्थानीय निकायों के दृष्टिकोण से विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकाय असंगत अवसंरचनात्मक क्षमता के साथ काम कर रहे थे, जिसकी चर्चा **कंडिका 3.5.1** में अलग से की गई है।

दिशा-निर्देशों में आगे दर्शाया गया है कि शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के आधार पर एसएलआरएम केंद्रों, कम्पोस्ट शेड, मानव-बल, मशीनरी/उपकरण आदि जैसे क्षमता विकास में कमी की पहचान करने के बाद डीपीआर का चरण-II तैयार किया जाएगा।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अवसंरचनात्मक क्षमता की कमी का पता लगाने हेतु विश्लेषण नहीं किया गया। जनसंख्या और अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु उसी या उससे कम क्षमता के साथ काम कर रहे थे, जो शुरु में (2017) स्वीकृत की गई थी। विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि एमसीसी को शहरी स्थानीय निकायों के लिए विशिष्ट डीपीआर के बिना पांच साल की अल्पावधि के लिए लागू किया गया था। अब इसे एसबीएम-2.0 कार्य योजना के तहत तैयार किया जा रहा है।

### 3.3.5 अपशिष्ट में कमी लाने के लिए कम करना, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण (3 आर) की कार्य योजना

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट मैनुअल (एमएसडब्ल्यूएम) 2016 (कंडिका 2.1) पर्यावरणीय प्राथमिकता के क्रम में विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन विकल्पों के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण निर्धारित करता है जिसमें 'रोकथाम' सबसे पसंदीदा विकल्प है और 'निपटान' सबसे कम पसंदीदा है। यह 3 आर (रीड्यूस रियुज और रिसाईकल) दृष्टिकोण से लगभग जुड़ा हुआ है, जो अपशिष्ट की मात्रा, हैंडलिंग से जुड़ी लागत और इसके पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा, एक कुशल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम हेतु रणनीति के बजाय, अपशिष्ट उत्पादकों और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के महत्वपूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। सूचना, शिक्षा और संचार (आईसीसी) व्यक्तियों और समुदायों में जोखिम कम करने वाले व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए एक बहुस्तरीय उपकरण है।

नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017-22 की अवधि में नौ शहरी स्थानीय निकायों में प्रति व्यक्ति वार्षिक अपशिष्ट उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, जबकि दो शहरी स्थानीय निकायों में यह स्थिर रहा। चार शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिक निगम रायपुर, नगर पालिका परिषद भाटापारा, कांकर, नगर पंचायत, पथलगांव) ने आवश्यक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये, जबकि केवल एक शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिका परिषद, कुम्हारी) ने प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन में कमी दर्शाई। वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान 16 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से 12 में प्रति व्यक्ति वार्षिक अपशिष्ट उत्पादन का विवरण निम्न तालिका 3.6 में दिया गया है:

**तालिका 3.6: वर्ष 2017-22 के दौरान 12 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन**

(ग्राम प्रति दिन)

| शहरी स्थानीय निकायों का नाम | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| न.पं. पाली                  | 56      | 62      | 62      | 71      | 105     |
| न.पा.प., जांजगीर-नैला       | 180     | 190     | 200     | 210     | 225     |
| न.पा.प., कुम्हारी           | 210     | 198     | 198     | 195     | 185     |
| न.पा.प., कटघोरा             | 180     | 190     | 185     | 200     | 230     |
| न.पं., राजिम                | 0*      | 60      | 60      | 60      | 60      |
| न.पा.नि., कोरबा             | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     |
| न.पं., नवागढ़               | 0.11    | 0.16    | 1.23    | 1.65    | 1.72    |
| न.पं., फरसगांव              | 200     | 200     | 200     | 200     | 250     |
| न.पा.नि., अंबिकापुर         | 280     | 300     | 310     | 320     | 320     |
| न.पा.प., जशपुरनगर           | 0*      | 243     | 247     | 251     | 256     |
| न.पा.नि., जगदलपुर           | 200     | 200     | 220     | 220     | 230     |
| न.पा.नि., भिलाई-चरौदा       | 116.02  | 127.76  | 137.58  | 144.98  | 149.56  |

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा द्वारा प्रदत्त जानकारी) \* डीएनएम- डेटा कायम नहीं रखा गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमसीसी का प्राथमिक रूप से ध्यान प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर एसएलआरएम केंद्रों के माध्यम से पृथक ठोस अपशिष्ट का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करना था। प्रति व्यक्ति अपशिष्ट की बढ़ती प्रवृत्ति, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह दर्शाती है कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 3 आर दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया।

राज्य शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, बर्तन बैंक, झोला बैंक, नेकी की दीवार आदि कचरे को कम करने के लिए किए गए कुछ प्रयास हैं। कचरे में कमी को अधिक बढ़ावा देने के लिए, विभाग ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में 500 बर्तन बैंक स्थापित करने के लिए धनराशि जारी की।

तथापि, प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति को देखते हुए जन जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से अधिक प्रयासों की आवश्यकता थी।

### 3.3.6 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को होने वाले खतरे का आकलन न किया जाना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंबिकापुर मॉडल पर आधारित एमसीसी में पृथक्कीकृत कचरे का डोर-टू-डोर संग्रहण शामिल है, जिसके बाद एसएचजी सदस्यों द्वारा मैन्युअल रूप से पुनर्चक्रण योग्य सूखे कचरे का अंतिम पृथक्करण और गीले कचरे का खाद बनाना है। पृथक्करण के बाद पुनर्चक्रण योग्य सूखा कचरा कबाड़ विक्रेता को बेच दिया जाता है। इसलिए, इस मॉडल को “जीरो भूमि भरण” कहा जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस मॉडल में संग्रहण और पृथक्करण की पूरी प्रक्रिया में स्व-सहायता समूहों के सदस्यों की सहायता से कचरे का मैन्युअल प्रबंधन शामिल था। वैज्ञानिक लैंडफिल साईट के अभाव में, असंसाधित कचरे को खुले क्षेत्रों में डंप किया जा रहा था, जो भूमि और जल चैनल में अपशिष्ट जल के रिसाव के कारण पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 11 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विविध नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के कारण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को होने वाले खतरे का कोई वास्तविक आकलन नहीं किया गया था। नगर पंचायत, फरसगांव ने बताया कि इस तरह का मूल्यांकन किया गया था और प्रतिबंधित वस्तुओं के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर दंडात्मक कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँच की गई किसी भी शहरी स्थानीय निकायों में एसएचजी सदस्यों की नियमित स्वास्थ्य जांच और निगरानी की व्यवस्था उपस्थित नहीं थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर राज्य शासन (विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग) ने इस तथ्य को स्वीकार किया (अगस्त 2023) है कि छत्तीसगढ़ में ठोस अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में कोई जोखिम मूल्यांकन नहीं किया गया है।

### 3.3.7 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया के साथ कूड़ा बीनने वालों (रैग पिकर्स) का एकीकरण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 11(सी) बताता है कि राज्य की नीतियों और रणनीतियों में कचरा बीनने वालों, कचरा संग्रहकर्ताओं के अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा निर्भाई जाने वाली प्राथमिक भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। नियम 15(सी) शहरी स्थानीय निकायों को कचरा बीनने वालों या अनौपचारिक कचरा संग्रहकर्ताओं के संगठनों को मान्यता देने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने और इन अधिकृत कचरा बीनने वालों और



कचरा संग्रहकर्ताओं के एकीकरण के लिए एक प्रणाली को बढ़ावा देने और स्थापित करने की सिफारिश करता है ताकि डोर-टू-डोर संग्रह सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जा सके।

राज्य शासन द्वारा कचरा बीनने वालों के कल्याण के लिए ‘रेग पिकर्स कल्याण योजना’ (2012) शुरू की गई। इस योजना में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कचरा बीनने वालों की पहचान के लिए सर्वेक्षण करने, उसके बाद पंजीकरण करने और पहचान पत्र जारी करने तथा उन्हें वित्तीय और भौतिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। एमसीसी, राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कचरा बीनने वालों को एकीकृत करने का भी प्रावधान करती है।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित 16 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल आठ में ही रेग-पिकर्स की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराया गया। इन आठ शहरी स्थानीय निकायों में से केवल तीन शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिक निगम, रायपुर, कोरबा और अंबिकापुर) द्वारा रेग-पिकर्स की सूची प्रदान की गई। दो शहरी स्थानीय निकायों में सर्वेक्षण के दौरान रेग-पिकर्स नहीं पाए गए, जबकि शेष तीन शहरी स्थानीय निकायों ने कोई जानकारी नहीं दी (परिशिष्ट 3.7)। इसके अलावा, केवल नगर पालिक निगम, रायपुर और कोरबा ने क्रमशः 154 और 110 रेग-पिकर्स को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ एकीकृत किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि रेग-पिकर्स को विधिवत पंजीकृत किया गया तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पहचान पत्र जारी किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में रेग-पिकर्स के अनौपचारिक क्षेत्र को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया के साथ एकीकृत करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए।

### 3.3.8 उल्लंघनकर्ताओं के लिए दंड का प्रावधान

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियम 15 (जेडएफ) बताता है कि स्थानीय निकाय उपनियम बनाएंगे तथा कूड़ा फैलाने वाले या इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने के लिए मानदंड निर्धारित करेंगे।

उपरोक्त नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन ने उक्त नियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने और शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए मानदंड निर्धारित करने हेतु उपनियमों को अधिसूचित (जनवरी 2019) किया।

यद्यपि, शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने की पुष्टि की है, तथापि दंडात्मक प्रावधान प्रभावी प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान नमूना जांच किये गये 16 शहरी स्थानीय निकायों क्षेत्रों में से 14<sup>19</sup> में स्रोत पर कचरे का पृथक्करण न किया जाना तथा सड़क किनारे कचरे को फेंका जाना पाया गया, जैसा कि निम्नलिखित फोटोग्राफ संख्या 3.3.8 (1) और 3.3.8 (2) में दर्शाया गया है।

<sup>19</sup> नमूना जांच किये गये 16 शहरी स्थानीय निकायों में से नगरपालिक निगम, अंबिकापुर और नगर पंचायत, फरसगांव को छोड़कर।

|                                                                                                                |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                         |
| <p><b>3.3.8(1)– नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला में बाजार क्षेत्र में कचरे का डंपिंग (दिनांक 27.09.2022)</b></p> | <p><b>3.3.8(2)– नगर पालिका परिषद कटघोरा में आवासीय क्षेत्र में कचरे का डंपिंग (दिनांक 20.09.2022)</b></p> |

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों से संबंधित अपराधों और उल्लंघनों का अभिलेख सावधानीपूर्वक बनाए रखा है। इसके अलावा, दंडात्मक प्रावधान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने में प्रभावी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अधिसूचित उपनियमों को संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नागरिक स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका।

### 3.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान

एमसीसी के अनुसार, प्राथमिक रूप से पृथक्कीकृत अपशिष्ट जो कि डोर-टू-डोर संग्रहण से अलग-अलग गीले और सूखे भागों में दोहरे बिन प्रणाली के माध्यम से प्रतिदिन एकत्र किया जाएगा और इसे कम्पार्टमेंटलाइज्ड ट्राइसाइकिल, ई-रिक्शा, मिनी-टिप्स द्वारा निकटतम मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) जिसे एसएलआरएम केन्द्र के नाम से भी जाना जाता है, अंतिम पृथक्करण हेतु ले जाया जाएगा। कचरे के जैविक भाग (गीले अंश) का उपयोग, कम्पोस्ट शेड में जैविक खाद तैयार करने के लिए किया जाएगा और अजैविक भाग (सूखे अंश) को 20 उप-श्रेणियों<sup>20</sup> में कचरे के गुणों के आधार पर पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, उपचार और वैज्ञानिक निपटान के लिए अलग किया जाएगा। पुनर्चक्रण योग्य कचरे को कचरा पुनर्चक्रणकर्ताओं को बेचा जाएगा और गैर-पुनर्चक्रण योग्य कचरे को वैकल्पिक ईंधन और कच्चे माल (एफआर) के रूप में सीमेंट कारखानों को भेजा जाएगा।

<sup>20</sup> 1. कागज 2. प्लास्टिक आयटम 3. प्लास्टिक कवर 4. कार्डबोर्ड 5. कांच की वस्तुएं 6. धातु की वस्तुएं 7. रबर की वस्तुएं 8. चमड़े की वस्तुएं 9. एल्यूमिनियम कोटेड कागज 10. एल्यूमिनियम कोटेड प्लास्टिक 11. थर्मोकोल 12. कपड़े 13. मेडीकल वेस्ट कवर 14. टैबलेट कवर 15. इलेक्ट्रॉनिक आयटम 16. लकड़ी की वस्तुएं 17. रासायनिक आयटम 18. एक्स-रे फिल्में 19. एक्सपायर्ड टैबलेट कवरिंग 20. निष्क्रिय पदार्थ



कचरे के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन और निपटान की पूरी प्रक्रिया में मैन्युअल हैंडलिंग शामिल है, जिसे महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों (सफाई मित्रों) के माध्यम से निष्पादित किया जाता है।

### 3.4.1 संग्रहण

#### 3.4.1.1 कचरे का डोर-टू-डोर संग्रहण

राज्य नीति में एमसीसी के अंतर्गत 167 शहरी स्थानीय निकायों में स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के माध्यम से तथा शेष दो<sup>21</sup> शहरी स्थानीय निकायों में निजी ऑपरेटरों के माध्यम से प्रत्येक घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान से डोर-टू-डोर आधार पर पृथक्कीकृत अपशिष्ट संग्रह करने का प्रावधान है।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि नमूना जांच की गई 15 शहरी स्थानीय निकायों में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से दैनिक आधार पर डोर-टू-डोर जाकर नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किया जा रहा था। नमूना जांच की गई नगर पालिक निगम, रायपुर में निजी एजेंसी द्वारा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का डोर-टू-डोर जाकर संग्रहण किया जा रहा था।

#### 3.4.1.2 डिब्बों की संख्या और रंग कोड का अनुपालन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 4(ए) में यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक अपशिष्ट को तीन अलग-अलग भागों में नामतः जैव-निम्नीकरणीय, गैर-जैव-निम्नीकरणीय और घरेलू हानिकारक अपशिष्ट (डीएचडब्ल्यू) को उपयुक्त डिब्बों में पृथक् और भण्डारण करेगा और अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा। दूसरी ओर, एसओपी-एमसीसी दिशा-निर्देश, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को दो व्यापक श्रेणियों अर्थात् जैविक और अजैविक में वर्गीकृत किया गया है तथा गीले कचरे को हरे डिब्बे में और सूखे कचरे को नीले डिब्बे में संग्रहण निर्धारित किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य शासन ने सभी आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में कुल 28 लाख डिब्बे (हरे और नीले रंग के दो डिब्बे का सेट) वितरित किए। जो यह प्रमाणित करता है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुरूप घरेलू हानिकारक अपशिष्ट को अलग करने का प्रावधान एमसीसी में नहीं किया गया। एमसीसी गाइडबुक (जनवरी 2017) में वाहनों पर लगे प्लास्टिक बैग में डायपर, सैनिटरी नैपकिन आदि को अलग से एकत्र करने का प्रावधान है। हालांकि, राज्य के राजपत्र अधिसूचना (जनवरी 2019) में प्रावधान है कि इस तरह के कचरे यानी डायपर/सैनिटरी नैपकिन आदि को सुरक्षित रूप से लपेटने के बाद ही सूखे कचरे के डिब्बे में अलग किया जाए। इस प्रकार, राज्य शासन के आदेश, एमसीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं और संग्रहण के दौरान सैनिटरी कचरे को मैन्युअल रूप से पृथक् करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा, एमसीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार कचरे का संग्रहण और परिवहन अलग बैग में करने से परिवहन के दौरान कचरा फैलने की संभावना पैदा करता है, जैसा कि निम्नलिखित तस्वीरों से स्पष्ट है।

---

<sup>21</sup> नगरपालिक निगम- रायपुर और बिलासपुर

|                                                                                                          |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                  |
| <p><b>3.4.1.2 (ए)—कटघोरा में कचरा संग्रहण हेतु वाहन पर लगी प्लास्टिक की थैली (दिनांक 20.09.2022)</b></p> | <p><b>3.4.1.2 (बी)— नगर पालिक निगम, जांजगीर-नैला में प्लास्टिक बैग में कचरे का संग्रह। (दिनांक 27.09.2022)</b></p> |

निर्गम बैठक में शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि एसओपी-एमसीसी दिशानिर्देशों में डीएचडब्ल्यू का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जा सकता है, लेकिन योजना में इसके पृथक्करण और प्रबंधन के लिए एक अलग प्रावधान है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एमसीसी के तहत स्रोत पर डीएचडब्ल्यू के पृथक्करण और उसके संग्रहण के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

#### **3.4.1.3 बूचड़खाने, मांस बाजार और मत्स्य बाजार से अपशिष्ट का संग्रहण न किया जाना**

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के नियम-15 (एम) में प्रावधान है कि बूचड़खाने, मांस बाजार, मत्स्य बाजार और कुक्कुट पालन से प्रतिदिन अपशिष्ट एकत्र किया जाना चाहिए और स्वच्छता बनाए रखने के लिए बाजार के आसपास उपयुक्त स्थान पर विकेन्द्रीकृत खाद और बायो-मीथेनेशन प्लांट की स्थापना को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि राज्य की नीति भी इसकी वकालत करती है, लेकिन एमसीसी के दिशा-निर्देशों में बूचड़खाने, मांस बाजार, मत्स्य बाजार आदि से अपशिष्ट एकत्र करने और प्रसंस्करण के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी में भी इस प्रकार के कचरे के निपटान के लिए विकेन्द्रीकृत खाद या बायो-मीथेनेशन संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है। नगर पालिक निगम, रायपुर में इस प्रकार के अपशिष्ट के संग्रहण के लिए नियुक्त ऑपरेटर/एजेंसी के कार्यक्षेत्र में यह कार्य शामिल नहीं था।

हालांकि 15 शहरी स्थानीय निकायों ने अपने उत्तर बताया कि ये अपशिष्ट एमसीसी के अंतर्गत एकत्र किए गए थे, लेकिन संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, किसी भी मौजूदा एसएलआरएम केंद्र में ऐसे अपशिष्ट का प्रबंधन नहीं देखा गया। इसके अलावा, नगर पालिक निगम, रायपुर में भी आईएसडब्ल्यूएमएफ के अंतर्गत ऐसे अपशिष्ट का संग्रहण और निपटान नहीं पाया गया।



3.4.1.3 (ए) – ब्रॉयलर मार्केट, एसएलआरएम सेंटर के पीछे मांस बाजार, मिनीमाता वार्ड, कोरबा से अपशिष्ट का डंपिंग। (दिनांक 13.12.2022)

लेखापरीक्षा में पाया गया (दिसंबर 2022) कि नगर पालिक निगम, कोरबा में मांस-मटन बाजार से निकलने वाले कचरे को मिनीमाता वार्ड एसएलआरएम सेंटर के पीछे एक ही स्थल पर डंप किया जा रहा था, जैसा कि ऊपर की तस्वीर में दिखाया गया है।

हालांकि शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि निजी ऑपरेटरों द्वारा मत्स्य और मुर्गी पालन में अपशिष्ट का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन तथ्य यह है कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इस प्रकार के कचरे के संग्रहण और निपटान के लिए उचित व्यवस्था नहीं की जा सकी।

#### 3.4.1.4 एसएलआरएम केंद्रों के लिए अनियोजित स्थल चयन

एमसीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसएलआरएम केंद्र के लिए स्थल का चयन इस तरह से किया जाएगा कि ट्राइसाइकिल/ई-रिक्शा/ऑटो टिपर को लंबी दूरी तय न करना पड़े। इसलिए, सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में समुचित पहुंच और कुशल संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए एसएलआरएम केंद्रों का स्थान महत्वपूर्ण था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य स्तर पर या शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर एसएलआरएम केंद्रों हेतु स्थल चयन के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि इनका निर्माण रिक्त भूमि की उपलब्धता के अनुसार किया गया था। एसएलआरएम केंद्रों की स्थापना हेतु नगरपालिका अधिनस्थ क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व, वार्ड से दूरी आदि जैसे कारक सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता थी, पर विचार नहीं किया गया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर पालिक निगम, जगदलपुर में दस एसएलआरएम केंद्रों में से तीन का निर्माण नगरपालिका क्षेत्र के बाहरी इलाके में और शहरी स्थानीय निकाय की घनी आबादी से दूर एक ही वार्ड<sup>22</sup> में किया गया था, उनमें से केवल एक एसएलआरएम केंद्र ही कार्यशील पाया गया। अन्य दो में से एक उचित पहुंच मार्ग से जुड़ा नहीं था और दूसरे का उपयोग गोधन न्याय योजना (जीएनवाई) के लिए किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, कचरा संग्रहकर्ता को एसएलआरएम केंद्र तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिसके परिणामस्वरूप कचरे को खुले इलाकों या सड़क के किनारे फेंकना पड़ता था।

<sup>22</sup> महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक-47



नमूना जांच की गई छः शहरी स्थानीय निकायों में, निर्धारित 24 एसएलआरएम केन्द्रों के विरुद्ध 17 एसएलआरएम केन्द्रों का निर्माण किया गया, जिनमें से केवल 15 (62.5 प्रतिशत) ही कार्यशील थे, जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, सात<sup>23</sup> नमूना जांच शहरी स्थानीय निकायों में दुर्गम स्थल, भूमि विवाद, स्थानीय लोगों द्वारा आपत्ति या अविवेकपूर्ण स्थल चयन जैसे कारणों से या तो निर्धारित संख्या में एसएलआरएम केन्द्रों का निर्माण नहीं किया गया या वे कार्यशील नहीं थे।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों<sup>24</sup> में अपूर्ण एसएलआरएम केन्द्र, पहुंचविहीन मार्ग, सड़क किनारे कचरे का ढेर आदि देखा गया जैसा कि फोटोग्राफ संख्या 3.4.1.4 (ई) और 3.4.1.4 (एफ) में दर्शाया गया है।

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                        |
| <p><b>3.4.1.4 (ए)– महाराणा प्रताप वार्ड, नगर पालिक निगम जगदलपुर में एसएलआरएम सेंटर तक पहुंच मार्ग का अभाव (दिनांक 23.11.2022)</b></p> | <p><b>3.4.1.4 (बी)– महाराणा प्रताप वार्ड, नगर पालिक निगम, जगदलपुर में एसएलआरएम केंद्र का उपयोग जीएनवाई के लिए किया जा रहा था (दिनांक 23.11.2022)</b></p> |
|                                                    |                                                                      |
| <p><b>3.4.1.4 (सी)– नगर पालिका परिषद, भाटापारा में एसएलआरएम केंद्र तक पहुंच न होने के कारण कचरे का डंपिंग (दिनांक 27.09.2022)</b></p> | <p><b>3.4.1.4 (डी) – नगर पालिका परिषद, जांजगीर नैला में भूमि विवाद के कारण अधूरा एसएलआरएम केन्द्र (दिनांक 28.09.2022)</b></p>                            |

<sup>23</sup> नगरपालिक निगम-जगदलपुर, नगर पालिका परिषद- कटघोरा, कुम्हारी, जांजगीर-नैला, भाटापारा, जशपुरनगर और कांकेर

<sup>24</sup> नगरपालिक निगम- रायपुर, कोरबा, जगदलपुर, नगर पालिका परिषद- कटघोरा, कांकेर, जांजगीर- नैला और नगर पंचायत- पाली

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                   |
| <p>3.4.1.4 (ई) नगर पालिक निगम, जगदलपुर के एक हिस्से में एसएलआरएम केंद्र की अनुपस्थिति के कारण कचरे का अनियमित संग्रह, (दिनांक 30.11.2022) जिसके कारण कचरे को सड़क किनारे फेंका जा रहा है।</p> | <p>3.4.1.4(एफ) नगर पालिका परिषद, कांकर में एसएलआरएम केंद्र की कमी के कारण अनियमित संग्रहण (दिनांक 04.11.2022) के परिणामस्वरूप सड़क किनारे कचरे को डंप किया गया।</p> |

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि शहरों में एसएलआरएम केन्द्रों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता एक समस्या है।

### 3.4.2 पृथक्करण

#### 3.4.2.1 स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 4(1) के अनुसार, प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक को अपशिष्ट को तीन अलग-अलग भागों में अर्थात् जैव-निम्नीकरणीय, गैर-जैव-निम्नीकरणीय और घरेलू हानिकारक अपशिष्ट (डीएचडब्ल्यू) को उपयुक्त डिब्बों में पृथक् कर रखना होगा और पृथक् किए गए अपशिष्टों को अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपना होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जाँच किये शहरी स्थानीय निकायों में पाया गया कि, अंबिकापुर के अलावा स्रोत पर कचरे का पृथक्करण प्रचलन में नहीं था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि शहरी स्थानीय निकाय में कचरे के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले रिक्शा, ई-रिक्शा और मिनी टिपर में गीले और सूखे कचरे के लिए केवल दो भाग थे। इस प्रकार, कचरे के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों में नगर पालिक निगम, रायपुर जिसके वाहनों में छह भाग थे, के अलावा अन्य शहरी स्थानीय निकायों में जैव-निम्नीकरणीय और गैर-जैव-निम्नीकरणीय कचरे से अलग डीएचडब्ल्यू और बीएमडब्ल्यू के संग्रहण की कोई सुविधा नहीं थी। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों ने बाजारों में केवल दो सामुदायिक डिब्बे (हरा और नीला) उपलब्ध कराए थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान एसएलआरएम केंद्रों में मिश्रित कचरे का संग्रहण भी देखा गया, जैसा कि निम्नलिखित फोटोग्राफ में दर्शाया गया है।



|                                                                                                              |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                          |
| <p>3.4.2.1 (1) – एकल बिन में अपशिष्ट का संग्रहण, नगर पालिका निगम, रायपुर (दिनांक 01.02.2023)</p>             | <p>3.4.2.1 (2)– अलग न किए गए कचरे का संग्रहण, नगर पालिका परिषद, जांजगीर नैला (दिनांक 27.09.2022)</p>                                       |
|                            |                                                         |
| <p>3.4.2.1 (3)– नगर पालिका परिषद, कटघोरा में ट्राइसाइकिल में मिश्रित अपशिष्ट संग्रहण (दिनांक 20.09.2022)</p> | <p>3.4.2.1 (4) – एसएलआरएम केन्द्र नगर पालिका परिषद, जांजगीर नैला में एकत्रित मिश्रित अपशिष्ट को अलग किया जा रहा है (दिनांक 30.09.2022)</p> |

इस प्रकार, जन जागरूकता की कमी के कारण, स्रोत पर कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित नहीं किया गया और एसएचजी सदस्यों द्वारा मिश्रित कचरे को एकत्र किया गया, जिसका कचरा संचालकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कमियों की स्पष्टता के बावजूद, शासन ने मार्च 2021 में प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवा स्तर बेंचमार्क में “ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पृथक्करण की सीमा” के अंतर्गत 100 प्रतिशत उपलब्धि का उल्लेख किया था।

शासन ने निर्गम बैठक (अगस्त 2023) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे का समाधान आईईसी के माध्यम से किया जाएगा।

### 3.4.2.2 *द्वितीयक पृथक्करण*

एमसीसी में निहित प्रावधान के अनुसार एकत्रित कचरे को द्वितीयक पृथक्करण के लिए एसएलआरएम केंद्र के रूप में ज्ञात मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) में लाया जाएगा। जैविक कचरे को कम्पोस्ट शेड में जैविक खाद तैयार करने के लिए संसाधित किया जाएगा और कचरे के अजैविक हिस्से को एसएलआरएम केंद्रों में 20 विभिन्न श्रेणियों में अलग किया जाएगा।

लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान 16 चयनित शहरी स्थानीय निकायों के एसएलआरएम केन्द्रों में अपशिष्ट का शून्य या आंशिक पृथक्करण होना पाया गया, जैसा कि निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

### (ए) शून्य पृथक्करण

नमूना जाँच की गई दो शहरी स्थानीय निकायों यथा नगर पालिका परिषद, भाटापारा और नगर पंचायत, पत्थलगाँव में लेखापरीक्षा ने पाया कि कचरे का पृथक्करण नहीं किया जा रहा था। नगर पालिका परिषद भाटापारा में तीन कार्यशील एसएलआरएम केंद्रों का उपयोग पृथक्करण के स्थान पर स्थानांतरण स्टेशन<sup>25</sup> के रूप में किया जा रहा था। विभिन्न वार्डों से एकत्रित कचरे को इन एसएलआरएम केंद्रों में लाया जा रहा था तथा पृथक् किए बिना ही संचित कचरे को मिनी टिपर में डंपिंग स्थलों तक पहुंचाया जा रहा था। नगर पंचायत पत्थलगाँव स्थित एकमात्र एसएलएमआर केंद्र में गोधन न्याय योजना के तहत निर्मित, वर्मी कम्पोस्ट की पैकिंग और भंडारण का कार्य किया जा रहा था।

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                               |
| <p>3.4.2.2.(ए)(i) – एसएलआरएम केन्द्र, सुभाष नगर वार्ड नगर पालिका परिषद, भाटापारा में अपृथक्कृत अपशिष्ट खोपरी डंपिंग साइट पर परिवहन की प्रतीक्षा कर रहा है। (दिनांक 27.9.2022)।</p> | <p>3.4.2.2.(ए)(ii) गुरुनानक वार्ड नगर पालिका परिषद भाटापारा में असंयोजित अपशिष्ट खोपरी में डंपिंग साइट पर परिवहन की प्रतीक्षा कर रहा है। (दिनांक 27.9.2022)।</p> |
|                                                                                                 |                                                                              |
| <p>3.4.2.2.(ए)(iii) नगर पालिका परिषद, भाटापारा एसएलआरएम केन्द्र डीडीयू वार्ड में खोपरी डंपिंग साइट पर परिवहन हेतु प्रतीक्षित अपशिष्ट (दिनांक 27.9.2022)।</p>                       | <p>3.4.2.2.(ए)(iv) नगर पंचायत, पत्थलगाँव अंबेडकर वार्ड एसएलआरएम केंद्र, गोधन न्याय योजना, के लिए नियोजित (दिनांक 07.09.2022)</p>                                 |

<sup>25</sup> स्थानांतरण स्टेशन का अर्थ है एसडब्ल्यूएम के अंतर्गत एक ऐसी सुविधा, जो संग्रहण क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट को प्राप्त करने तथा वहां से ढके हुए वाहनों या कंटेनरों में भरकर अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधाओं तक परिवहन के लिए बनाई गई है।

भाटापारा खोपरी तथा गुरुनानक वार्ड एवं पत्थलगांव में नंदन झरिया इन दोनों शहरी स्थानीय निकायों में अपृथक्कृत अपशिष्ट डंपिंग स्थलों पर फेंका जाता है, जैसा कि निम्नलिखित फोटोग्राफ में दर्शाया गया है।



छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं संरक्षण बोर्ड के निरीक्षण प्रतिवेदन (अप्रैल 2023) में भाटापारा और पत्थलगांव के इन डंपिंग स्थलों के अस्तित्व की पुष्टि भी की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर से स्पष्ट है कि निगरानी तंत्र इन एसएलआरएम केंद्रों में कचरे का आवश्यक पृथक्करण सुनिश्चित करने में विफल रहा है।

### (बी) आंशिक पृथक्करण

चयनित 11 शहरी स्थानीय निकायों<sup>26</sup> के एसएलआरएम केंद्रों में कचरे का आंशिक पृथक्करण किया जा रहा था। केवल जैविक कचरे या गीले कचरे को, जो खाद बनाने में सहायक होते हैं, एकत्रित मिश्रित कचरे से अलग किया जा रहा था। अजैविक कचरे को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, पुनर्चक्रणीय और गैर-पुनर्चक्रणीय कचरा। पुनर्चक्रणीय वस्तुओं को स्थानीय कबाड विक्रेताओं को बेच दिया जाता है और गैर-पुनर्चक्रणीय वस्तुओं को एसएलआरएम केंद्रों के खाली भूखंडों या अनाधिकृत डंपिंग स्थलों पर अव्यवस्थित ढंग से फेंक दिया जाता है। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए गए 11 शहरी स्थानीय निकायों में से सात<sup>27</sup> में ऐसे अनाधिकृत डंपिंग स्थल पाए गए। यह उल्लेख करना उचित होगा कि इन सात स्थानीय निकायों में से चार में एसएलआरएम केंद्र के पास अनाधिकृत डंपिंग साइट पाई गई, जैसा कि निम्नलिखित फोटोग्राफ में दर्शाया गया है:

<sup>26</sup> नगर पालिक निगम— जगदलपुर, भिलाई चरौदा एवं कोरबा, नगर पालिका परिषद— जांजगीर नैला, कटघोरा, जशपुर, कुम्हारी और कांकर, नगर पंचायत— राजिम, पाली और नवागढ़

<sup>27</sup> नगर पालिक निगम—जगदलपुर, कोरबा, नगर पालिका परिषद—जांजगीर—नैला, कांकर, जशपुर, कुम्हारी, राजिम



|                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                        |
| <p>3.4.2.2(बी)(i) – नगर पालिका परिषद, जांजगीर नैला में एसएलआरएम केन्द्र के बगल में मिश्रित अपशिष्ट फेंका जाना पाया गया (दिनांक 30.09.2022)</p> | <p>3.4.2.2(बी)(ii) – नगर पालिक निगम, कोरबा के एसएलआरएम केन्द्र, टीपी नगर के बाहर फेंका गया कचरा। (दिनांक 02.12.2022)</p> |
|                                                              |                                       |
| <p>3.4.2.2(बी)(iii) – कंगोली, महाराणाप्रताप वार्ड, जगदलपुर में स्थित डंपिंग साइट (दिनांक 22.11.2022)</p>                                       | <p>3.4.2.2(बी)(iv) – ब्रह्मचर्य आश्रम वार्ड, नगर पंचायत राजिम में स्थित डंपिंग साइट (दिनांक 12.10.2022)</p>              |

इस प्रकार, कचरे को पृथक न कर खुले क्षेत्र में फेंकने से न केवल खुलेआम कूड़ा-कचरा फैलाने को बढ़ावा मिलता है बल्कि अपशिष्ट जल (लीचेट) के भूमि और जल स्रोतों में रिसने के कारण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी उत्पन्न होता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन द्वारा अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि पुनर्चक्रणीय वस्तुओं को अधिकृत स्थानीय कबाड़ डीलरों को बेचा जाता है, जबकि गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट का प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन दिशानिर्देशों के अनुरूप जिम्मेदारी पूर्वक किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निपटान हेतु कोई तंत्र मौजूद नहीं है।

## अच्छी प्रथा

नगर पालिक निगम, अंबिकापुर एकमात्र शहरी स्थानीय निकाय है जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और एमसीसी में निहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए एसएलआरएम केंद्रों पर पूर्ण पृथक्करण कर रहा है।

एमसीसी मॉडल के अनुसार एकत्रित ठोस कचरे को संसाधित करते हुए जैविक कचरे से खाद तैयार की जाती है। अजैविक नरम प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक बैग (सफेद और रंगीन) पैकिंग सामग्री आदि को टुकड़े करके धोकर और सुखाकर गोलियां बनाया जाता है और पुर्नचक्रणकर्ता को बेचा जाता है।



फोटो-1: एकल उपयोग प्लास्टिक का कतरन



फोटो-2: कटे हुए प्लास्टिक से बनायी गई गोलियां।



फोटो-3: टर्शियरी केन्द्र में पृथक किया गया अजैविक कचरा।



फोटो-4: तृतीयक अपशिष्ट में अपशिष्ट का 98 श्रेणियों में पृथक्करण।

दूसरी ओर अधिक आर्थिक संभाव्यता वाले अकार्बनिक कचरे को तृतीयक पृथक्करण केंद्र में लाया जाता है और उन्हें विभिन्न श्रेणियों जैसे लोहा, एल्युमिनियम फॉयल, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, प्लास्टिक, प्लास्टिक की बोतल, बोतल के ढक्कन आदि में पृथक्कृत कर अलग-अलग ड्रमों में रखा जाता है। इस स्तर के पृथक्करण से निकाय को अलग किए गए कचरे के बड़े हुए मूल्य को समझने में मदद मिली है तथा बिक्री से प्राप्त आय स्व-सहायता समूह के सदस्यों को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है।

अलग से एकत्रित किए गए आरडीएफ (मुख्य रूप से प्लास्टिक के पाउच) को सीमेंट फैक्ट्री में वैकल्पिक ईंधन और कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए भेजा जाता है।

### 3.4.3 अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचा

एमएसडब्ल्यूएम मैनुअल की कंडिका 1.3 में सात चरणों वाली प्रक्रिया का पालन करते हुए एमएसडब्ल्यूएम योजना तैयार करने का प्रावधान है, जिसमें संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और भंडारण क्षमता का आकलन शामिल है। इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 (एच) में कचरे से पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को छांटने के लिए पर्याप्त स्थान के साथ सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं या द्वितीयक भंडारण सुविधाओं की स्थापना करने और अलग किए गए पुनर्चक्रण योग्य कचरे के संग्रहण के लिए कचरा बीनने वालों और पुनर्चक्रणकर्ताओं को आसान पहुँच प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

- लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों के लिए एसएलआरएम केंद्रों की संख्या प्रत्येक नगर पंचायत में एक, नगर पालिका परिषद में चार और नगर पालिक निगम में दस एसएलआरएम के साथ एक कंपोस्ट शेड की योजना बनाई गई थी। इस प्रकार, एसएलआरएम केंद्रों की योजना शहरी स्थानीय निकायों की विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर नहीं बनाई गई थी।
- नमूना जांच की गई 15 शहरी स्थानीय निकायों के लिए कुल 86 एसएलआरएम केंद्र और 16 कम्पोस्ट शेड स्वीकृत किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच<sup>28</sup> शहरी स्थानीय निकायों में सात एसएलआरएम केंद्रों का निर्माण नहीं किया जा सका और तीन<sup>29</sup> शहरी स्थानीय निकायों में चार एसएलआरएम केंद्र के साथ दो कम्पोस्ट शेड अविवेकपूर्ण स्थल चयन के कारण निष्क्रिय थे (परिशिष्ट 3.9)। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियाँ, नियोजित क्षमता के मुकाबले 75 एसएलआरएम केंद्रों और 14 कम्पोस्ट शेड की अपर्याप्त क्षमता के साथ संचालित की जा रही थीं।

|                                                                                                                  |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                           |
| <p>3.4.3(1) नगर पालिक निगम, जगदलपुर के छत्रपति शिवाजी वार्ड में परिचालित एसएलआरएम केंद्र (दिनांक 25.11.2022)</p> | <p>3.4.3(2) नगर पालिक परिषद, कांकेर के इमलीपारा, में जीर्ण-शीर्ण स्थिति में गैर-परिचालित कम्पोस्ट शेड (दिनांक 19.10.2022)</p> |

- इसके अलावा चार शहरी स्थानीय निकायों में पांच एसएलआरएम केंद्र और एक कम्पोस्ट शेड अक्रियाशील और अप्रयुक्त पाए गए, इसके निर्माण पर किया गया ₹ 81.72 लाख का व्यय (परिशिष्ट 3.10) निरर्थक साबित हुआ।

<sup>28</sup> नगर पालिका परिषद— जांजगीर नैला, कुम्हारी, जशपुर, कांकेर एवं नगर पालिका परिषद, कटघोरा

<sup>29</sup> नगर पालिका परिषद— कांकेर, भाटापारा एवं नगर पालिक निगम— जगदलपुर



- लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 75 एसएलआरएम केन्द्रों और 14 कम्पोस्ट शेडों में से जो कार्यशील थे, इसमें से आठ<sup>30</sup> एसएलआरएम केन्द्रों और 10 कम्पोस्ट शेडों का उपयोग गोधन न्याय योजना के लिए किया जा रहा था। नमूना जांच किए गए 14 शहरी स्थानीय निकायों (परिशिष्ट 3.9) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए निर्धारित संख्या में से केवल 67 एसएलआरएम केंद्र (78 प्रतिशत) और चार कम्पोस्ट शेड (25 प्रतिशत) संपूर्णता से उपलब्ध थे।
- इसके अलावा सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए 258.86 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एसएलआरएम केंद्र का एक मानक ड्राइंग और डिजाइन निर्धारित किया गया (अक्टूबर 2016), जिसमें किसी शहरी स्थानीय निकाय में उत्पन्न अपशिष्ट के आधार पर एसएलआरएम केंद्रों का आकार निर्धारण के लिए शहरी स्थानीय निकाय की विशिष्ट आवश्यकता पर विचार नहीं किया गया।

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                    |
| <p>3.4.3 (3) नगर पालिक निगम, अंबिकापुर के एसएलआरएम केंद्र में, पुनर्चक्रणीय सामग्रियों एवं आरडीएफ का भंडारण (दिनांक 13.12.2022)</p> | <p>3.4.3 (4) नगर पालिक निगम, जगदलपुर के प्रवीर वार्ड, एसएलआरएम केंद्र, में संग्रहित पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट (दिनांक 25.11.2022)</p> |
|                                                  |                                                  |
| <p>3.4.3 (5) नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा के एसएलआरएम केंद्र में आरडीएफ एवं पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट (दिनांक 16.11.2022)</p>          | <p>3.4.3 (6) नगर पंचायत, पाली एसएलआरएम के केन्द्र के पीछे आरडीएफ की डंपिंग (दिनांक 08.09.2022)</p>                                   |

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन द्वारा बताया गया (अगस्त 2023) कि एसएलआरएम केंद्रों के मानक ड्राइंग और डिजाइन शासन द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक मॉड्यूलर और मानकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए थे। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) 2.0 कार्य योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों की बुनियादी ढांचे की आवश्यकता की समीक्षा की जा रही है।

<sup>30</sup> गोधन न्याय योजना के लिए तीन एसएलआरएम पूर्णतः तथा पांच आंशिक रूप से उपयोग में हैं।

### 3.4.4 परिवहन

एमसीसी के अंतर्गत डोर-टू-डोर से एसएलआरएम केंद्र तक प्रारंभिक पृथक कचरे के परिवहन की व्यवस्था की गई है। यह गतिविधि शहरी स्थानीय निकायों में ई-रिक्शा/ट्राइसाइकिल/टिपर आदि के माध्यम से की जाती है।

#### 3.4.4.1 अपशिष्ट परिवहन के लिए वाहनों का अनुचित डिजाइन

एमएसडब्ल्यूएम 2016 की कंडिका 2.3.2 में प्रावधान है कि परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन ढके होने चाहिए और एकत्रित कचरा जनता को दिखाई नहीं देना चाहिए। इसमें प्रसंस्करण या निपटान सुविधा के रास्ते में कचरे और लीचेट को फैलने से रोकने की सुविधा होनी चाहिए।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि मिनी टिपरों के डिब्बे/खंड परिवहन के दौरान रिसाव को रोकने के लिए ढके हुए नहीं थे तथा ट्राइसाइकिलों में गीला और सूखा कचरा एकत्र करने के लिए केवल दो ही खंड थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने अपशिष्ट परिवहन के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और रिसाव को रोकने तथा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ढके हुए वाहन का उपयोग करने के महत्व को स्वीकार किया (अगस्त 2023), तथा यह भी माना कि एमसीसी गाइडबुक में डायपर और सैनिटरी नैपकिन जैसे घरेलू हानिकारक अपशिष्ट (डीएचडब्ल्यू) के संग्रह के संबंध में विसंगति है।

#### 3.4.4.2 ई-रिक्शा और ट्राइसाइकिल का रखरखाव न करना

शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संग्रहण और परिवहन का मुख्य साधन ट्राइसाइकिल, ई-रिक्शा और मिनी टिपर हैं। एमसीसी दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र प्रभारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन वाहनों का निरीक्षण करे और आवश्यकतानुसार तेल, ग्रीसिंग और हवा के दबाव की जांच करे। वाहनों की मुख्य मरम्मत स्वीकृत गैराज या वर्कशॉप से ही सुनिश्चित की जाए।

नगर पालिका परिषद, कांकेर की लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला खनिज निधि (डीएमएफ) से ₹ 30.00 लाख की लागत से (अक्टूबर 2021) में 10 ई-रिक्शा खरीदे गए थे। स्वीकृत तकनीकी विशिष्टता के अनुसार खरीदे गए इन वाहनों की क्रय शर्त अनुसार चार नि: शुल्क सेवा और एक वर्ष की अवधि के लिए वारंटी प्रदान की गयी थी। इसके अलावा वाहन गुणवत्ता वाले स्टील से निर्मित हो, जिसे पांच साल से अधिक समय तक जंग लगने से बचाने के लिए पेंट किया होना चाहिए था। हालांकि, शहरी स्थानीय निकाय ने इन दस ई-रिक्शा के लिए एक भी नि: शुल्क सेवा का लाभ नहीं उठाया। उचित रखरखाव के अभाव में इन 10 ई-रिक्शा में से आठ अनुपयोगी हो गए, जैसा कि फोटो क्रमांक 3.4.4.2 (1) और (2) में दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप इन आठ ई-रिक्शा की खरीद पर किए गए ₹ 24.00 लाख का व्यय निष्फल रहा।



3.4.4.2 (ए) और (बी) कांकेर के अग्निशमन केंद्र में अनुपयोगी पड़ा ई-रिक्शा (दिनांक 26.06.2023)

इसके अलावा संयुक्त निरीक्षण के दौरान तीन<sup>31</sup> शहरी स्थानीय निकायों में नौ ई-रिक्शा और चार<sup>32</sup> शहरी स्थानीय निकायों के एसएलआरएम केंद्रों में कई ट्राइसाइकिलें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पाई गई, जैसा कि निम्नलिखित फोटोग्राफ में दर्शाया गया है। नगर पालिका परिषद, जांजगीर नैला में संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह बताया गया कि 10 में से नौ ई-रिक्शा खराब स्थिति के कारण कठिनाई पैदा कर रहे थे और इनकी रखरखाव की आवश्यकता है। इससे इस तथ्य की पुष्टि हुई कि केंद्र प्रभारियों द्वारा वाहनों (ट्राइसाइकिल, ई-रिक्शा) का उचित निरीक्षण और रखरखाव सुनिश्चित नहीं किया गया।



3.4.4.2 (सी)- नगर पालिक निगम, कोरबा टीपी नगर, के एसएलआरएम केन्द्र में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में ट्राई-साइकिलें (दिनांक 02.12.2022)

3.4.4.2 (डी)- नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के एसएलआरएम केन्द्र, में बिना किसी रखरखाव के रखे गए ट्राई-साइकिल (दिनांक 23.11.2022)

निर्गम बैठक में शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि शहरी स्थानीय निकायों में ई-रिक्शा और ट्राइसाइकिलों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

### 3.4.4.3 सड़क सफाई से निकले कचरे का खुले वाहन से परिवहन करना

राज्य की नीति में प्रावधान है कि शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई से निकलने वाला कचरा और गाद, घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से एकत्रित किए गए कचरे में न मिलाई जावे क्योंकि इससे उपचार और पुनर्चक्रण के विकल्प गंभीर रूप से बाधित हो सकते हैं। हालाँकि, एमसीसी में ऐसे कचरे और गाद का संग्रहण और परिवहन के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

<sup>31</sup> नगर पालिका परिषद - कटघोरा, नगर पंचायत- पाली और नगर पालिका परिषद-कुम्हारी

<sup>32</sup> नगर पालिक - कोरबा, भिलाई-चरौदा, नगर पालिका परिषद- जांजगीर नैला और कुम्हारी



लेखापरीक्षा ने पाया कि सड़क की सफाई और नालियों की सफाई से संबंधित कार्य आमतौर पर शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों और उपलब्ध वाहनों के माध्यम से की जा रही थीं। यह भी देखा गया कि सड़क की सफाई और नालियों की सफाई से एकत्र कचरे को खुले वाहनों ज्यादातर ट्रैक्टरों और ट्रकों के माध्यम से परिवहन के दौरान गंदगी फैलाते हैं या तो डंपिंग साइट पर या लैंडफिल के लिए ले जाया जा रहा था। सड़क और नाली से निकली कचरे, गाद का खुले वाहनों के माध्यम से परिवहन निम्नलिखित फोटोग्राफ संख्या 3.4.4.3 (ए), (बी) और (सी) में दिखाया गया है।

|                                                                                                                            |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                       |
| <p><b>3.4.4.3 (ए) – नगर पालिका परिषद, जांजगीर नैला में ट्रैक्टर से सड़क सफाई अपशिष्ट का परिवहन (दिनांक 08.09.2022)</b></p> | <p><b>3.4.4.3 (बी) – नगर पंचायत पाली में ट्रैक्टर से नाली की गाद का संग्रहण (दिनांक 27.09.2022)</b></p> |
|                                         |                                                                                                         |
| <p><b>3.4.4.3 (सी) नगर पालिक निगम, रायपुर में खुले ट्रक में सड़क सफाई कचरे का परिवहन (दिनांक 10.2.2023)</b></p>            |                                                                                                         |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि शहरी स्थानीय निकायों में उचित कवर वाले वाहनों में कचरे का परिवहन सुनिश्चित किया जाएगा।

#### **3.4.4.4 ई-कचरा रिक्शा की खरीद पर ₹ 15.51 लाख का निष्क्रिय व्यय**

नगर पालिका परिषद, जशपुर में लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि निकाय द्वारा छः ई-रिक्शा ₹ 15.51 लाख (प्रत्येक ₹ 2.58 लाख की दर से ) कचरे के यांत्रिक परिवहन के लिए (मई 2020) खरीदे गए।

जशपुर चिरबगीचा के एसएलआरएम केंद्र-2 के संयुक्त निरीक्षण (14 सितंबर 2022) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि ये रिक्शा खरीदी दिनांक से ही बेकार पड़े हैं। आगे की जांच से पता चला कि कम इंजन क्षमता, भारी वजन (कर्व वेट 420 किलोग्राम) और



ग्राउंड क्लीयरेंस कम होने के कारण ये रिक्शा जशपुर के पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए अनुपयुक्त पाए गए। अतः डोर-टू-डोर संग्रहण प्रक्रिया मौजूदा साइकिल-रिक्शा के माध्यम से की जा रही थी। इसलिए कचरे के यांत्रिक संग्रहण और परिवहन के लिए खरीदे गए ई-रिक्शा का उद्देश्य अपूर्ण रहा।



3.4.4.4(ए) एसएलआरएम केन्द्र चिरबगीचा, नगर पालिका परिषद, जशपुर में ई-रिक्शा अनुपयोगी स्थिति में पाया गया। (दिनांक: 14.09.2022)

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि ई-रिक्शा में तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपूर्तिकर्ता को नोटिस जारी किए गए थे, तथा उचित रखरखाव के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए थे।

परन्तु तथ्य यह है कि खरीदे गए ई-रिक्शा दो वर्ष से बेकार पड़े थे।

### 3.4.5 निपटान

#### 3.4.5.1 अपशिष्ट से ऊर्जा प्रसंस्करण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की कंडिका 21 के अनुसार, 1500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम (kcg/kg) या उससे अधिक कैलोरी युक्त गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को लैंडफिल पर नहीं फेंका जाएगा और इसका उपयोग केवल आरडीएफ के रूप में ऊर्जा सृजन के लिए या आरडीएफ तैयार करने के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में देने के लिए किया जाएगा। उच्च कैलोरी वाले अपशिष्ट का उपयोग सीमेंट कारखानों या थर्मल पावर प्लांट में सह-प्रसंस्करण के लिए किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया (दिसंबर 2022) गया कि नमूना जांच किए गए 16 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी में भी अपशिष्ट से ऊर्जा सृजन संयंत्र की स्थापना नहीं की गयी थी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड (एसएलएबी) ने अपनी तीसरी बैठक (अक्टूबर 2018) में गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट का सीमेंट कारखानों में आरडीएफ के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किये गए 14 शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिक निगम, रायपुर और अंबिकापुर को छोड़कर) के पास आरडीएफ के निपटान के लिए किसी भी सीमेंट कारखाने के साथ वैध सहमति ज्ञापन (एमओयु) निष्पादित नहीं पाया गया। नगर पालिक निगम, अंबिकापुर एकमात्र ऐसा शहरी स्थानीय निकाय था जहां तीसरे पक्ष के माध्यम से सीमेंट कारखाने में आरडीएफ के परिवहन की एक व्यवस्थित प्रक्रिया प्रचलित थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने स्वीकार किया (अगस्त 2023) कि नगर पालिक निगम रायपुर और बिलासपुर जहाँ अपशिष्ट सृजन 500 टीपीडी से अधिक है, सहित किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में अपशिष्ट से ऊर्जा सृजन संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है। आगे यह भी कहा गया कि सीमेंट कारखानों के साथ एमओयु निष्पादित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अपशिष्ट की अपेक्षाकृत कम मात्रा के कारण ऊर्जा संयंत्र संभव नहीं हो सकता।

तथ्य यह है कि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र या आरडीएफ के निपटान के लिए सीमेंट कारखानों के साथ एमओयु के अभाव में, उच्च कैलोरी क्षमता वाले अपशिष्टों का उपयोग ऊर्जा सृजन के लिए किये जाने के बजाए सड़कों के किनारे या डंपिंग स्थलों पर फेंक दिया जाता है।

### 3.4.5.2 जैव-खनन और पुराने डंपिंग स्थलों का सुधार

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के खंड 15 (जेडजे) और 15 (जेडके) के अनुसार नगर निगम के अधिकारियों को सभी पुराने खुले डंप स्थलों और मौजूदा परिचालन डंप स्थलों की जांच करनी चाहिए और उनके संभावित जैव-उपचार के लिए उनका विश्लेषण करना चाहिए और जहां भी संभव हो, ऐसे स्थलों पर जैव-खनन या जैव-उपचार के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। डंप स्थलों के जैव-खनन और जैव-उपचार की क्षमता के अभाव में पर्यावरण को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए लैंडफिल कैपिंग मानदंडों के अनुसार इसे वैज्ञानिक रीति से किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ शासन ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को मार्च 2020 तक राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का पालन करने के लिए पुराने कचरे का उपचार शुरू करने का निर्देश (जनवरी 2020) दिया और गैर-अनुपालन के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दंड का प्रस्ताव किया गया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एसएलएबी ने अपनी बैठक (अगस्त 2021) में सात नगर पालिक निगमों में स्थित पुराने डंप साइट के शीघ्र उपचार पर भी जोर दिया था।

मान्यता प्राप्त पुराने डंप स्थलों में जैव-खनन और पुराने अपशिष्ट के उपचार की स्थिति तालिका 3.7 में दी गई है:

तालिका 3.7: पुराने डंप स्थलों के सुधार कार्य की स्थिति

| क्र. सं. | शहरी स्थानीय निकायों का नाम | कार्यादेश की तिथि                                                                    | कार्य की वर्तमान स्थिति (दिसम्बर 2022) |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1        | रायपुर                      | सुधार कार्य 2017 में शुरू हुआ और आंशिक रूप से कार्य हुआ था, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। | शेष अपशिष्ट का उपचार शुरू होना बाकी है |
| 2        | बिलासपुर                    | नगर पालिक निगम, बिलासपुर द्वारा स्वयं किया गया                                       | पूर्ण (31.05.2020)                     |
| 3        | रायगढ़                      | 15.11.2022                                                                           | प्रगति पर                              |
| 4        | कोरबा                       | 10.11.2022                                                                           | प्रगति पर                              |
| 5        | भिलाई                       | 01.10.2018                                                                           | पूर्ण (07.12.2021)                     |
| 6        | दुर्ग                       | 07.09.2022                                                                           | प्रगति पर                              |
| 7        | धमतरी                       | 07.11.2022                                                                           | प्रगति पर                              |
| 8        | जगदलपुर                     | 25.11.2022                                                                           | प्रगति पर                              |

(स्रोत— सुडा द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि छः शहरी स्थानीय निकाय दिसंबर 2022 तक पुराने डंपिंग स्थलों का सुधार कार्य पूरा नहीं कर पाए। उपरोक्त डंपिंग स्थलों के अलावा लेखापरीक्षा में नौ शहरी स्थानीय निकायों की नमूना जाँच में 12<sup>33</sup> नए डंपिंग स्थल पाए गए, जैसा कि **परिशिष्ट 3.11** में दिखाया गया है। गैर-मान्यता प्राप्त डंपिंग स्थलों के साथ-साथ गैर-उपचारित पुराने डंपिंग स्थलों का अस्तित्व में होना, विभाग के उचित निगरानी की कमी को दर्शाता है। खुले डंपिंग स्थल मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (अप्रैल 2023) किये जाने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं संरक्षण बोर्ड द्वारा छः<sup>34</sup> शहरी स्थानीय निकायों में स्थल निरीक्षण किया गया और अनाधिकृत डंपिंग स्थलों के अस्तित्व में होने की पुष्टि की गयी।

निर्गम बैठक (अगस्त 2023) में शासन ने कहा कि पुराने डंपिंग स्थलों के शीघ्र उपचार के लिए शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

तथ्य यह है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के क्रियान्वयन और माननीय एनजीटी के निर्देश के छः वर्ष बीत जाने के बाद भी पुराने डंपिंग स्थलों का सुधार कार्य पूर्ण नहीं किया गया।

### 3.4.5.3 स्थानीय निकायों में कोई वैज्ञानिक लैंडफिल/अपशिष्ट निपटान सुविधा नहीं होना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उप-नियम 11 (जे) में निर्धारित यूएडी के कर्तव्यों में लागत साझाकरण के आधार पर 50 किलोमीटर या अधिक के भीतर आने वाले शहरों और कस्बों के समूह के लिए सामान्य क्षेत्रीय सैनिटरी लैंडफिल की स्थापना करना और ऐसे सैनिटरी लैंडफिल का पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित करना शामिल है।

राज्य शासन द्वारा 167 शहरी स्थानीय निकायों में अंबिकापुर मॉडल को मिशन क्लीन सिटी (एमसीसी) के रूप में लागू किया गया जिसे जीरो लैंडफिल मॉडल पर डिजाइन किया गया था। इसमें यह प्रावधान है कि गीले या जैविक कचरे को सुपर कम्पोस्ट में परिवर्तित किया जाएगा, सूखे कचरे को विभिन्न भागों में अलग-अलग किया जाएगा और पुनर्चक्रण योग्य कचरे को पुनर्चक्रणकर्ताओं को बेचा जाएगा, निष्क्रिय कचरे को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे कचरे के लिए लक्षित क्रियाविधि के अनुसार लैंडफिल साइट/निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट सुविधा केन्द्रों में भेजा जाएगा। एमसीसी के एसओपी में यह प्रावधान भी है कि डीएचडब्ल्यू और बीएमडब्ल्यू को निपटान के लिए निर्दिष्ट स्थल पर ले जाया जाना है।

हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएचडब्ल्यू और बीएमडब्ल्यू के निपटान के लिए शहरी स्थानीय निकायों में कोई निर्दिष्ट स्थल नहीं है, जिसके कारण इन कचरे को या तो कबाड़ी वालों को बेचा जा रहा है या अनाधिकृत डंपिंग स्थलों पर फेंका जा रहा है। इसके अलावा, 15 शहरी स्थानीय निकायों में लैंडफिल साइट की अनुपस्थिति में सड़क की सफाई, नाली की सफाई और कचरे के प्रसंस्करण के बाद बचे हुए अवशेषों का उचित निपटान सुनिश्चित

<sup>33</sup> नगर पालिक निगम – कोरबा (एसईसीएल, बाल्को, एनटीपीसी, मिनीमाता वार्ड), अंबिकापुर, नगर पालिका परिषद– जांजगीर नैला, कुम्हारी, कांकेर, जशपुर, भाटापारा नगर पंचायत– पथलगांव, राजिम

<sup>34</sup> नगर पालिक निगम–कोरबा, नगर पालिका परिषद– भाटापारा, कांकेर, जांजगीर नगर पंचायत – राजिम और पथलगांव

नहीं किया जा रहा है जो यह दर्शाता है कि 15 शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिक निगम, रायपुर को छोड़कर) में इनर्ट, डीएचडब्ल्यू और बीएमडब्ल्यू के लिए कोई विशिष्ट निपटान योजना नहीं है। सीएंडडी कचरे के संबंध में नगर पालिक निगम, कोरबा और रायपुर ही ऐसे शहरी स्थानीय निकाय थे जिनके पास सीएंडडी प्रसंस्करण सुविधा थी।

लेखापरीक्षा में 16 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से 15 में (नगर पालिक निगम, रायपुर को छोड़कर) गैर-पुनर्चक्रणीय कचरे के निपटान के लिए कोई भी सैनिटरी लैंडफिल साइट नहीं मिली, जिसके परिणामस्वरूप अनाधिकृत डंपिंग साइट मौजूद होना पाया गया। 2017-22 के दौरान 12 नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न गैर-पुनर्चक्रणीय कचरे की विभिन्न श्रेणियों का विवरण नीचे तालिका 3.8 में दिया गया है:

**तालिका 3.8: निपटान के लिए भूमि भराव की आवश्यकता वाले गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट की श्रेणी और मात्रा**

| अपशिष्ट की श्रेणी                       | उत्पादित मात्रा (टन में) |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (सी एंड डी) | 8868.73                  |
| घरेलू हानिकारक अपशिष्ट (डीएचडब्ल्यू)    | 3097.64                  |
| ई-कचरा                                  | 1415.36                  |
| जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू)      | 67.66                    |
| निष्क्रिय                               | 1606.98                  |
| <b>कुल</b>                              | <b>15056.37</b>          |

(स्रोत: नमूना जांच की गई 12 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी)

लैंडफिल साइट/सीएंडडी सुविधा में ऐसे कचरे के निपटान के लिए उचित तंत्र की अनुपस्थिति में 12 नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न कुल 15056.37 टन गैर-पुनर्चक्रणीय कचरे को या तो कबाड़ी वालों को बेच दिया गया या अनाधिकृत डंपिंग स्थलों में डंप किया गया। एमसीसी दिशा निर्देशों के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कचरे के निपटान हेतु प्रावधान नहीं रखा गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि लैंडफिल का निर्माण केवल दो<sup>35</sup> शहरी स्थानीय निकायों में किया गया था। हालांकि एक्सेस फीस मॉडल के आधार पर सामान्य क्षेत्रीय लैंडफिल सुविधा का प्रावधान एसबीएम 2.0 कार्य योजना में शामिल किया गया है।

### 3.4.5.4 नगर पालिक निगम रायपुर में लैंडफिल सुविधा में अप्रसंस्कृत अपशिष्ट का डंपिंग

सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एकीकृत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर ने रायपुर शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मेसर्स दिल्ली एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ एक रियायत समझौता (फरवरी 2018) किया। परियोजना के अंतर्गत अपशिष्ट प्रसंस्करण और संबंधित कार्यों की सुविधाओं की डिजाइनिंग, निर्माण, संचालन और रखरखाव शामिल था। जिसमें वे-ब्रिज (धर्मकांटा), कंपोस्ट और आरडीएफ सुविधा और सैनिटरी लैंडफिल शामिल हैं। समझौते के

<sup>35</sup> नगर पालिक निगम, रायपुर और बिलासपुर

अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नगर पालिक निगम रायपुर ने (मार्च 2018) ठेकेदार को ग्राम-सकरी, जिला-रायपुर में 27.045 हेक्टेयर (हेक्टेयर) क्षेत्र के साथ नामित स्थल पर काम शुरू करने की अनुमति दी। छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) ने भी भंडारण, परिवहन, पृथक्करण, उपचार और निपटान सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुमति (2018) दी।

सकरी, रायपुर में सुविधा के संयुक्त निरीक्षण के दौरान उक्त सुविधा के अभिन्न अंग के रूप में एक सेनेटरी लैंड फिल पाया गया जिसका निर्माण अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा से उत्पन्न निष्क्रिय पदार्थों के निपटान के उद्देश्य से किया गया है। इसे एक समापन योजना के साथ 15 वर्षों की अवधि के लिए चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना और डिजाइन किया गया है।

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अनुसूची-I (ए) (vii) में प्रावधान है कि लैंडफिल साइट एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर होगी। हालांकि विशेष मामले में नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद एयरपोर्ट से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर लैंडफिल साइट स्थापित की जा सकती है। रायपुर के सकरी में लैंडफिल साइट स्थानीय एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर स्थापित की गई। हालांकि नगर पालिक निगम, रायपुर लैंडफिल स्थापित करने के लिए नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से प्राप्त कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा।
- लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि नगर निगम क्षेत्र से एकत्रित मिश्रित कचरे से सैनिटरी लैंडफिल भर दिया गया है। कचरे के प्रसंस्करण के लिए प्रसंस्करण संयंत्र जिसे ठेकेदार द्वारा मई 2019 तक पूरा किया जाना था जबकि 13 महीने की देरी के बाद जून 2020 में पूरा किया। परिणामतः इन 13 महीनों के दौरान एकत्रित कचरे को अस्थायी रूप से सकरी में निर्मित लैंडफिल साइट में संग्रहित किया गया था। जून 2020 में प्लांट के उद्घाटन के बाद दैनिक एकत्रित कचरे के साथ-साथ संचित कचरे का आंशिक प्रसंस्करण भी शुरू किया गया, एवं प्रोसेसिंग प्लांट से निकलने वाले निष्क्रिय पदार्थ को भी उसी लैंडफिल में डाला जा रहा था। परिणामतः सैनिटरी लैंडफिल के सभी खानें बिना प्रोसेस किए गए पुराने कचरे एवं निष्क्रिय पदार्थ से भरे गये, जो समय के साथ सड़ गया था। इस कचरे से निकलने वाले रिसाव से भू-जल के दूषित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी पुराने कचरे से आने वाली दुर्गंध की शिकायत थी।
- यह भी पाया गया कि ठेकेदार को 13 महीनों के दौरान एकत्रित कचरे की मात्रा के लिए प्रसंस्करण शुल्क की 65 प्रतिशत राशि यानी ₹ 2233.16 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया, जबकि वास्तव में कचरे का प्रसंस्करण नहीं किया गया था। नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा यह अग्रिम राशि अप्रसंस्कृत कचरे के भंडारण के लिए भूमि भराव के उपयोग के कारण स्वीकृत की गई थी। हालांकि, संग्रहित कचरे के साथ-साथ दैनिक एकत्रित कचरे का आंशिक प्रसंस्करण मार्च 2021 में शुरू किया गया था और नवंबर 2023 तक लगभग 81 प्रतिशत प्रसंस्करण पूरा हो चुका था। इसलिए अनुबंध से हटकर अग्रिम भुगतान के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।



|                                                                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |
| <p><b>3.4.5.4 (ए)– सकरी के लैंडफिल में डाला गया गया अपशिष्ट (दिनांक 24.06.2023)।</b></p> | <p><b>3.4.5.4 (बी) सकरी स्थित लैंडफिल का उपग्रह चित्र (दिनांक 24.06.2023)</b></p>  |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने स्वीकार किया (अगस्त 2023) कि सकरी में प्रसंस्करण सुविधा के निर्माण में देरी के कारण नगर निगम क्षेत्र रायपुर से एकत्रित अपशिष्ट को अस्थायी रूप से लैंडफिल में संग्रहित किया गया था, उक्त पुराने अपशिष्ट का प्रसंस्करण जल्द ही पूरा किया जाएगा।

तथ्य यह है कि सैनिटरी लैंडफिल अप्रसंस्कृत पुराने कचरे से भरा हुआ था, जिससे कचरे के वैज्ञानिक निपटान का उद्देश्य विफल हो गया।

### 3.5 एसडब्ल्यूएम कार्यों की कार्ययोजना, निर्माण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव

एमएसडब्ल्यूएम मैनुअल 2016 के कंडिका 1.4.3.3 के अनुसार एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को एमएसडब्ल्यूएम प्रणालियों की योजना बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से डिजाइन करने के लिए उत्पन्न कचरे की मात्रा और संरचना का आकलन करेगा। नगरपालिका में उत्पन्न अपशिष्ट जनसंख्या, जनसांख्यिकीय विवरण, शहर या कस्बे में प्रमुख गतिविधियों, आय के स्तर और समुदाय की जीवनशैली पर निर्भर करता है। शहरी स्थानीय निकाय में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की मात्रा और संरचना, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान विकल्पों को निर्धारित करती है जिन्हें अपनाया जा सकता है।

#### 3.5.1 आधारभूत क्षमता का अविवेकपूर्ण निर्धारण

एमसीसी के दिशानिर्देशों में प्रत्येक नगर पंचायत में एक, नगर पालिका परिषद में चार और नगर पालिक निगम में दस एसएलआरएम केंद्र के निर्माण के साथ-साथ प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के लिए एक कंपोस्ट शेड का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी स्थानीय निकाय के लिए आधारभूत क्षमता की आवश्यकता को वर्तमान जनसंख्या, आवासों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की संख्या और प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में अनुमानित अपशिष्ट सृजन को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आधार पर निर्धारित नहीं किया गया था।

इसके अलावा नगर पालिक निगम, अंबिकापुर की वार्षिक रिपोर्ट (2022) की जांच में 18 एसएलआरएम केंद्रों के माध्यम से 30686 घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, यानी 1:1705 (एसएलआरएम केंद्र से घर/व्यावसायिक प्रतिष्ठान) के अनुपात में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा था। यद्यपि राज्य में अपनाई गई एमसीसी



अंबिकापुर मॉडल पर आधारित थी, तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्य शहरी स्थानीय निकायों में संचालित एसएलआरएम केंद्रों की संख्या घरों/प्रतिष्ठानों की संख्या के मामले में नगर पालिक निगम, अंबिकापुर के बराबर नहीं थी। नमूना जांच किए गए 15 में से 10<sup>36</sup> शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिक निगम, रायपुर को छोड़कर) में एसएलआरएम केंद्रों का अनुपात घरों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या के मुकाबले 1:2573 से 1:5200 के बीच था। इस प्रकार शहरी स्थानीय निकाय के लिए उपलब्ध बुनियादी अधोसंरचना क्षमता 34 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक कम पाई गयी, जैसा कि **परिशिष्ट 3.12** में दर्शाया गया है। तथापि शहरी स्थानीय निकायों या शासन द्वारा अधोसंरचना संबंधी अंतर को भरे जाने के लिए कोई समीक्षा या मूल्यांकन नहीं किया और शहरी स्थानीय निकाय अपर्याप्त अधोसंरचना क्षमता के साथ कार्य कर रहे थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि शहरी स्थानीय निकायों में एसएलआरएम केंद्रों की क्षमता का विकास सीपीएचईईओ मैनुअल के सिद्धांतों के आधार पर अपशिष्ट सृजन विश्लेषण पर किया गया था। यद्यपि, शहरी स्थानीय निकायों में एसएलआरएम केंद्रों की संख्या विभिन्न अन्य कारकों जैसे कि बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, जनशक्ति और वाहनों की संख्या के आधार पर भिन्न होती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसएलआरएम केंद्रों की आवश्यकता प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में अपशिष्ट के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित नहीं की गई थी।

### 3.5.2 गोधन न्याय योजना के लिए एसडब्ल्यूएम की बुनियादी सुविधाओं का साझाकरण

वर्ष 2020 में राज्य शासन ने गोधन न्याय योजना (जीएनवाई) शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों में एसएलआरएम और कम्पोस्ट शेड में गोबर की खरीद और कम्पोस्ट शेड में गीले कचरे (जैविक) और गोबर के मिश्रण से वर्मी-कम्पोस्टिंग तैयार करने की व्यवस्था की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस योजना को एमसीसी के साथ अभिसरण की रणनीतिक योजना (जुलाई 2020) बनाई और शहरी स्थानीय निकायों के 357 एसएलआरएम केंद्रों के आसपास 377 गोठानों के निर्माण को मंजूरी दी गयी (जिसमें से 20 गोठान नगर पालिक निगम, रायपुर और बिलासपुर के लिए हैं, जहां एमसीसी का क्रियान्वयन नहीं किया गया था)। इसकी भी योजना बनाई गयी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधि में लगे महिला स्व-सहायता समूहों के 9000 सदस्यों को शहरी क्षेत्रों में एमसीसी के साथ गोधन न्याय योजना के तहत खाद बनाने की गतिविधि में भी शामिल किया जायेगा। योजना का दिशा-निर्देश एमसीसी के साथ अभिसरण और सभी शहरी स्थानीय निकायों में निष्पादन के लिए निर्देशित किया गया है।

चूंकि गोधन न्याय योजना के लिए अलग से कोई आधारिक संरचना और मानव बल प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए यह योजना स्व-सहायता समूहों के सदस्यों की मदद से एसएलआरएम केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही थी, जिससे शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मौजूदा संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 10 नमूना जांच शहरी स्थानीय निकायों में आठ एसएलआरएम केंद्र (पूरी तरह या आंशिक रूप से) और दस कम्पोस्ट शेड (**परिशिष्ट 3.9**) का गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी और वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए उपयोग किया जा रहा था। मिश्रित कचरे से अलग किए गए जैविक कचरे

<sup>36</sup> नगर पालिक निगम— कोरबा, जगदलपुर, भिलाई चरोदा, नगर पालिका परिषद— कटघोरा, जांजगीर नैला, कुम्हारी, भाटापारा, जशपुर नगर, कांकर और राजिम

से कम्पोस्ट के प्रसंस्करण के लिए बनाए गए कम्पोस्ट शेड का उपयोग 40 से 45 दिनों के चक्रीय बैच में गाय के गोबर से वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए किया जा रहा था, और एसएलआरएम केंद्रों का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट को सुखाने और पैकेजिंग के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन एसएलआरएम केंद्रों में प्रतिदिन एकत्रित किए जाने वाले कचरे (गीले कचरे) का पृथक्करण और सुपर कम्पोस्टिंग के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि 10 एसएलआरएम केंद्रों में मौजूदा कम्पोस्टिंग पिट का गोधन न्याय योजना के तहत गाय के गोबर से कम्पोस्ट तैयार करने के लिए उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा सात शहरी स्थानीय निकायों में लेखापरीक्षा ने पाया कि एकत्रित किए जाने वाले कचरे की मात्रा, विभिन्न श्रेणी के कचरे की मात्रा, जुमाना पंजी, वाहन रखरखाव पंजी, स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के स्वास्थ्य कार्ड, उपभोक्ता-प्रभार संग्रह पंजी आदि जैसे बुनियादी डेटा को स्व-सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा संधारित नहीं किया जा रहा था।

|                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                     |
| <p>3.5.2(1) नगर पंचायत, नवागढ़ में गोबर से भरा हुआ कम्पोस्ट शेड (दिनांक 13.10.2022)</p>                               | <p>3.5.2 (2) नगर पालिक निगम, जगदलपुर के महाराणा प्रताप वार्ड में गोबर और वर्मी कम्पोस्ट से भरा एसएलआरएम केंद्र (दिनांक 23.11.2022)</p> |
|                                    |                                                    |
| <p>3.5.2 (3) राजिम स्थित एसएलआरएम केंद्र से वर्मी कम्पोस्ट को स्थानांतरित करते हुए सफाई मित्र (दिनांक 12.10.2022)</p> | <p>3.5.2 (4) कटघोरा के एसएलआरएम केंद्र में खाद बनने की प्रतीक्षा में डंप किया गया गोबर (दिनांक 23.9.2022)</p>                          |

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने स्वीकार किया (अगस्त 2023) कि गोधन न्याय योजना के लिए पृथक से मानवबल स्वीकृत नहीं किया गया था, क्योंकि इसे अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की मंजूरी के साथ एकीकृत किया गया था।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि गोधन न्याय योजना के लिए कोई सेटअप स्वीकृत नहीं किया गया था इसलिए उचित और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की क्षमता के बिना गोधन न्याय योजना के अभिसरण ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

### 3.5.3 क्षमता निर्माण के लिए कोई पहल नहीं

एसडब्ल्यूएम 2016 के नियम 11 (के) और 15 (जेडसी) के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारियों (अनुबंध श्रमिकों सहित) की क्षमता निर्माण की व्यवस्था करें और उन्हें ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन, पृथक्करण और परिवहन या स्रोत पर ऐसे अपशिष्ट के प्रसंस्करण के बारे में शिक्षित करें।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए कोई प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार नहीं किया गया था। यद्यपि, विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से कुल 59 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/सेमिनार आयोजित किए गए थे जिनमें से 36 प्रशिक्षण कार्यक्रम नगरपालिकाओं के अधिकारियों और विशेषज्ञों के लिए ऑनलाइन आयोजित किए गए थे। अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित स्वच्छता सर्वेक्षण<sup>37</sup> सम्बंधित वर्षों से जुड़े थे और अधिकारियों के लिए था। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 1045 स्व-सहायता समूहों के सदस्यों (12 प्रतिशत) को शामिल करते हुए केवल तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस प्रकार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगे कर्मचारियों और श्रमिकों को ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन, परिवहन और प्रसंस्करण से संबंधित पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि सफाई कर्मचारियों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रम स्व-सहायता समूह के केवल 12 प्रतिशत सदस्यों को प्रदान किए गए थे।

### 3.5.4 राशि ₹ 202.14 लाख की अनुपयोगी कम्पोस्ट मशीनें

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (तकनीकी सेल)<sup>38</sup> ने जैविक कचरे से खाद बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को 600-3000 किलोग्राम (किग्रा) क्षमता की 64 कम्पोस्ट मशीन क़य की स्वीकृति (सितंबर 2021) दिया, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 2925.00 लाख थी। यह व्यय पंद्रहवें वित्त आयोग के अनटाइड अनुदान से पूरा किया जाना था जो मिलियन प्लस और नॉन-मिलियन प्लस के निकाय (नगर पालिक परिषद और नगर पंचायत) के लिए उपलब्ध थी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को कम्पोस्ट मशीनों की तकनीकी विशिष्टता भी उपलब्ध कराई गई थी।

वर्ष 2021-22 के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान से 57 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 65 कम्पोस्ट मशीनों की खरीद को मंजूरी दी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केवल 18

<sup>37</sup> स्वच्छ सर्वेक्षण को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा 2016 में एक प्रतिस्पर्धी ढांचे के रूप में पेश किया गया था ताकि बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसने भारत के शहरों और कस्बों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को जन्म दिया है।

<sup>38</sup> दिनांक 20.9.2021 के आदेश के अनुसार।

कंपोस्ट मशीनें ही कार्यरत थीं और 37 शहरी स्थानीय निकायों में शेष मशीनें विभिन्न कारणों से निष्क्रिय थीं।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण (सितंबर-अक्टूबर 2022) के दौरान आठ<sup>39</sup> नमूना जांच शहरी स्थानीय निकायों में यह देखा गया कि कय की गई 12 कंपोस्ट मशीनों में से छः शहरी स्थानीय निकायों में दस मशीनें फेज विद्युत कनेक्शन, आवश्यक सामग्री जैसे-चूरा, कार्बन कल्चर पाउडर की अनुपलब्धता और मशीन को संचालित करने के प्रशिक्षण की कमी या स्थापित न होने जैसे कारणों से संचालित नहीं थीं (परिशिष्ट 3.13)। इस प्रकार ₹ 202.14 लाख की लागत वाली 10 कम्पोस्ट मशीनें, चालू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी के कारण निष्क्रिय पड़ी रहीं।

इसके अलावा दो<sup>40</sup> शहरी स्थानीय निकायों में यद्यपि मशीनें चालू हालत में पाई गईं तथापि उत्पादित कम्पोस्ट की मात्रा, बेची गई कम्पोस्ट की मात्रा तथा कम्पोस्ट की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट जैसी जानकारी शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध नहीं थी।

शहरी स्थानीय निकायों में बेकार पड़ी कम्पोस्ट मशीनों की तस्वीरें नीचे फोटोग्राफ संख्या 3.5.4 (1), (2), (3), (4), (5), (6) में दी गई हैं।



3.5.4 (1) न.पं, पथलगांव में निष्क्रिय विक्क कम्पोस्ट मशीन (दिनांक 07.09.2022)



3.5.4 (2) नगर पालिक परिषद कांकर में स्थापित नहीं की गई विक्क कम्पोस्ट मशीन (दिनांक 19.10.2022)



3.5.4 (3) नगर पालिक परिषद, भाटापारा में विक्क कम्पोस्ट मशीन स्थापित नहीं की गई (दिनांक 27.09.2022)



3.5.4 (4) नगर पालिक परिषद, भाटापारा में चार नग कम्पोस्ट मशीन (दिनांक 27.09.2022)

<sup>39</sup> नगर पालिक निगम, अंबिकापुर, नगर पालिका परिषद— कुम्हारी, कांकर, जशपुर, भाटापारा, जांजगीर—नैला, और नगर पंचायत—पथलगांव, पाली

<sup>40</sup> नगर पालिका परिषद, कुम्हारी और जशपुर



|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>3.5.4 (5) नगर पंचायत— पाली में कम्पोस्ट मशीन (दिनांक 08.09.2022)</p>           | <p>3.5.4 (6) नगर पालिका परिषद, कुम्हारी में कम्पोस्ट मशीन (दिनांक 27.10.2022)</p>  |

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि कम्पोस्ट मशीनों को शीघ्रातिशीघ्र चालू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

### 3.5.5 बेलिंग और फटका मशीन पर 46.61 लाख का निष्फल व्यय

सूडा ने 14वें केंद्रीय वित्त आयोग से केन्द्राश एवं अधोसंरचना मद से राज्यांश के रूप में कुल लागत रूपए 1077.30 लाख की तीन श्रेणियों के शहरी स्थानीय निकायों के लिए 186 फटका<sup>41</sup> मशीन और 165 बेलिंग<sup>42</sup> मशीन क्रय की स्वीकृति (जनवरी 2020) प्रदान किया था। हालाँकि किसी भी शहरी स्थानीय निकाय से फटका मशीन अथवा बेलिंग मशीन की मांग संबंधी कोई अभिलेख सूडा में नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच 11 शहरी स्थानीय निकायों में नौ फटका मशीन और नौ बेलिंग मशीन स्थापित की गई थीं। परन्तु संयुक्त भौतिक निरीक्षण (सितंबर-अक्टूबर 2022) में पता चला कि आठ<sup>43</sup> शहरी स्थानीय निकायों में सभी नौ फटका मशीन और छः बेलिंग मशीन कार्यशील अवस्था में नहीं थीं, और शेष तीन<sup>44</sup> शहरी स्थानीय निकायों की तीनों बेलिंग मशीन यद्यपि कार्यशील थे किन्तु निष्क्रिय पायी गई। घरों से संग्रहित किए गए अजैविक कचरे को फटका मशीन से साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये कचरे न तो कीचड़ वाले होते हैं और न ही धूल भरे। इसी तरह शहरी स्थानीय निकायों के आरडीएफ सीमेंट फैक्ट्रियों को न बेचे जा रहे हैं और ना ही सड़क की सफाई और नाली की सफाई से निकलने वाले कचरे को एसएलआरएम केंद्रों में लाया जा रहा है। इस प्रकार, बेलिंग और फटका मशीनों की कोई उपयोगिता नहीं थी। चूंकि ये मशीनें खरीद के समय से ही चालू नहीं किये गए थे इसलिए ये बेकार हो गए और इन मशीनों की खरीद पर किया गया ₹ 46.61 लाख का व्यय निष्फल साबित हुआ।

गैर-परिचालित फटका और बेलिंग मशीनों की फोटोग्राफ क्रमांक 3.5.5 (1), (2), (3) और (4) में दी गई हैं।

<sup>41</sup> फटका मशीन का उपयोग नाली सफाई और सड़क सफाई के दौरान निकले अकार्बनिक कचरे से धूल और कीचड़युक्त मिट्टी को हटाने के लिए किया जाता है।

<sup>42</sup> अकार्बनिक अपशिष्ट को संपीड़ित करने के लिए बेलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है।

<sup>43</sup> नगर पालिक निगम— भिलाई चरौदा, नगर पालिका परिषद— भाटापारा, जांजगीर नैला, कुम्हारी, जशपुर, नगर पंचायत— पत्थलगांव, पाली, नवागढ़

<sup>44</sup> नगर पालिक निगम, जगदलपुर, नगर पालिका परिषद, राजिम और फरसगांव

|                                                                                           |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          |  |
| <p>3.5.5 (1) नगर पालिक परिषद भाटापारा सुभाष वार्ड में बेलिंग मशीन (दिनांक 27.09.2022)</p> | <p>3.5.5 (2) नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला का बेलिंग मशीन (दिनांक 30.09.2022)</p>  |
|          |  |
| <p>3.5.5 (3) नगर पालिक परिषद, जांजगीर-नैला में फटका मशीन (दिनांक 30.09.2022)</p>          | <p>3.5.5 (4) नगर पंचायत, नवागढ़ में फटका मशीन (दिनांक 12.10.2022)</p>              |

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि शासन इन मशीनों को उपयोग के अनुकूल बनाने तथा राज्य भर में अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

## 3.6 अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी और मूल्यांकन

### 3.6.1 निगरानी के लिए डेटा संग्रहण और विश्लेषण

एमएसडब्ल्यूएम मैनुअल 2016 धारा 6 में नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई) के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया है। उचित एम एंड ई के लिए आवश्यक डेटा स्रोत जैसा कि तालिका 3.1 में विस्तृत विवरण दिया गया है, शहरी स्थानीय निकाय की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय जानकारी मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा सृजित, संग्रहित, परिवहन, संसाधित किए गए कचरे की धर्मकांटा से मात्रा के संबंध में डेटा का संग्रहण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि ये आधारभूत डेटा हैं, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निष्पादन को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट (2017-18 से 2021-22) में वर्तमान जनसंख्या के बजाय 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़े लेकर तैयार की जा रही थी। इसी तरह प्रति व्यक्ति उत्पन्न कचरे की मात्रा का डेटा भी विश्वसनीय नहीं था क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों में व्यवस्थित अपशिष्ट मात्रा निर्धारण प्रक्रिया विकसित नहीं की गई थी। उत्पन्न और एकत्र किए गए कचरे की मात्रा निर्धारित करने के लिए आवश्यक वजन मशीन नमूना जाँच 15 शहरी स्थानीय निकायों



(नगर पालिक निगम, रायपुर को छोड़कर) में से किसी भी एसएलआरएम केंद्रों पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। संयुक्त निरीक्षण में यह भी पाया कि एसएलआरएम केंद्रों को उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा था, और आठ एसएलआरएम केंद्रों में वजन मशीन उपलब्ध भी नहीं थी।



3.6.1(1)— एसएलआरएम केन्द्र कोरबा की इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन (दिनांक 02.12.2022)

3.6.1(2)—एसएलआरएम केन्द्र भिलाई-चरौदा की इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन (दिनांक 23.11.2022)

यह भी देखा गया कि एसएलआरएम केंद्रों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निर्धारित सभी 11<sup>45</sup> प्रोफार्मा में आवश्यक जानकारी का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। एसएलआरएम केंद्रों पर प्रारंभिक रिकॉर्ड का रखरखाव और डेटा संकलन के अभाव में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कचरे के शत प्रतिशत संग्रहण और प्रसंस्करण की रिपोर्ट एसएलबी को दिया जा रहा था, जबकि जमीनी स्तर पर तथ्य अलग थे।

इसके अलावा सात शहरी स्थानीय निकायों द्वारा परिचालन व्यय का डेटा उपलब्ध नहीं कराया जा सका और 12 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विगत पांच वर्षों के लिए उपभोक्ता-प्रभार की वर्षवार मांग के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये जा सके। यहां तक कि विभाग के पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, निपटान और उपभोक्ता-प्रभार संग्रहण का संकलित डाटा भी उपलब्ध नहीं था। अतः यह स्पष्ट है कि निकाय स्तर पर प्राथमिक और बुनियादी डेटा संधारित नहीं किया जा रहा था, इससे यह भी पता चलता है कि राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक समुचित तंत्र मौजूद नहीं था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि सभी शहरी स्थानीय निकायों के पास इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा है। एसएलआरएम केंद्रों में कचरे का वजन और अभिलेखों का रखरखाव नियमित रूप से किया जाता है। शहरी स्थानीय निकाय स्वच्छतम एमआईएस पोर्टल पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यापक जानकारी मासिक रूप से अद्यतन करते हैं।

<sup>45</sup> नमूना जांच निकायों में नगर पालिक निगम— अंबिकापुर, जगदलपुर, भिलाई-चरौदा, नगर पालिका परिषद— कांकर, भाटापारा, जशपुर और नगर पंचायत— राजिम में निर्धारित 11 प्रोफार्मा में से, 12 एसएलआरएम केंद्रों में 08 से 11 प्रोफार्मा, नौ एसएलआरएम केंद्रों में 04 से 07 और 17 एसएलआरएम केंद्रों में 0 से 3 प्रोफार्मा का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एसएलआरएम केंद्रों से अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान के डेटा के संग्रह के लिए बुनियादी तंत्र की कमी थी, जो निकाय स्तर पर पोर्टल में डेटा अपडेट करने के लिए आवश्यक है। इसलिए ये आंकड़े निकायों द्वारा अनियमित तरीके से मैन्युअल रूप में दर्ज किए जाते हैं। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए और एसएलबी में प्रकाशित डेटा असंगत थे।

निर्गम बैठक में विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण ने भी इस बात कि पुष्टि (अगस्त 2023) किया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार किया गया है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को प्रस्तुत किया गया, परन्तु निकायों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए सीईसीबी में कोई तंत्र मौजूद नहीं है।

### 3.6.2 सूचना, शिक्षा और संचार

एमएसडब्ल्यूएम मैनुअल 2016 के कंडिका 1.4.5.13 में कहा गया है कि एक कुशल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के लिए चाहे रणनीति कुछ भी हो, अपशिष्ट उत्पादकों से महत्वपूर्ण सहयोग, सक्रिय सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता होती है। सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) व्यक्तियों और समुदायों में जोखिम कम करने वाले व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए एक बहुस्तरीय आयाम है।

एमएसडब्ल्यूएम मैनुअल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुसार व्यवहार परिवर्तन को बनाये रखने के लिए आईईसी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे शामिल हैं।

- i. 3 आर के माध्यम से अपशिष्ट सृजन को कम करना।
- ii. अपशिष्ट को जैव-निम्नीकरणीय, गैर जैव-निम्नीकरणीय, ई-अपशिष्ट आरोग्यकर और घरेलू हानिकारक अपशिष्ट में अलग करना।
- iii. अपशिष्ट संग्रहकर्ता को मासिक उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करना।
- iv. सुरक्षात्मक उपकरणों के उपयोग के लिए कर्मचारियों के बीच जागरूकता।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमसीसी की एसओपी के अंतर्गत तैयार की गई आईईसी गतिविधि की रणनीति में जोखिम कम करने, व्यवहार परिवर्तन को बनाए रखने के लिए आवश्यक विशिष्ट मुद्दों को आईईसी के माध्यम से संबोधित नहीं किया गया था। हालांकि, स्वच्छता सर्वेक्षण को बढ़ावा देने के लिए आईईसी गतिविधियों का उद्देश्य बदल दिया गया था।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान सूडा ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 को बढ़ावा देने के निर्देश के साथ 13 नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 220 लाख (अक्टूबर 2019) की राशि सहित आईईसी गतिविधियों के लिए राशि ₹ 57.16 करोड़ स्वीकृत किए गए थे।

नगर पालिक निगम, अंबिकापुर में आईईसी से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्वच्छता सर्वेक्षण को बढ़ावा देने के लिए सूडा द्वारा राशि ₹ 36.92 लाख की राशि स्वीकृत (दिसंबर 2020) की गई थी। तदनुसार मुख्य रूप से दीवार पेंटिंग, बैनर के माध्यम से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को बढ़ावा देने के लिए व्यय किया गया था, परन्तु स्वच्छता का मुख्य मुद्दा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और इससे संबंधित स्वास्थ्य, पर्यावरणीय प्रभाव का ध्यान आकर्षित करने में विफल रहा।



3.6.3 (1) एवं (2) नगर पालिक निगम, अंबिकापुर क्षेत्र में स्वच्छ सर्वेक्षण को बढ़ावा देने वाली दीवार पेंटिंग (फाइल फोटो)

नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा और अंबिकापुर में आईईसी के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण के संदेश प्रदर्शित करने वाले पोस्टर/बैनर/होर्डिंग या भित्ति चित्र और पेंटिंग आदि पर व्यय किया गया।

इससे पता चलता है कि निधि का उपयोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 या एमएसडब्ल्यूएम के सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के अनुसार आईईसी गतिविधियों पर व्यय नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि आईईसी अभियान को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया है, जिसमें स्रोत पर पृथक्करण, अपशिष्ट सृजन को कम करना, पुनर्चक्रण और खाद बनाने को बढ़ावा देना, हानिकारक अपशिष्ट का उचित निपटान और ठोस अपशिष्ट को फैलाने, जलाने या दफनाने को हतोत्साहित करना शामिल है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई आईईसी गतिविधियां मूलतः स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित थी, जोखिम कम करने वाले व्यवहार परिवर्तन के मूल मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया।

### 3.6.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी और आंतरिक नियंत्रण के लिए समिति/बोर्ड का गठन

#### 3.6.3.1 राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड (एसएलएबी) के गठन में देरी और बैठकों की कम आवृत्ति

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के पैरा 1.4.5.4 में परिकल्पना की गई है कि एक कुशल और उन्नत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की योजना बनाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे और उपकरणों के अलावा एक कुशल संस्थागत ढांचा का होना आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक राज्य शासन और केंद्र शासित प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अधिसूचना की तारीख से छः महीने के भीतर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से एक राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड (एसएलएबी) का गठन करेगा। इसके अलावा, खंड 23 (2) और (3) के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के कार्यान्वयन, राज्य नीति के कार्यान्वयन, एमएसडब्ल्यूएम रणनीति से संबंधित मामलों की समीक्षा करने और इन नियमों के शीघ्र और उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने, राज्य शासन को

सलाह देने के लिए एसएलएबी छः महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगा। समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को भेजी जायेगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य शासन द्वारा एसएलएबी का गठन मार्च 2017 में किया गया था, अर्थात् ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अधिसूचना (अप्रैल 2016) के 11 महीने बाद। इसके अलावा वर्ष 2017-22 के दौरान एमएसडब्ल्यूएम नियमों में निर्धारित आवृत्ति के अनुसार आवश्यक 13 बैठकों के मुकाबले एसएलएबी की केवल सात<sup>46</sup> बैठकें आयोजित की गईं।

एसएलएबी की बैठकों के विवरण की जांच से पता चला कि आरडीएफ, बीएमडब्ल्यू, सीएंडडी अपशिष्ट, ई-कचरा, पुराने डंपिंग साइट के उपचार के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए एसएलएबी द्वारा बार-बार निर्देश जारी किए गए। हालांकि, एसएलएबी द्वारा जारी निर्देशों को समयबद्ध तरीके से लागू नहीं किया गया, क्योंकि आठ में से छः पुराने अपशिष्ट स्थलों का आज तक (दिसंबर 2022) उपचार लंबित है। शहरी स्थानीय निकायों के पास सीएंडडी अपशिष्ट, ई-कचरा, आरडीएफ और बीएमडब्ल्यू के उचित निपटान के लिए कोई कार्य योजना नहीं थी।

इसी प्रकार नगर पालिक निगम, रायपुर में संचालन समिति का गठन चार महीने के विलंब से (जुलाई 2018) किया गया। इसके अलावा, समिति की स्थापना के बाद से केवल दो<sup>47</sup> बार ही बैठक हुई थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने एसएलएबी के गठन में विलंब को स्वीकार किया (अगस्त 2023) और कहा कि कोरोना महामारी के कारण बैठक की आवृत्ति प्रभावित हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एसएलएबी की सिफारिशों/निर्देशों का पालन वर्षों से नहीं किया गया।

### **3.6.3.2 छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) द्वारा निगरानी**

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उप नियम 16 (ए) के अनुसार सीईसीबी अपने अधिकार क्षेत्र में स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य में इन नियमों को लागू करेगा और संबंधित नगरीय प्रशासन के संचालनालय या नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रभारी सचिव के साथ आपसी समन्वय से वर्ष में कम से कम दो बार इन नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा।

सीपीसीबी को प्रस्तुत की गई सीईसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 में यह दर्शाया गया कि 162 शहरी स्थानीय निकायों में सभी पुराने डंप स्थलों का उपचार किया जा चुका था। यह भी बताया गया कि एमसीसी मॉडल के तहत अधिकतम प्रसंस्करण किया जा रहा था, जिससे शेष अपशिष्ट के निपटान के लिए लैंडफिल की आवश्यकता समाप्त हो गई। जबकि लेखापरीक्षा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन के पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी, मिश्रित कचरे का संग्रहण, सड़क किनारे कचरे का ढेर, घरेलू हानिकारक अपशिष्ट और

<sup>46</sup> बैठकें 16.04.2018, 05.09.2018, 30.10.2018, 22.04.2019, 15.10.2019, 24.08.2021 और 19.04.2022 को आयोजित की गईं।

<sup>47</sup> दिनांक 18.07.2018 और 21.01.2019

सी एंड डी कचरे के लिए निपटान सुविधा की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और निकायों में खुले डंपिंग स्थलों का अस्तित्व में होना पाया गया।

लेखापरीक्षा के अनुरोध पर सीईसीबी ने नमूना जांच किए गए सात शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निरीक्षण किया (फरवरी-मार्च 2023) और नगर पालिका परिषद, भाटापारा, कांकेर, जांजगीर-नैला और नगर पंचायत राजिम, पथलगांव में अनाधिकृत डंपिंग स्थल होने की पुष्टि की तथा नगर पालिक परिषद, भाटापारा और नगर पंचायत, राजिम में कचरा जलाए जाने को भी स्वीकार किया। नगर पालिक निगम, जगदलपुर और कोरबा में पुराने डंपिंग स्थलों के उपचार में विलम्ब देखा गया।

सीईसीबी ने उत्तर में आगे बताया कि शहरी स्थानीय निकायों में सुविधाओं का समय-समय पर नियमित निरीक्षण किया जाता है और यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिए संबंधित प्राधिकारी को सूचित किया जाता है।

परन्तु किसी भी समीक्षा बैठक का विवरण, निरीक्षण प्रतिवेदन या सीईसीबी से किसी भी सुझाव, सिफारिशों का दस्तावेजी साक्ष्य न तो सूझा द्वारा और न ही किसी नमूना जांच वाले शहरी स्थानीय निकाय द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया। यहां तक कि लेखापरीक्षा द्वारा मांग किये जाने पर भी सीईसीबी ने कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया, इससे यह प्रतीत होता है कि समीक्षा बैठकें निर्धारित तरीके से आयोजित नहीं की जा रही थीं।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर सीईसीबी के विशेष सचिव ने बताया (अगस्त 2023) कि एसएलएबी बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा की गई थी, यद्यपि सीईसीबी द्वारा कभी भी कोई समीक्षा बैठक आयोजित नहीं की गई। यह भी बताया गया कि प्रावधान के अनुसार आगे नियमित समीक्षा बैठकें सुनिश्चित की जाएंगी।

उत्तर से स्पष्ट है कि सीईसीबी जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए राज्य की नोडल एजेंसी है, के पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुरूप निकायों की गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

### 3.7 निष्कर्ष

राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की योजना बनाने के लिए कचरे की मात्रा और संरचना का निर्धारण किया जाना आवश्यक था। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि छत्तीसगढ़ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार नहीं की गई थी। इस प्रकार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना प्रत्येक निकायों में उत्पन्न कचरे की वास्तविक मात्रा और संरचना पर आधारित नहीं थी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन के पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी मौजूदा क्षमता या अंतर का पता लगाने की समीक्षा नहीं की गई। इसलिए निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीति और योजना वर्तमान में उत्पन्न कचरे और उचित सर्वेक्षण/मूल्यांकन के आधार पर भविष्य में उत्पन्न कचरे के अनुमान के अनुरूप नहीं थी।

राज्य की नीति के अनुसार कचरे को मोटे तौर पर दो भागों में अर्थात् जैविक कचरा (गीला कचरा) और अजैविक कचरा (सूखा कचरा) वर्गीकृत किया गया तदनुसार तीन डिब्बों के स्थान पर दो डिब्बे प्रणाली को अपनाया जैसा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में प्रावधान किया गया। परिणामस्वरूप घरेलू हानिकारक अपशिष्ट और जैव चिकित्सा अपशिष्ट (घरेलू) का व्यवस्थित संग्रह और निपटान सुनिश्चित नहीं किया गया। इसके



अलावा, बूचड़खाने, मांस बाजार और मछली बाजार जैसे नगरपालिका अपशिष्टों के लिए विकेंद्रीकृत निपटान प्रणाली स्थापित नहीं की गई। यद्यपि एमसीसी में निष्क्रिय अपशिष्टों के संग्रहण और निपटान का प्रावधान किया गया है, तथापि एमसीसी दिशानिर्देशों में सैनिटरी लैंडफिल/क्षेत्रीय लैंडफिल की आवश्यकता की कल्पना नहीं की गई।

नमूना जाँच 15 शहरी स्थानीय निकायों में कुल 86 एसएलआरएम केंद्र और 16 कम्पोस्ट शेड स्वीकृत किए गए किंतु 67 एसएलआरएम केंद्र (78 प्रतिशत) और चार कम्पोस्ट शेड (25 प्रतिशत) ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए उपलब्ध थे। एसएलआरएम केंद्रों और कम्पोस्ट शेडों का अनियोजित/अपर्याप्त निर्माण और गोधन न्याय योजना के साथ संसाधनों को साझा करने के फलस्वरूप निकायों में कचरे के संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जिस कारण बिना पृथक्करण वाले कचरे को खुले और अनाधिकृत डंपिंग स्थलों पर फेंका जाना पाया गया। हालांकि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) ने रिपोर्ट (2020-21) दी थी कि राज्य में कोई डंपिंग साइट मौजूद नहीं है। परन्तु लेखापरीक्षा में देखा गया कि नौ निकायों में 12 अनाधिकृत डंप साइट और छः पुराने डंप साइट पाए गए जिन्हें सुधारा जाना अपेक्षित है।

खुले वाहनों और बिना आवश्यक विभाजन वाले वाहनों से कचरे का संग्रहण/परिवहन किया जा रहा था, जो यह दर्शाता है कि स्रोत पर पृथक्करण अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया। नियमित और उचित रखरखाव के अभाव में आठ निकायों में ट्राइसाइकिल और ई-रिक्शा अनुपयोगी स्थिति में पाए गए। इसके अलावा छः निकायों में 10 कम्पोस्ट मशीन और आठ शहरी स्थानीय निकायों में नौ फटका तथा छः बेलिंग मशीनें निष्क्रिय पड़ी थीं।

यद्यपि राज्य में राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड (एसएलएबी) का गठन किया गया, किन्तु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों कि निगरानी और मूल्यांकन मौजूद नहीं थे और एसएलएबी की सिफारिशों का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा न तो सीईसीबी और न ही एसएलएबी द्वारा आवधिक रूप से की गयी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत सीईसीबी की वार्षिक रिपोर्ट में राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमियों का उल्लेख नहीं किया गया।

राज्य में सूचना, शिक्षा और संचार (आईसीसी) गतिविधि मुख्य रूप से स्वच्छता सर्वेक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित था, निवासियों में सतत व्यवहार परिवर्तन विकसित करने जैसे मूल मुद्दे को परिभाषित नहीं किया गया था।

राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य की नीति न तो व्यापक थी और न ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुरूप थी।

### 3.8 अनुशंसाएँ

1. राज्य शासन को घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर निकायों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी सुनिश्चित करना चाहिए तथा वित्तीय और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता में अंतर को पूरा करने के लिए समय-समय पर आंकड़ों को अद्यतन करना चाहिए।
2. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राज्य बजट से ₹ 2369.20 लाख की धनराशि को एक अलग खाते में अवरोद्ध रखने की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।



3. विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से जुड़ी प्राप्तियों और व्यय का लेखा-जोखा रखने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी करना चाहिए ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। यूजर चार्ज के लिए उचित मांग और जमा पंजी भी रखा जाना चाहिए।
4. अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य खतरों को ध्यान में रखते हुए, शहरी स्थानीय निकायों को स्व-सहायता समूह के सदस्यों की स्वास्थ्य जांच की एक नियमित प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
5. सभी शहरी स्थानीय निकायों को स्व-सहायता समूह के सदस्यों की गतिविधियों की उचित निगरानी के माध्यम से एसएलआरएम केन्द्रों पर द्वितीयक पृथक्करण भी सुनिश्चित करना चाहिए।
6. शासन को राज्य में मौजूदा सभी डंप साईट को चिह्नित कर उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए।
7. राज्य शासन को नालियों की सफाई से निकले निष्क्रिय/अपशिष्ट तथा अधिकतम पृथक्करण एवं प्रसंस्करण से बचे अन्य अपशिष्टों के निपटान के लिए स्थानीय लैंडफिल की स्थापना पर विचार करना चाहिए।
8. राज्य शासन को शहरी स्थानीय निकाय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एसएलआरएम केन्द्रों, कम्पोस्ट शेडों, वाहनों, औजारों, मानव संसाधन आदि जैसे क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहिए।
9. राज्य शासन द्वारा एकत्रित कचरे को मापने के लिए माप-तौल यंत्र की अधिष्ठापन के लिए विभाग को निर्देश जारी करना चाहिए तथा शहरी स्थानीय निकायों में एकत्रित कचरे के आंकड़ों का अभिलेखन सुनिश्चित करना चाहिए।
10. राज्य शासन द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए केंद्रीकृत रणनीतिक योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें सभी हितधारकों के व्यवहार में सतत परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।



## अध्याय IV

### शहरी स्थानीय निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा



## अध्याय IV

### अनुपालन लेखापरीक्षा

#### नगरीय प्रशासन और विकास विभाग

#### 4.1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) हेतु कम मूल्य वाली भूमि का हस्तांतरण

**वैकल्पिक स्थल पर ईडब्ल्यूएस के लिए हस्तांतरित की गई भूमि का मूल्य कम होने के कारण कॉलोनाइजर को ₹ 1.54 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाना**

छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम और नगरपालिका (कॉलोनाइजर के पंजीकरण, नियम एवं शर्तें) नियम, 2013 के नियम 10(1) के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में प्रत्येक आवासीय कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा कुल क्षेत्रफल की 15 प्रतिशत भूमि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए सक्षम प्राधिकरण को हस्तांतरित की जाएगी। आगे, नियम 10(2) के अनुसार, यदि किसी कारण से कॉलोनाइजर प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी में भूमि हस्तांतरित करने की बजाय वैकल्पिक स्थान पर भूमि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव करता है, तो वह कुछ शर्तों के तहत ऐसा कर सकता है, जो नियम में उल्लिखित हैं। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम और नगरपालिका के नियम 10(2)(घ) के अनुसार प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी की भूमि के 15 प्रतिशत मूल्य के बराबर मूल्य वाली भूमि की पेशकश की जानी चाहिए, बशर्ते कि प्रस्तावित भूमि का उपयोग मास्टर प्लान में आवासीय रूप में निर्धारित किया गया हो। नियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भूमि के मूल्य की गणना बाजार मूल्य निर्धारण सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी।

कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, कांकर के अभिलेखों की जांच (नवंबर 2019) से यह पाया गया कि कॉलोनाइजर<sup>1</sup> को सहायक संचालक, नगर और ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, कांकर द्वारा जुलाई 2015 में आदर्श नगर, श्रीराम नगर वार्ड में 8.80 एकड़ (35612 वर्ग मीटर) के कुल क्षेत्रफल में आवासीय कॉलोनी (गोकुल धाम) विकसित करने की अनुमति दी गई थी, जो राजस्व विभाग द्वारा भूमि के परिवर्तन की शर्त पर थी। राजस्व विभाग द्वारा अप्रैल 2017 में भूमि उपयोग को पूर्वव्यापी तिथि अर्थात् वर्ष 2014-15 से परिवर्तित किया गया। कॉलोनाइजर द्वारा प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी में भूमि के कुल मूल्य की गणना के लिए कृषि भूमि की दरों का उपयोग किया और जिसके अनुसार 5284.87 वर्ग मीटर भूमि जिसका मूल्य ₹ 28.12 लाख था को ईडब्ल्यूएस के लिए में वैकल्पिक स्थल पर हस्तांतरित (अक्टूबर 2016) की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर और ग्राम निवेश द्वारा कॉलोनी के विकास के लिए दी गई अनुमति के अनुसार कॉलोनाइजर द्वारा प्रस्तुत भूमि को आवासीय होना चाहिए था और तदनुसार भूमि को परिवर्तित (डाइवर्टेड) किया जाना था। इसलिए, आवासीय कॉलोनियों के लिए निर्धारित प्लॉट दर की जगह कृषि भूमि के लिए निर्धारित दर का उपयोग कर आवासीय कॉलोनी की भूमि के 15 प्रतिशत के बराबर मूल्य की गणना

<sup>1</sup> मेसर्स सतगुरु इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (गोकुलधाम)

करना और इसे ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए हस्तांतरित करना सही नहीं था।

बाजार मूल्य निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांत वर्ष 2016–17 के अनुसार आवासीय प्लॉट के लिए निर्धारित दरों के अनुसार, प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी में भूमि का कुल मूल्य ₹ 24.20<sup>2</sup> करोड़ था। उपरोक्त नियम 10(2)(घ) के अनुसार, कॉलोनाइजर को वैकल्पिक स्थल पर 15 प्रतिशत भूमि के मूल्य (मूल्य ₹ 3.63 करोड़) के बराबर भूमि की पेशकश करनी थी, किन्तु कॉलोनाइजर द्वारा मात्र ₹ 2.09<sup>3</sup> करोड़ की भूमि (5284.87 वर्ग मीटर) हस्तांतरित की। इस प्रकार कॉलोनाइजर द्वारा ₹ 1.54 करोड़ (₹ 3.63 करोड़—₹ 2.09 करोड़) कम मूल्य की भूमि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हस्तांतरित की गई।

इससे न केवल कॉलोनाइजर को ₹ 1.54 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ, अपितु समाज के ईडब्ल्यूएस को उनके वैधानिक अधिकार वाली भूमि से भी वंचित किया गया।

इंगित किये जाने पर शासन ने यह बताया (जनवरी 2024) कि कृषि भूमि से संबंधित दरें लागू थीं न कि विकसित भूमि के लिए निर्धारित दरें जैसा कि लेखापरीक्षा में इंगित किया गया। कृषि भूमि के मामले में, जिसका क्षेत्रफल 0.15 हेक्टेयर या उससे कम है, प्रति वर्ग मीटर की दर लागू थी और 0.15 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की भूमि के मामले में, क्षेत्र की कृषि भूमि की दर प्रति हेक्टेयर लागू थी। शासन ने आगे बताया कि आवासीय कॉलोनी की भूमि पहले अविकसित भूमि में प्रस्तावित की गई थी और नगर और ग्राम निवेश ने अपने आदेश में परिवर्तन की शर्त जोड़ दी थी, जो यह दर्शाती है कि प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी की भूमि कृषि भूमि थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी की अनुमति नगर और ग्राम निवेश द्वारा कॉलोनाइजर से भूमि उपयोग परिवर्तन की शर्त पर दी गई थी। भूमि उपयोग को वर्ष 2014–15 से आवासीय के रूप में परिवर्तित भी किया गया था, इसलिए प्रस्तावित कॉलोनी पर आवासीय प्लॉट की दरें लागू थीं। कृषि भूमि की दरों को लागू करके, भूमि का अवमूल्यन हुआ और वैकल्पिक स्थल पर ईडब्ल्यूएस को कम भूमि हस्तांतरित करके कॉलोनाइजर को अनुचित लाभ दिया गया।

## 4.2 कॉलोनाइजर्स से शुल्क की कम वसूली

### कोरबा नगरपालिक निगम द्वारा भूमि की अनुचित दर उपयोग किए जाने के कारण तीन कॉलोनाइजर्स से ₹ 76 लाख के शुल्क की कम वसूली

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम और नगरपालिका (कॉलोनाइजर के पंजीकरण, नियम एवं शर्तें) नियम, 2013 के नियम 10(1) के अनुसार, कॉलोनाइजर को 15 प्रतिशत भूमि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सक्षम प्राधिकरण को स्थानांतरित करनी चाहिए। इसके अलावा, नियम 10(3) के अनुसार यदि प्रस्तावित कॉलोनी का क्षेत्रफल एक एकड़ से कम है, तो कॉलोनाइजर को जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित भूमि के क्षेत्रफल के लिए

<sup>2</sup> कुल भूमि क्षेत्रफल = 35612 वर्ग मीटर, [वर्ष 2016–17 में भूमि का मूल्य (पहले 4048 वर्ग मीटर ₹ 8731/वर्ग मीटर की दर से) + (शेष 31564 वर्ग मीटर ₹ 8731 के 75 प्रतिशत की दर से) = ₹ 24.20 करोड़]

<sup>3</sup> कुल भूमि क्षेत्रफल = 5284.87 वर्ग मीटर, [वर्ष 2016–17 में भूमि का मूल्य (पहले 4048 वर्ग मीटर ₹ 4205/वर्ग मीटर की दर से) + (शेष 1236.87 वर्ग मीटर ₹ 4205 के 75 प्रतिशत की दर से) = ₹ 2.09 करोड़]



मौजूदा दर पर शुल्क भुगतान करने का विकल्प दिया जाता है और राशि को नगरपालिका के "गरीबों की सेवाओं के लिए कोष" बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय आयुक्त, नगरपालिक निगम कोरबा के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2020) के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप-संचालक, नगर और ग्राम निवेश, कोरबा द्वारा नगरपालिक निगम, कोरबा के तीन भिन्न-भिन्न स्थानों पर तीन निजी कॉलोनाइजर्स<sup>4</sup> को क्रमशः मार्च 2016, जुलाई 2016 और दिसंबर 2018 में आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि विकास की अनुमति प्रदान की गई थी। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि विकास के लिए भूमि को भू-राजस्व विभाग के अभिलेखों में आवासीय के रूप में परिवर्तित करना आवश्यक है। उपरोक्त तीन मामलों में से दो मामलों में अनुमति देने के समय भूमि के उपयोग को आवासीय में परिवर्तित किया गया, जबकि एक मामले में नगर और ग्राम निवेश द्वारा अनुमति देने के बाद मई 2018 में भूमि उपयोग परिवर्तित करने का आदेश जारी किया गया था। इसके अलावा, कोरबा नगरपालिक निगम द्वारा इन तीन कॉलोनाइजर्स को कोरबा नगरपालिक निगम के इन तीन विभिन्न स्थलों पर कॉलोनियों के विकास और प्लेटों के निर्माण के लिए क्रमशः नवंबर 2016, दिसंबर 2017 और जनवरी 2019 में अनुमति प्रदान की गई थी। इन तीन कॉलोनाइजर्स को विकास के लिए आवंटित भूमि का क्षेत्रफल क्रमशः 2,267.06 वर्ग मीटर (0.223 हेक्टेयर), 3,039.03 वर्ग मीटर (0.304 हेक्टेयर) और 3,474.62 वर्ग मीटर (0.347 हेक्टेयर) था। प्रस्तावित कॉलोनियों का भूमि क्षेत्रफल एक एकड़ (0.405 हेक्टेयर) से कम होने के कारण, कॉलोनाइजर्स द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए हस्तांतरित किए जाने वाले 15 प्रतिशत भूमि के बदले मौजूदा भूमि दर पर "गरीबों की सेवाओं के लिए कोष" में शुल्क का भुगतान करने का विकल्प चुना। तदनुसार, कॉलोनाइजर्स द्वारा 15 प्रतिशत भूमि के बदले शुल्क के रूप में ₹ 2.72 लाख, ₹ 1.08 लाख और ₹ 4.37 लाख कुल ₹ 8.17 लाख जमा किया गया था।

कॉलोनाइजर द्वारा भूमि के बदले भुगतान किया गया शुल्क कृषि भूमि के लिए बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में निर्धारित प्रति हेक्टेयर दर के आधार पर गणना किया गया था, क्योंकि जिला कलेक्टर द्वारा भूमि के लिए बाजार दरें पृथक से निर्धारित नहीं की गई थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के लिए अचल संपत्ति के बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के अनुसार यदि किसी कृषि भूमि का क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर से कम है और नगरपालिक निगम की सीमा के अंदर आवासीय उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया है, तो उस क्षेत्र के लिए बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में निर्धारित प्लॉट दरों पर बाजार मूल्य की गणना की जानी चाहिए। इन तीन स्थलों पर भूमि की प्लॉट दरें ₹ 7,125 प्रति वर्ग मीटर, ₹ 6,700 प्रति वर्ग मीटर और ₹ 5,600 प्रति वर्ग मीटर थी। इसलिए, इन स्थलों के लिए 15 प्रतिशत भूमि के बदले में शुल्क क्रमशः ₹ 24.23 लाख, ₹ 30.54 लाख और ₹ 29.19 लाख कुल मिलाकर ₹ 83.96 लाख होगा।

<sup>4</sup> मेसर्स सर्वमंगला बिल्डकॉन (2267.06 वर्ग मीटर), मेसर्स आरकेसी इंफ्राटेक (3039.03 वर्ग मीटर) और मेसर्स एच. एम. इंफ्राटेक, कोरबा (3474.62 वर्ग मीटर)

इस प्रकार कुल ₹ 83.96 लाख के शुल्क की वसूली की जानी चाहिए थी, जबकि कॉलोनाइजर्स द्वारा गरीबों के लिए सेवा कोष में ₹ 8.17 लाख का शुल्क जमा किया गया। बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में निर्धारित दर को सही तरीके से लागू करने में कोरबा नगरपालिक निगम की विफलता के कारण गरीब कोष में ₹ 75.79 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित (फरवरी 2020) किये जाने पर आयुक्त, नगरपालिक निगम, कोरबा द्वारा जवाब में बताया गया (सितंबर 2021) कि शुल्क की राशि उप पंजीयक द्वारा जारी अचल संपत्ति के मूल्य निर्धारण मार्गदर्शिका के अनुसार अविकसित भूमि के प्रति हेक्टेयर की दर पर वसूली की गयी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी 0.405 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की कृषि भूमि यदि आवासीय उपयोग के लिए परिवर्तित की जाती है, तो बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में निर्धारित प्लॉट दरें लागू होंगी। इसलिए शुल्क की वसूली मार्गदर्शिका में निर्धारित उच्च दरों पर की जानी चाहिए थी।

प्रकरण शासन को मई 2022 में सूचित किया गया था। हालांकि, जनवरी 2023 तक शासन का कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

#### 4.3 कार्य में उपयोग किए गए पाइप्स के लिए ठेकेदार को उच्च दरों पर अनियमित भुगतान

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा ठेकेदार को कार्य में प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप्स का उपयोग किये जाने पर प्री-कास्ट कंक्रीट पाइप्स के लिए लागू उच्च दरों पर भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 7.88 करोड़ का अधिक भुगतान किया जाना

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के खण्ड 2 के नियम 9 के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो सार्वजनिक निधि से किसी भी व्यय का उपभोग या अनुमति प्रदान करता है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह वित्तीय औचित्य के मानकों का उल्लंघन नहीं करता है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक निधि से किए गए व्यय के संबंध में उतनी ही सतर्कता बरतेगा जैसा कि एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में करेगा। व्यय को प्रथम दृष्टया अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए।

मिशन संचालक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) के तहत, जल आपूर्ति संवर्धन योजना चरण-2 कोरबा के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति मई 2016 में जारी किया, जिसकी लागत ₹ 207.03 करोड़ थी। तदनुसार नगरपालिक निगम, कोरबा द्वारा राँ वाटर पंपिंग मेन, क्लियर वाटर पंपिंग मेन, क्लियर वाटर ग्रेविटी मेन के लिए पीसीसीपी पाइप्स और डीआई पाइप्स की आपूर्ति, बिछाने, जोड़ने, इंटरकनेक्शन, परीक्षण और कमीशनिंग कार्य के लिए जून 2016 में नोटिस इनवाइटिंग टेंडर (एनआईटी) जारी की गई। एनआईटी के अनुलग्नक ई-1 के कार्य विवरण में जल आपूर्ति मेन के लिए प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट सिलिंडर पाइप्स का उपयोग शामिल था। यह कार्य एक ठेकेदार<sup>5</sup> को ₹ 115.51 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर नवंबर 2016 में दिया गया और ठेकेदार को मई 2023 तक ₹ 103.55 करोड़ (23वां चल देयक) का भुगतान किया गया।

<sup>5</sup> मेसर्स द इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड, मुंबई

कार्यालय आयुक्त, नगरपालिक निगम, कोरबा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान (मार्च 2020) लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार को प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप्स की आपूर्ति के लिए प्री-कास्ट कंक्रीट पाइप्स के लिए लागू उच्च दरों पर भुगतान किया गया। एसओआर 2013 के अनुसार, प्री-कास्ट कंक्रीट पाइप (500 मिमी से 800 मिमी) के लिए दरें ₹ 6,372 से ₹ 9,688 प्रति रनिंग मीटर तक थीं, जबकि प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप्स के लिए दरें ₹ 3,371 से ₹ 6,233 प्रति रनिंग मीटर थीं। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 7.88 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-4.1** में वर्णित किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनआईटी सही तरीके से तैयार नहीं किया गया था और कार्य में उपयोग किए जाने वाले आइटमों की दरों और प्रकार/नाम में विसंगतियाँ थीं। एनआईटी के अनुलग्नक ई-1 में पाइप की विशेषताओं के अनुसार प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप के लिए पीसीसीपी शब्दावली का उपयोग किया गया था, जबकि एसओआर में पीएससीपी शब्द निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनआईटी में सभी डिजाइन मानदंड, विनिर्देश विवरण और मानक (आईएस: 784) प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप्स के लिए निर्धारित किए गए थे। लेकिन मात्रा अनुसूची/एनआईटी में प्री-कास्ट कंक्रीट पाइप के लिए लागू दरों को अपनाया गया। हालांकि, क्लियर वाटर ग्रेविटी मेन और क्लियर वाटर पंपिंग मेन के कार्य के लिए प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप्स के लिए सही एसओआर आइटम क्रमांक 20.10 और पृष्ठ (237) का संदर्भ दिया गया, जबकि रॉ वाटर पंपिंग मेन के लिए गलत एसओआर आइटम क्रमांक 19.11 और पृष्ठ (230) का उल्लेख किया गया था। इसके बाद कार्यपालन अभियंता और आयुक्त नगरपालिक निगम द्वारा एनआईटी में अगस्त 2016 में संशोधन को अनुमोदित किया गया था, जिसमें प्री-स्ट्रेस्ड पाइप्स से संबंधित आइटम क्रमांक 20.10 (अध्याय 20) को सही संदर्भ आइटम क्रमांक 19.11 (अध्याय 19) के लिए संशोधित किया गया था, जो प्री-कास्ट कंक्रीट पाइप्स से संबंधित था। इस प्रकार, संशोधन ने मौजूदा अस्पष्टता को दूर करने के बजाय उसे सुदृढ़ किया और अनुमोदन प्राधिकारी पर गंभीर प्रश्न उठाए।

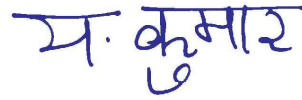
लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर कार्यालय आयुक्त, नगरपालिक निगम ने जवाब में बताया (मार्च 2020) की पीसीसीपी पाइप्स का उपयोग मात्रा अनुसूची/अनुबंध में उल्लेख के अनुसार कार्य में किया गया था। क्लियर वाटर पंपिंग मेन (अनुलग्नक एफ-2) और क्लियर वाटर ग्रेविटी मेन (अनुलग्नक एफ-3) के लिए मात्रा अनुसूची में टंकण त्रुटि के कारण एसओआर के पृष्ठ 230 पर आइटम क्रमांक 19.11 (दर ₹ 9,253) के बजाय एसओआर पृष्ठ 235 और 237 के आइटम नंबर 20.5 और 20.10 का गलती से उपयोग किया गया। इस मामले को सुलझाने के लिए 25 जुलाई 2016 को एक प्री-बिड बैठक आयोजित की गई और तदनुसार संशोधित जानकारी विभाग की वेबसाइट और ई-टेंडर सिस्टम पर अपलोड की गई। यह भी कहा गया कि कार्य में उपयोग किए जाने वाले पीसीसीपी पाइप्स का संदर्भ पीएचई विभाग के एसओआर के अध्याय 19 में उल्लेखित है। यह देखा जा सकता है कि रॉ वाटर राइजिंग मेन और क्लियर वाटर राइजिंग मेन के लिए उपयोग किए गए पीसीसीपी पाइप्स पृष्ठ 95 और 96 में वर्णित समान श्रेणी में आते हैं। इसलिए, अनुबंध/एनआईटी की मात्रा अनुसूची में निर्धारित समान पाइपों का उपयोग ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य में किया गया और तदनुसार भुगतान किया गया।

हालाँकि, उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ठेकेदार ने कार्य में प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइप्स का उपयोग किया है जैसा कि सामग्री खपत विवरण, माप पुस्तिकाओं में दर्ज माप और पाइप्स के परीक्षण प्रतिवेदन से स्पष्ट है। ठेकेदार द्वारा एसओआर के अध्याय-19 के पृष्ठ 230 में संशोधित आइटम कोड संख्या 19.5 में संदर्भित पीसीसीपी पाइप्स का उपयोग नहीं किया गया है और इसलिए कार्य में उपयोग न किए गए आइटम के लिए

ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्री-स्ट्रेसड कंक्रीट पाइप्स के लिए त्रुटिपूर्ण शब्दावली अपनाने के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और शासन के साथ निरंतर प्रयास किये जाने के पश्चात आयुक्त, नगरपालिक निगम कोरबा द्वारा ठेकेदार के 23वें चल देयक से ₹ 8.39 करोड़ (₹ 7.88 करोड़ का अधिक भुगतान और ₹ 0.51 करोड़ ब्याज) की कटौती अप्रैल 2023 में की गई, जो कि लेखापरीक्षा के आपत्ति के आधार पर की गई। यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग, एनआईटी की तैयारी और संशोधन में शामिल अधिकारियों और ठेकेदार को अधिक भुगतान करने के लिए जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई करे।

प्रकरण शासन के संज्ञान में अगस्त 2022 को लाया गया था। हालांकि, मई 2023 तक उत्तर आपेक्षित था।



(यशवंत कुमार)

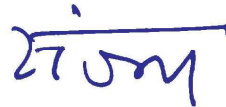
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

छत्तीसगढ़

रायपुर

दिनांक : 11 फरवरी 2025

प्रतिहस्ताक्षरित



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक : 14 फरवरी 2025

परिशिष्ट





## परिशिष्ट- 3.1

(संदर्भ कडिका 3.2.1.1)

आईएसडब्ल्यूएमएफ, नगरपालिक निगम, रायपुर के लिए निधि के स्रोत का विवरण

(₹ अंको में)

| क्र. सं. | माह/अवधि                                                                                                                 | देयक राशि | कटौतियां | भुगतान योग्य राशि | आर.टी.जी.एस. / दिनांक | भुगतान राशि |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 1        | मई से दिसम्बर 2018 तक                                                                                                    | 36933138  | 11182114 | 25751024          | 797 / 25.02.2019      | 25751024    |
| 2        | जनवरी से फरवरी 2019                                                                                                      | 14221797  | 2515657  | 11706140          | 308 / 15.05.2019      | 11706140    |
| 3        | मार्च से अप्रैल                                                                                                          | 17058560  | 2630509  | 14428051          | ..                    | 5000000     |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 850 / 14.08.2019      | 9428051     |
| 4        | मई से अगस्त 2019                                                                                                         | 76727976  | 7095345  | 69632631          | 1137 / 30.09.2019     | 20000000    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 1393 / 14.11.2019     | 20000000    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 1432 / 22.11.2019     | 29632631    |
| 5        | सितम्बर से अक्टूबर 2019                                                                                                  | 50444573  | 3046658  | 47397936          | 1549 / 17.12.2019     | 47397936    |
| 6        | नवम्बर से दिसम्बर 2019                                                                                                   | 56749895  | 3267935  | 53481960          | 1847 / 19.02.2020     | 31079333    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 25.03.2020            | 22402627    |
| 7        | जनवरी से मार्च 2020                                                                                                      | 81044979  | 3361218  | 77683761          | 2080 / 21.04.2020     | 37683761    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 2256 / 06.06.2020     | 30000000    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 2501 / 31.07.2020     | 10000000    |
| 8        | अप्रैल से मई 2020                                                                                                        | 54538786  | 464418   | 54074368          | 2501 / 31.07.2020     | 6245462     |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 2582 / 28.08.2020     | 15000000    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 2694 / 30.09.2020     | 17000000    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 2795 / 29.10.2020     | 15828906    |
| 9        | जून से अगस्त 2020 + मई 2018 से मार्च 2020 तक की फिडबैक राशि की वापसी + मई 2019 से मई 2020 तक की वार्षिक मूल्यवर्धित राशि | 112592482 | 2154839  | 110437643         | 2878 / 18.11.2020     | 40000000    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 2944 / 09.12.2020     | 40000000    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 2998 / 29.12.2020     | 29889452    |
| 10       | सितम्बर से अक्टूबर 2020                                                                                                  | 57354555  | 1741650  | 55612905          | 3101 / 30.01.2021     | 29942645    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 3211 / 03.03.2021     | 10000000    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 3250 / 16.03.2021     | 16218451    |
| 11       | नवम्बर 2020 से फरवरी 2021                                                                                                | 144884683 | 7349851  | 137534832         | 3316 / 31.03.2021     | 30000000    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 81 / 07.05.2021       | 20000000    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 142 / 29.05.2021      | 30000000    |
| 12       | मार्च से मई 2021                                                                                                         | 113031731 | 2031582  | 111000149         | 230 / 01.07.2021      | 35000000    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 443 / 16.09.2021      | 49886968    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 579 / 25.10.2021      | 20000000    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 829 / 30.12.2021      | 10000000    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 932 / 25.01.2022      | 10000000    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 1153 / 31.03.2022     | 25000000    |
|          |                                                                                                                          |           |          |                   | 99 / 29.04.2022       | 18648013    |

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

|     |                                                                |            |          |                                                         |                   |           |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 13  | जून से अगस्त 2021                                              | 123234029  | 3398324  | 119835705                                               | ..                | ..        |
| 14  | सितम्बर से अक्टूबर 2021 + अगस्त से अक्टूबर 2020 तक की शेष राशि | 111769771  | 3199494  | 108570277                                               | ..                | ..        |
| 15  | नवम्बर से दिसम्बर 2021                                         | 89489943   | 1362312  | 88127631                                                | 1016 / 23.02.2022 | 88127631  |
| 16  | जनवरी 2022                                                     | 45831660   | 3228020  | 42603640                                                | ..                | ..        |
| 17  | फरवरी से मार्च 2022                                            | 82099195   | 3247256  | 78851939                                                | ..                | ..        |
| 18  | अप्रैल 2022 + पूर्व में रोक दी गई राशि (80 लाख)                | 50626546   | 1578425  | 49048121                                                | ..                | ..        |
| 19  | मई 2022                                                        | 43168798   | 1553071  | 41615727                                                | 370 / 21.07.2022  | 41615727  |
| 20  | जून से अगस्त 2022                                              | 162523627  | 5658745  | 156863881                                               | ..                | ..        |
| 21  | वार्षिक वेतनवृद्धि की अंतर राशि                                | 49872252   | 997445   | 48874807                                                | ..                | ..        |
| 22  | सितम्बर 2022                                                   | 51766127   | 1867409  | 49898718                                                | ..                | ..        |
| 23  | अक्टूबर 2022                                                   | 52098393   | 288363   | 51810030                                                | ..                | ..        |
| योग |                                                                | 1678063496 | 73220640 | 1604841876                                              |                   | 898484758 |
|     |                                                                |            |          | बकाया भुगतान (1604841876 - 898484758) =<br>70,63,57,118 |                   |           |

(स्रोत: नगरपालिक निगम, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

**परिशिष्ट- 3.2**  
(संदर्भ कंडिका 3.2.2)  
**एमएसडब्ल्यूएम के लिए लागत वसूली की वर्षवार विवरण**

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | शहरी स्थानीय निकायों का नाम | 2017-18      |                |                       | 2018-19      |                |                       | 2019-20      |                |                       | 2020-21      |                |                       | 2021-22      |                |                       |
|----------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|          |                             | परिचालन व्यय | परिचालन राजस्व | लागत वसूली का प्रतिशत | परिचालन व्यय | परिचालन राजस्व | लागत वसूली का प्रतिशत | परिचालन व्यय | परिचालन राजस्व | लागत वसूली का प्रतिशत | परिचालन व्यय | परिचालन राजस्व | लागत वसूली का प्रतिशत | परिचालन व्यय | परिचालन राजस्व | लागत वसूली का प्रतिशत |
| 1        | नगरपालिक निगम रायपुर        | डीएनएम       | 65.14          | ..                    | 682.13       | 77.85          | 11.41                 | 2649.67      | 154.13         | 5.82                  | 3463.70      | 130.02         | 3.75                  | 5654.56      | 1781.75        | 31.51                 |
| 2        | नगरपालिक निगम जगदलपुर       | 290.00       | 42.00          | 14.48                 | 380.00       | 110.00         | 28.94                 | 490.00       | 85.00          | 17.34                 | 540.00       | 155.00         | 28.70                 | 601.00       | 136.00         | 22.62                 |
| 3        | नगरपालिक निगम अखिकापुर      | 346.00       | 200.00         | 57.80                 | 478.00       | 222.00         | 46.44                 | 485.00       | 193.00         | 39.79                 | 573.00       | 164.00         | 28.62                 | 525.00       | 197.00         | 37.52                 |
| 4        | नगरपालिक निगम भिलाई-चरौदा   | 119.00       | 2.00           | 1.68                  | 159.00       | 6.00           | 3.77                  | 182.00       | 30.00          | 16.48                 | 222.00       | 53.00          | 23.87                 | 245.00       | 58.00          | 23.67                 |
| 5        | नगरपालिक निगम कुम्हारी      | 169.51       | 0.85           | 0.50                  | 24.87        | 5.27           | 21.19                 | 54.1         | 2.31           | 4.27                  | 46.87        | 9.01           | 19.22                 | 50.03        | 7.69           | 15.37                 |
| 6        | नगरपालिक निगम कांकर         | 71.00        | 10.00          | 14.08                 | 77.00        | 31.00          | 40.25                 | 86.00        | 19.00          | 22.09                 | 86.00        | 19.00          | 22.09                 | 95.00        | 36.00          | 37.89                 |
| 7        | नगर पंचायत नवागढ़           | 13.22        | 0.29           | 2.19                  | 14.19        | 2.60           | 18.32                 | 14.45        | 2.73           | 18.92                 | 14.34        | 0.49           | 3.42                  | 14.64        | 2.36           | 16.12                 |

\* (नौ शहरी स्थानीय निकायों में आंकड़ों का संधारण नहीं किया गया अर्थात् नगरपालिक निगम कोरबा, नगर पंचायत फरसगांव, नगरपालिका परिषद जशपुर, नगरपालिका परिषद कटघोरा, नगरपालिका परिषद जांजगीर-नैला, नगरपालिका परिषद भाटापारा, नगर पंचायत पाली, नगर पंचायत पथलगांव, नगर पंचायत राजिम)  
(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों से जानकारी प्राप्त कर लेखापरीक्षा द्वारा संकलन)

**परिशिष्ट- 3.3**

(संदर्भ कडिका 3.2.2)

**एमसीसी के अंतर्गत एसएचजी को मानदेय के भुगतान के लिए निधि के स्रोत का विवरण**

(₹ लाख में)

| क्र.सं. | मद जिससे भुगतान किया गया               | मानदेय अवधि (माह में) | स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या | केन्द्र का अंशदान | राज्य का अंशदान | शहरी स्थानीय निकायों का अंशदान | कुल मानदेय भुगतान | अभियुक्ति                                                                  |
|---------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 14 वें वित्त आयोग एवं चूगी क्षतिपूर्ति | 03 / 06               | 8140                                   | 69594             | 231.98          | 1060.48                        | 1988.4            | नगर पालिक निगमों का 3 माह तथा नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों का 06 माह |
| 2       |                                        | 03                    | 8140                                   | 413.67            | 137.90          | 669.41                         | 1221.00           | ..                                                                         |
| 3       |                                        | 03                    | 8156                                   | 428.21            | 142.75          | 652.43                         | 1223.40           | ..                                                                         |
| 4       |                                        | 03                    | 8156                                   | 428.21            | 142.75          | 652.43                         | 1223.40           | जुलाई से सितम्बर 2018                                                      |
| 5       |                                        | 06                    | 8156                                   | 856.38            | 285.46          | 1304.90                        | 2446.80           | अक्टूबर 2018 से मार्च 2019                                                 |
| 6       | चूगी क्षतिपूर्ति                       | 03                    | 8612                                   | 452.15            | 301.42          | 538.22                         | 1291.80           | अप्रैल से जून 2019                                                         |
| 7       |                                        | 03                    | 8612                                   | ..                | ..              | ..                             | 1291.80           | जुलाई से सितम्बर 2019                                                      |
| 8       |                                        | 03                    | 8612                                   | ..                | ..              | ..                             | 258.36            | दिनांक 27.07.2019 को मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ₹ 1000/- की बढ़ोतरी       |
| 9       | अद्योसंरचना / चूगी क्षतिपूर्ति         | 03                    | 8612                                   | ..                | ..              | ..                             | 1550.16           | अक्टूबर से दिसम्बर 2019                                                    |
| 10      |                                        | 03                    | 8612                                   | ..                | ..              | ..                             | 1550.16           | जनवरी से मार्च 2020                                                        |
| 11      |                                        | 03                    | 8612                                   | ..                | ..              | ..                             | 1550.16           | अप्रैल से जून 2020                                                         |
| 12      |                                        | 03                    | 8612                                   | ..                | ..              | ..                             | 1550.16           | जुलाई से सितम्बर 2020                                                      |
| 13      |                                        | 03                    | 8612                                   | ..                | ..              | ..                             | 1550.16           | अक्टूबर से दिसम्बर 2020                                                    |
| 14      |                                        | 03                    | 8612                                   | ..                | ..              | ..                             | 1550.16           | जनवरी से मार्च 2021                                                        |
| 15      |                                        | 03                    | 8916                                   | ..                | ..              | ..                             | 1604.88           | अप्रैल से जून 2021                                                         |
| 16      | चूगी क्षतिपूर्ति                       | 03                    | 8916                                   | ..                | ..              | ..                             | 1604.88           | जुलाई से सितम्बर 2021                                                      |
| 17      |                                        | 09                    | 170                                    | ..                | ..              | ..                             | 91.80             | नगरपालिक निगम राजनांदगांव को अतिरिक्त 170 मानवबल हेतु                      |
|         |                                        |                       |                                        | ..                | ..              | ..                             |                   | (जनवरी से सितम्बर 2021)                                                    |
| 18      |                                        | 06                    | 9195                                   | ..                | ..              | ..                             | 3310.2            | अक्टूबर 2021 से मार्च 2022                                                 |
|         | <b>योग</b>                             |                       |                                        |                   |                 |                                | <b>26857.68</b>   |                                                                            |

(स्रोत: सूजा द्वारा प्रदत्त जानकारी)

**परिशिष्ट- 3.4**  
(संदर्भ कडिका 3.2.3)  
**उपभोक्ता प्रभार संग्रहण की दक्षता दर्शाने वाला विवरण**

(₹ लाख में)

| क्र. सं.                                             | शहरी स्थानीय निकायों का नाम | 2017-18 |              |                    | 2018-19 |               |                    | 2019-20 |               |                    | 2020-21 |               |                    | 2021-22 |                |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------|--------------------|---------|---------------|--------------------|---------|---------------|--------------------|---------|---------------|--------------------|---------|----------------|--------------------|
|                                                      |                             | मांग    | संग्रहण      | संग्रहण का प्रतिशत | मांग    | संग्रहण       | संग्रहण का प्रतिशत | मांग    | संग्रहण       | संग्रहण का प्रतिशत | मांग    | संग्रहण       | संग्रहण का प्रतिशत | मांग    | संग्रहण        | संग्रहण का प्रतिशत |
| 1                                                    | नगरपालिक निगम रायपुर        | डीएनएम  | 65.14        | ..                 | डीएनएम  | 77.85         | ..                 | डीएनएम  | 154.13        | ..                 | डीएनएम  | 130.02        | ..                 | डीएनएम  | 1781.75        | ..                 |
| 2                                                    | नगरपालिक निगम जगदलपुर       | डीएनएम  | 1.78         | ..                 | 101.50  | 66.80         | 65.81              | 102.50  | 47.06         | 45.91              | 121.92  | 96.18         | 78.89              | 121.92  | 106.77         | 87.57              |
| 3                                                    | नगरपालिक निगम कोरबा         | डीएनएम  | 2.36         | ..                 | डीएनएम  | 25.97         | ..                 | डीएनएम  | 26.26         | ..                 | डीएनएम  | 27.16         | ..                 | 225.13  | 154.38         | 68.57              |
| <b>संपत्तिकर के साथ संग्रहित कुल उपभोक्ता प्रभार</b> |                             | ..      | <b>69.28</b> | ..                 | ..      | <b>170.62</b> | ..                 | ..      | <b>227.45</b> | ..                 | ..      | <b>253.16</b> | ..                 | ..      | <b>2042.90</b> | ..                 |
| 4                                                    | नगरपालिक निगम अम्बिकापुर    | 100.00  | 115.67       | 115.67             | 150.00  | 129.4         | 86.27              | 170.00  | 144.22        | 84.84              | 170.00  | 125.66        | 73.92              | 170.00  | 136.00         | 80.00              |
| 5                                                    | नगरपालिका परिषद माटापारा    | 10.00   | 1.61         | 16.10              | 10.00   | 9.91          | 99.10              | 10.00   | 9.69          | 96.90              | 10.00   | 6.15          | 61.50              | 10.00   | 4.62           | 46.20              |
| 6                                                    | नगरपालिका परिषद कांकर       | 10.00   | 8.65         | 86.50              | 31.00   | 28.55         | 92.10              | 19.00   | 16.12         | 84.84              | 19.00   | 16.12         | 84.84              | 36      | 16.64          | 46.22              |
| 7                                                    | नगरपालिक निगम भिलाई-चरौदा   | डीएनएम  | डीएनएम       | ..                 | डीएनएम  | डीएनएम        | ..                 | 33.04   | 23.13         | 70.00              | 67.47   | 47.23         | 70.00              | 69.47   | 48.63          | 70.00              |

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

|                                                      |                             |         |        |        |       |        |        |        |        |        |       |        |        |       |        |        |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 8                                                    | नगरपालिका परिषद कटघोरा      | डीएनएम  | डीएनएम | डीएनएम | ..    | 20.70  | 2.53   | 12.22  | 20.70  | 4.17   | 20.14 | 20.75  | 1.93   | 9.30  | 20.77  | 1.87   | 9.00  |
| 9                                                    | नगरपालिका परिषद जाजगीर-नैला | डीएनएम  | डीएनएम | डीएनएम | ..    | डीएनएम | डीएनएम | डीएनएम | डीएनएम | डीएनएम | ..    | डीएनएम | डीएनएम | ..    | डीएनएम | डीएनएम | ..    |
| 10                                                   | नगरपालिका परिषद कुम्हारी    | 0.85    | 1.20   | 5.28   | 70.83 | 6.00   | 5.28   | 87.83  | 2.80   | 2.32   | 82.50 | 10.00  | 9.01   | 90.10 | 8.00   | 7.69   | 96.13 |
| 11                                                   | नगरपालिका परिषद जशपुर       | 0.22    | डीएनएम | 1.60   | ..    | डीएनएम | 1.60   | ..     | डीएनएम | 1.93   | ..    | डीएनएम | 1.19   | ..    | डीएनएम | 1.04   | ..    |
| 12                                                   | नगर पंचायत पाली             | डीएनएम  | डीएनएम | 2.83   | 94.33 | 3      | 2.83   | 94.33  | 3.5    | 1.78   | 50.86 | 3.5    | 0.46   | 13.14 | 3.5    | 1.96   | 56.00 |
| 13                                                   | नगर पंचायत नवागढ़           | 0.29    | डीएनएम | 2.6    | ..    | डीएनएम | 2.6    | ..     | डीएनएम | 2.73   | ..    | डीएनएम | 0.49   | ..    | डीएनएम | 2.36   | ..    |
| 14                                                   | नगर पंचायत पथलगांव          | 0.56    | डीएनएम | 3.67   | 94.59 | 3.88   | 3.67   | 94.59  | 3.88   | 3.86   | 99.48 | 3.88   | 2.58   | 66.49 | 3.88   | 2.98   | 76.80 |
| 15                                                   | नगर पंचायत राजिम            | 0.88    | डीएनएम | 3.39   | ..    | डीएनएम | 3.39   | ..     | डीएनएम | 3.25   | ..    | डीएनएम | 2.15   | ..    | डीएनएम | 1.96   | ..    |
|                                                      | नगर पंचायत फरसगांव          | डीएनएम  | डीएनएम | ..     | ..    | डीएनएम | ..     | ..     | 3.45   | 2.95   | 85.51 | 3.50   | 3.10   | 88.57 | 3.5    | 3.00   | 85.71 |
| स्व-सहायता समूह द्वारा संग्रहित कुल उपभोक्ता प्रभार  |                             | 128.73  | ..     | 189.76 | ..    | ..     | 189.76 | ..     | ..     | 216.15 | ..    | ..     | 216.07 | ..    | ..     | 228.75 | ..    |
| संपत्तिकर के साथ संग्रहित कुल उपभोक्ता प्रभार—       |                             | 2763.61 |        |        |       |        |        |        |        |        |       |        |        |       |        |        |       |
| स्व-सहायता समूह द्वारा संग्रहित कुल उपभोक्ता प्रभार— |                             | 979.46  |        |        |       |        |        |        |        |        |       |        |        |       |        |        |       |
| महायोग—                                              |                             | 3743.07 |        |        |       |        |        |        |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त जानकारी का लेखापरीक्षा द्वारा संकलन)

(डीएनएम— आंकड़ों का संधारण नहीं किया गया )



**परिशिष्ट- 3.5**  
(संदर्भ कंडिका 3.3.2.2)

शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार अपशिष्ट उत्पादन का आंकलन

| क्र. सं. | शहरी स्थानीय निकायों का नाम  | भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में) | वाड़ों की संख्या | जनसंख्या                 |                             |                | प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन (ग्राम / प्रतिदिन में) | कुल अपशिष्ट उत्पादन (टीपीडी) |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
|          |                              |                                   |                  | 2011 की जनगणना के अनुसार | वार्षिक प्रतिवेदन (2021-22) | प्रतिशत वृद्धि |                                                      |                              |
| 1        | नगरपालिक निगम रायपुर         | 178.00                            | 70               | 1027264                  | 1027264                     | 0              | 535.4                                                | 575                          |
| 2        | नगरपालिक निगम कोरबा          | 215.02                            | 67               | 363390                   | 363390                      | 0              | 246                                                  | 100                          |
| 3        | नगरपालिक निगम अम्बिकापुर     | 41.30                             | 48               | 125392                   | 145300                      | 1.4            | 351                                                  | 52                           |
| 4        | नगरपालिक निगम जगदलपुर        | 50.49                             | 48               | 125463                   | 125463                      | 0              | 295                                                  | 40                           |
| 5        | नगरपालिक निगम भिलाई-चरौदा    | 80.64                             | 40               | 98008                    | 118706                      | 1.8            | 151.64                                               | 18                           |
| 6        | नगरपालिका परिषद कटघोरा       | 17.98                             | 15               | 22609                    | 27228                       | 1.7            | 157.84                                               | 4.2                          |
| 7        | नगरपालिका परिषद जांजगीर-नैला | 19.36                             | 25               | 40561                    | 40561                       | 0              | 225                                                  | 9.12                         |
| 8        | नगरपालिका परिषद कुम्हारी     | 36.01                             | 24               | 35044                    | 35044                       | 0              | 180.34                                               | 6.32                         |
| 9        | नगरपालिका परिषद भाटापारा     | 16.05                             | 31               | 57512                    | 57512                       | 0              | 220                                                  | 5.9                          |
| 10       | नगरपालिका परिषद जशपुरनगर     | 12.66                             | 20               | 25422                    | 25422                       | 0              | 232.44                                               | 6.5                          |
| 11       | नगरपालिका परिषद कांकेर       | 24.00                             | 21               | 27541                    | 27541                       | 0              | 140                                                  | 0.2                          |
| 12       | नगर पंचायत पाली              | 4.09                              | 15               | 5514                     | 6030                        | 1              | 115                                                  | 1                            |

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

|    |                    |       |    |       |       |   |        |      |
|----|--------------------|-------|----|-------|-------|---|--------|------|
| 13 | नगर पंचायत नवागढ़  | 16.61 | 15 | 10541 | 10541 | 0 | 201.01 | 1.73 |
| 14 | नगर पंचायत पथलगाँव | 14.70 | 15 | 16613 | 16137 | 0 | 840    | 0.84 |
| 15 | नगर पंचायत राजिम   | 11.00 | 15 | 14090 | 14090 | 0 | 138    | 3.5  |
| 16 | नगर पंचायत फरसगाँव | 8.00  | 15 | 6306  | 6306  | 0 | 106    | 2    |

(स्रोत: सीईसीबी द्वारा प्रदत्त जानकारी)

**परिशिष्ट- 3.6**  
(संदर्भ कड़िका 3.3.4)  
**शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्षमता विकास**

| क्र. सं. | शहरी स्थानीय निकायों का नाम | वार्डों की संख्या | एसएलआरएम केन्द्र                                           |                                                       | एमसीसी 2017 के अनुसार निर्धारित स्वीकृत एसएलआरएम की संख्या | वर्तमान में एसएलआरएम केन्द्रों की संख्या (मार्च 2022) | कम्पोस्ट शेड                                                   |                                    |
|----------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                             |                   | एमसीसी 2017 के अनुसार निर्धारित स्वीकृत एसएलआरएम की संख्या | वर्तमान में एसएलआरएम केन्द्रों की संख्या (मार्च 2022) |                                                            |                                                       | एमसीसी 2017 के अनुसार निर्धारित स्वीकृत कम्पोस्ट शेड की संख्या | वर्तमान में कम्पोस्ट शेड की संख्या |
| 1        | नगरपालिक निगम कोरबा         | 67                | 10                                                         | 19                                                    | 1                                                          |                                                       |                                                                | 2                                  |
| 2        | नगरपालिक निगम अम्बिकापुर    | 48                | 17*                                                        | 18                                                    | 1                                                          |                                                       |                                                                | 1                                  |
| 3        | नगरपालिक निगम जगदलपुर       | 48                | 10                                                         | 10                                                    | 1                                                          |                                                       |                                                                | 1                                  |
| 4        | नगरपालिक निगम भिलाई-चरौदा   | 40                | 10                                                         | 10                                                    | 1                                                          |                                                       |                                                                | 1                                  |
| 5        | नगरपालिका परिषद कटघोरा      | 15                | 4                                                          | 2                                                     | 1                                                          |                                                       |                                                                | 1                                  |
| 6        | नगरपालिका परिषद जाजगीर-नैला | 25                | 4                                                          | 3                                                     | 1                                                          |                                                       |                                                                | 1                                  |
| 7        | नगरपालिका परिषद कुम्हारी    | 24                | 4                                                          | 3                                                     | 1                                                          |                                                       |                                                                | 1                                  |
| 8        | नगरपालिका परिषद भाटापारा    | 31                | 4                                                          | 4                                                     | 1                                                          |                                                       |                                                                | 1                                  |
| 9        | नगरपालिका परिषद जशपुरनगर    | 20                | 4                                                          | 2                                                     | 1                                                          |                                                       |                                                                | 1                                  |
| 10       | नगरपालिका परिषद कांकर       | 21                | 4                                                          | 3                                                     | 1                                                          |                                                       |                                                                | 1                                  |
| 11       | नगर पंचायत पाली             | 15                | 1                                                          | 1                                                     | 1                                                          |                                                       |                                                                | 1                                  |

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

|    |                      |    |   |   |   |   |   |
|----|----------------------|----|---|---|---|---|---|
| 12 | नगर पंचायत नवागढ़    | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | नगर पंचायत पत्थलगाँव | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | नगर पंचायत राजिम     | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | नगर पंचायत फरसगाँव   | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों से जानकारी प्राप्त कर लेखापरीक्षा द्वारा संकलन )

\* नगरपालिक निगम अम्बिकापुर, जो एमसीसी के लिए एक मॉडल शहरी स्थानीय निकाय है, ने 17 एसएलआरएम केन्द्रों के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) का संचालन किया ।

**परिशिष्ट- 3.7**  
(संदर्भ कडिका 3.3.7)  
**रेग-पिकर्स की पहचान के लिए सर्वेक्षण दर्शाने वाला विवरण**

| क्र. सं. | शहरी स्थानीय निकायों का नाम   | क्या सर्वेक्षण किया गया | पहचान किये गये रेग-पिकर्स की संख्या | एसडब्ल्यूएम में कार्यरत रेग-पिकर्स की संख्या |
|----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | नगर पालिक निगम, रायपुर        | हां                     | 154                                 | 154                                          |
| 2        | नगर पालिक निगम, कोरबा         | हां                     | 110                                 | 110                                          |
| 3        | नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर    | हां                     | 401                                 |                                              |
| 4        | नगर पालिक निगम, जगदलपुर       | नहीं                    | ..                                  | ..                                           |
| 5        | नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा   | हां                     | सूची उपलब्ध नहीं कराई गई            | ..                                           |
| 6        | नगरपालिका परिषद, कटघोरा       | नहीं                    | ..                                  | ..                                           |
| 7        | नगरपालिका परिषद, जांजगीर-नैला | नहीं                    |                                     | ..                                           |
| 8        | नगरपालिका परिषद, कुम्हारी     | नहीं                    | ..                                  | ..                                           |
| 9        | नगरपालिका परिषद, भाटापारा     | नहीं                    | ..                                  | ..                                           |
| 10       | नगरपालिका परिषद, जशपुर        | हां                     | रेग-पिकर्स उपलब्ध नहीं              | ..                                           |
| 11       | नगरपालिका परिषद, कोकरे        | नहीं                    | ..                                  | ..                                           |
| 12       | नगर पंचायत, पाली              | हां, केवल 2017-18 में   | रेग-पिकर्स उपलब्ध नहीं              | ..                                           |
| 13       | नगर पंचायत, नवागढ़            | नहीं                    | नहीं                                | ..                                           |
| 14       | नगर पंचायत, पथलगांव           | हां                     | सूची उपलब्ध नहीं कराई गई            | ..                                           |
| 15       | नगर पंचायत, राजिम             | हां                     | ..                                  | ..                                           |
| 16       | नगर पंचायत, फरसगांव           | नहीं                    | नहीं                                | ..                                           |

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त जानकारी)

**परिशिष्ट- 3.8**  
(संदर्भ कडिका 3.4.1.4)  
**कम क्षमता विकास एवं गैर-कार्यात्मक विकसित क्षमता दर्शाने वाला विवरण**

| क्र. सं. | शहरी स्थानीय निकायों का नाम  | एसएलआरएम का विवरण             |                  |                   |                    |                             |
|----------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
|          |                              | एमसीसी में निर्धारित एसएलआरएम | निर्मित एसएलआरएम | परिचालित एसएलआरएम | अपरिचालित एसएलआरएम | अपरिचालन का कारण            |
| 1        | नगरपालिका परिषद कटघोरा       | 4                             | 2                | 2                 | ..                 |                             |
| 2        | नगरपालिका परिषद जांजगीर-नैला | 4                             | 3                | 3                 | ..                 |                             |
| 3        | नगरपालिका परिषद कुम्हारी     | 4                             | 3                | 3                 | ..                 |                             |
| 4        | नगरपालिका परिषद भाटापारा     | 4                             | 4                | 3                 | 1                  | पहुंच मार्ग का न होना       |
| 5        | नगरपालिका परिषद जशपुरनगर     | 4                             | 2                | 2                 | ..                 |                             |
| 6        | नगरपालिका परिषद काँकेर       | 4                             | 3                | 2                 | 1                  | स्थानीय लोगों द्वारा आपत्ति |
|          | <b>योग</b>                   | <b>24</b>                     | <b>17</b>        |                   | <b>2</b>           |                             |

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों से जानकारी प्राप्त कर लेखापरीक्षा द्वारा संकलन)



## परिशिष्ट- 3.9

(संदर्भ कड़िका 3.4.3 एवं 3.5.2)

चयनित शहरी स्थानीय निकायों में एसएलआरएम केन्द्रों और कम्पोस्ट शेड के परिचालन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

| क्र.सं. | शहरी स्थानीय निकायों का नाम | स्वीकृत, निर्मित परिचालित एसएलआरएम केन्द्रों की स्थिति                    |                                      |                                                            |                             |                                                                                  |                                                                   | स्वीकृत एवं परिचालित कम्पोस्ट शेड की स्थिति                    |                      |                                         |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|         |                             | शहरी स्थानीय निकायों के अनुसार एसएलआरएम केन्द्रों की स्वीकृति एवं निर्माण |                                      | ऐसे निर्मित एसएलआरएम केन्द्र जो परिचालित एवं अपरिचालित हैं |                             | गोधन न्याय योजना (जीएनवाय) और एसडब्ल्यूएम के लिए उपयोग किए गये परिचालित एसएलआरएम |                                                                   |                                                                |                      |                                         |
|         |                             | एमसीसी में स्वीकृत एसएलआरएम केन्द्रों की संख्या                           | निर्मित एसएलआरएम केन्द्रों की संख्या | स्वीकृत एवं निर्मित के बीच अंतर                            | परिचालित एसएलआरएम की संख्या | अपरिचालित एसएलआरएम म की संख्या                                                   | गोधन न्याय योजना (जीएनवाय) के लिए उपयोग किए गये परिचालित एसएलआरएम | पूर्णरूप से एसडब्ल्यूएम के लिए उपयोग किए गये परिचालित एसएलआरएम | स्वीकृत कम्पोस्ट शेड | जीएनवाय या एसडब्ल्यूएम के लिए उपयोग में |
| 1       | नगरपालिक निगम कोरबा         | 19                                                                        | 19                                   | 0                                                          | 19                          | 0                                                                                | 2 (आंशिक)                                                         | 17                                                             | 2                    | 1 जीएनवाय 1 एसडब्ल्यूएम                 |
| 2       | नगरपालिक निगम अम्बिकापुर    | 18                                                                        | 18                                   | 0                                                          | 18                          | 0                                                                                | ..                                                                | 18                                                             | 1                    | 1 एसडब्ल्यूएम                           |
| 3       | नगरपालिक निगम जगदलपुर       | 10                                                                        | 10                                   | 0                                                          | 8                           | 2                                                                                | 2 (पूर्णरूप से)                                                   | 6                                                              | 1                    | 1 जीएनवाय                               |
| 4       | नगरपालिक निगम भिलाई-चरौदा   | 10                                                                        | 10                                   | 0                                                          | 10                          | 0                                                                                | 0                                                                 | 10                                                             | 1                    | 1 जीएनवाय                               |
| 5       | नगरपालिका परिषद कटघोरा      | 4                                                                         | 2                                    | 2                                                          | 2                           | 0                                                                                | ..                                                                | 2                                                              | 1                    | 1 एसडब्ल्यूएम                           |
| 6       | नगरपालिका परिषद जाजगीर-नैला | 4                                                                         | 3                                    | 1*                                                         | 3                           | 0                                                                                | 1 (आंशिक)                                                         | 2                                                              | 1                    | 1 जीएनवाय                               |
| 7       | नगरपालिका परिषद कुम्हारी    | 4                                                                         | 3                                    | 1                                                          | 3                           | 0                                                                                | ..                                                                | 3                                                              | 1                    | 1 एसडब्ल्यूएम                           |
| 8       | नगरपालिका परिषद भाटापारा    | 4                                                                         | 4                                    | 0                                                          | 3                           | 1                                                                                | ..                                                                | 3                                                              | 1                    | अपरिचालित                               |
| 9       | नगरपालिका परिषद जशपुरनगर    | 4                                                                         | 2                                    | 2                                                          | 2                           | 0                                                                                | ..                                                                | 2                                                              | 1                    | 1 जीएनवाय                               |

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

| 10  | नगरपालिका परिषद कांकर | 4  | 3  | 1 | 2  | 1  | ..               | 2  | 1  | अपरिचालित                             |
|-----|-----------------------|----|----|---|----|----|------------------|----|----|---------------------------------------|
| 11  | नगर पंचायत पाली       | 1  | 1  | 0 | 1  | 0  | ..               | 1  | 1  | 1 जीएनवाय                             |
| 12  | नगर पंचायत नवागढ़     | 1  | 1  | 0 | 1  | 0  | 1 (आंशिक)        | 0  | 1  | 1 जीएनवाय                             |
| 13  | नगर पंचायत पत्थलगोवि  | 1  | 1  | 0 | 1  | 0  | 1 (पूर्ण रूप से) | 0  | 1  | 1 जीएनवाय                             |
| 14  | नगर पंचायत राजिम      | 1  | 1  | 0 | 1  | 0  | 1 (आंशिक)        | 0  | 1  | 1 जीएनवाय                             |
| 15  | नगर पंचायत फरसगोवि    | 1  | 1  | 0 | 1  | 0  | ..               | 1  | 1  | 1 जीएनवाय                             |
| योग |                       | 86 | 79 | 7 | 75 | 04 | 08               | 67 | 16 | 10 जीएनवाय 04 एसडब्ल्यूएम 2 अपरिचालित |

\* अपूर्ण एसएलआरएम

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों से जानकारी प्राप्त कर लेखापरीक्षा द्वारा संकलन )

## परिशिष्ट- 3.10

(संदर्भ कंडिका 3.4.3)

## अपरिचालित एसएलआरएम एवं कम्पोस्ट शेड में हुए व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

| क्र. सं.     | शहरी स्थानीय निकायों का नाम  | एमसीसी के अनुसार एसएलआरएम केन्द्र | वास्तविक रूप से निर्मित एसएलआरएम | अपरिचालित एसएलआरएम की संख्या | कार्यशील न होने का कारण                | व्यय  |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------|
| 1            | नगरपालिका परिषद कांकेर       | 4                                 | 3                                | 1                            | स्थानीय लोगों की आपत्ति                | 23.34 |
| 2            | नगर पालिक निगम जगदलपुर       | 10                                | 10                               | 2                            | अनुचित स्थल चयन                        | 13.88 |
| 3            | नगरपालिका परिषद भाटापारा     | 4                                 | 4                                | 1                            | पहुंच मार्ग न होना                     | 21.39 |
| 4            | नगरपालिका परिषद जांजगीर-नैला | 4                                 | 3                                | 1                            | विवादित भूमि पर आंशिक निर्माण(वार्ड-8) | 10.37 |
| कम्पोस्ट शेड |                              |                                   |                                  |                              |                                        |       |
| 1            | नगरपालिका परिषद कांकेर       | 1 शेड                             | 1                                | 1                            | पहुंच मार्ग न होना                     | 12.74 |
| योग          |                              |                                   |                                  |                              |                                        | 81.72 |

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों से जानकारी प्राप्त कर लेखापरीक्षा द्वारा संकलन )

### परिशिष्ट- 3.11

(संदर्भ कंडिका 3.4.5.2)

गैर-मान्यता प्राप्त डंपिंग ग्राउंड के अक्षांश और देशांतर के साथ उपग्रह मानचित्र का विवरण

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                               |  |
| नगर पंचायत, पथलगांव, अक्षांश 22.533357, देशांतर 83.435295                                     |  |
|                                                                                               |  |
| नगरपालिका परिषद, कांकेर, अक्षांश 20.269892, देशांतर 81.498736                                 |  |
|                                                                                               |  |
| नगर पालिक निगम, कोरबा (मिनिमाता एसएलआरएम केन्द्र के पास) अक्षांश 22.360048, देशांतर 82.715896 |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| नगरपालिका परिषद, भाटापारा, अक्षांश 21.734865, देशांतर 81.972123                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| नगरपालिका परिषद जशपुर, अक्षांश 22.89500, देशांतर 84.15607                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|  <div data-bbox="357 1533 844 1722"> <p>GPS Map Camera</p> <p>Thor, Chhattisgarh, India<br/> Sunrise Point Rd, Thor, Chhattisgarh 497001,<br/> India<br/> Lat 23.093498°<br/> Long 83.148327°<br/> 15/12/22 08:34 AM GMT +05:30</p> <p>Google</p> </div> |  |
| नगर पालिक निगम अम्बिकापुर, अक्षांश 23.093647, देशांतर 83.147312                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |



|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| नगरपालिका परिषद जांजगीर-नैला, अक्षांश 21.988065, देशांतर 82.580233                  |                                                                                      |
|   |   |
| नगर पालिक निगम कोरबा, (बालको) अक्षांश 22.4030590 देशांतर 82.7534350                 |                                                                                      |
|  |  |
| नगर पालिक निगम कोरबा (एनटीपीसी), अक्षांश 22.410015, देशांतर 82.650509               |                                                                                      |





नगर पंचायत राजिम, अक्षांश 20.97980, देशांतर 81.88659



नगरपालिका परिषद भाटापारा, अक्षांश 21.750592, देशांतर 81.960335



नगरपालिका परिषद कुम्हारी, अक्षांश 21.269403, देशांतर 81.530512



### परिशिष्ट- 3.12

(संदर्भ कडिका 3.5.1)

#### शहरी स्थानीय निकाय-वार आवश्यक क्षमता के साथ विकसित क्षमता का तुलनात्मक विवरण

| क्र. सं. | शहरी स्थानीय निकायों का नाम            | वाडों की संख्या | जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) | आवासगृहों की संख्या | वाणिज्यिक संस्थानों की संख्या | एसएलआरएम केन्द्र                                         |                            |                                            | आवश्यक एसएलआरएम केन्द्रों की संख्या (अम्बिकापुर में एसएलआरएम का एचएच/सीसी से अनुपात 1:1705) | कमी का अनुपात/ प्रतिशत |
|----------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|          |                                        |                 |                                     |                     |                               | एससीसी में निर्धारण के अनुसार स्वीकृत एसएलआरएम की संख्या | निर्मित एसएलआरएम की संख्या | परिचालित एसएलआरएम की संख्या (दिसम्बर 2022) |                                                                                             |                        |
| 1        | नगरपालिक निगम कोरबा                    | 67              | 363390                              | 84200               | 10632                         | 10                                                       | 19                         | 19                                         | 56                                                                                          | 1:4990 (66)            |
| 2        | नगरपालिक निगम अम्बिकापुर (मॉडल मानदंड) | 48              | 125392                              | 27251               | 3435                          | पहले से मौजूद मॉडल                                       | 18                         | 18                                         | 18                                                                                          | 1:1705                 |
| 3        | नगरपालिक निगम जगदलपुर                  | 48              | 125463                              | 29610               | 1695                          | 10                                                       | 10                         | 6                                          | 18                                                                                          | 1:5200 (67)            |
| 4        | नगरपालिक निगम भिलाई-चरौदा              | 40              | 98008                               | 24590               | 1140                          | 10                                                       | 10                         | 10                                         | 15                                                                                          | 1:2573 (34)            |
| 5        | नगरपालिका परिषद कटघोरा                 | 15              | 22609                               | 5552                | 270                           | 4                                                        | 2                          | 2                                          | 3                                                                                           | 1:2911 (41)            |
| 6        | नगरपालिका परिषद जांजगीर-नैला           | 25              | 40561                               | 10078               | 1523                          | 4                                                        | 4                          | 3                                          | 7                                                                                           | 1:3867 (58)            |
| 7        | नगरपालिका परिषद कुम्हारी               | 24              | 35044                               | 7518                | 1336                          | 4                                                        | 3                          | 3                                          | 5                                                                                           | 1:2951 (40)            |
| 8        | नगरपालिका परिषद भाटापारा               | 31              | 57512                               | 11359               | 1660                          | 4                                                        | 4                          | 3                                          | 8                                                                                           | 1:4339 (63)            |
| 9        | नगरपालिका परिषद                        | 20              | 25422                               | 6433                | 531                           | 4                                                        | 2                          | 2                                          | 4                                                                                           | 1: 3482                |

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों / सीपीसीबी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का लेखापरीक्षा द्वारा संकलन)

**परिशिष्ट- 3.13**  
(संदर्भ कड़िका 3.5.4)  
**शहरी स्थानीय निकायों में कम्पोस्ट मशीन की स्थिति का विवरण**

| क्र.सं.    | शहरी स्थानीय निकायों का नाम   | कम्पोस्ट मशीन/शेड की संख्या                                                    | एसएलआरएम केन्द्र का नाम जहां स्थापित किया गया | भौतिक सत्यापन की तिथि पर उपयोगिता की स्थिति | व्यय राशि ( ₹ लाख में) | क्रय माह/अनुपयोगिता का कारण                                                                                               |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | नगर पंचायत, पत्थलगंव          | 1 मशीन                                                                         | एसएलआरएम केन्द्र अम्बेडकर वार्ड               | अनुपयोगी                                    | 20.98                  | अक्टूबर 2020/जैविक कचरे का पृथक्करण न होने के कारण व्यर्थ पड़ा हुआ। वर्तमान में अनुपयोगी।                                 |
| 2          | नगरपालिका परिषद, कांकेर       | 1 मशीन                                                                         | अलबेला वार्ड                                  | अनुपयोगी                                    | 54.99                  | सितम्बर 2022/प्रारंभ से कम्पोस्ट बनाने में असमर्थ। अंतिम बार 26.06.23 को भौतिक सत्यापन किया गया।                          |
| 3          | नगरपालिका परिषद, भाटापारा     | 5 कम्पोस्ट मशीन, जुलाई में एक खरीदा गया परंतु जेपीवी के दौरान स्थापित नहीं था। | 4 सुभाष वार्ड - 1 दिनदयाल वार्ड               | अनुपयोगी                                    | 75.27                  | मई 2018/चार मशीनें अनुपयोगी जून 2022/ प्रारंभ से कम्पोस्ट बनाने में असमर्थ। अंतिम बार 26.06.23 को भौतिक सत्यापन किया गया। |
| 4          | नगर पंचायत, पाली              | 1 मशीन                                                                         | एसएलआरएम केन्द्र के पास                       | अनुपयोगी                                    | 15.00                  | सितम्बर 2020/पहली बार उपयोग किये जाने के बाद से व्यर्थ पड़ी हुई।                                                          |
| 5          | नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर    | 1 मशीन                                                                         | बस स्टैण्ड के पास                             | अनुपयोगी                                    | 35.90                  | सितम्बर 2017/ पहली बार उपयोग किये जाने के बाद से व्यर्थ पड़ी हुई।                                                         |
| 6          | नगरपालिका परिषद, जांजगीर-नैला | 1 मशीन                                                                         | एसएलआरएम वार्ड क्रं. 1                        | अनुपयोगी                                    | व्हाउचर उपलब्ध नहीं    |                                                                                                                           |
| <b>योग</b> |                               | <b>10</b>                                                                      |                                               |                                             | <b>202.14</b>          |                                                                                                                           |

**परिशिष्ट- 4.1**  
(संदर्भ कड़िका 4.3)  
**पीसीसीपी पाईपों के कारण परिहार्य व्यय का विवरण**

₹ राशि में

| क्र. सं.                   | एसओआर आयटम नं. | आयटम का विवरण                                                                        | साईज      | इकाई       | कार्य घटक                                  | निविदा के अनुसार बीओक्यू | एमबी के अनुसार निष्पादित मात्रा (आरएम में) | एसओआर में आयटम 20.10 एवं 20.5 की वास्तविक दर (₹) | भुगतान के लिए उपयोग की गई आयटम 19.11 एवं 19.5एसओआर दर (बी) | अंतर (बी – ए = सी) | परिहार्य व्यय (आरएम * सी) |          |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| 1.                         | 20.10          | प्री-स्ट्रेंड सिमेंट कांकीट पाईप (पीसीसीपी) परीक्षण दबाव 20 किग्रा. प्रति वर्ग सेमी. | 700 मिमी. | रनिंग मीटर | रों वाटर पम्पिंग मेन                       | 3232                     | 3232.00                                    | 6233                                             | 9253                                                       | 3020               | 9760640                   |          |
| 2.                         | 20.10          | (पीसीसीपी) परीक्षण दबाव 20 किग्रा. प्रति वर्ग सेमी.                                  | 700 मिमी. | रनिंग मीटर | क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन                    | 7213                     | 6416.90                                    | 6233                                             | 9253                                                       | 3020               | 19379038                  |          |
| 3.                         |                |                                                                                      |           | रनिंग मीटर | क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन (अत्यधिक निष्पादन) |                          | 795.10                                     |                                                  | 9253                                                       | 3020               | 2401202                   |          |
| 4.                         | 20.5           | (पीसीसीपी) परीक्षण दबाव 10 किग्रा. प्रति वर्ग सेमी.                                  | 800 मिमी. | रनिंग मीटर | क्लीयर वाटर ग्रेविटी मेन                   | 9501                     | 9115.89                                    | 5887                                             | 9688                                                       | 3801               | 34649498                  |          |
| 5.                         |                |                                                                                      | 700 मिमी. | रनिंग मीटर |                                            | 1436                     | 1406.87                                    | 4873                                             | 8695                                                       | 3822               | 5377057                   |          |
| 6.                         |                |                                                                                      | 600 मिमी. | रनिंग मीटर |                                            | 4630                     | 4267.68                                    | 4489                                             | 7452                                                       | 2963               | 12645136                  |          |
| 7.                         |                |                                                                                      | 500 मिमी. | रनिंग मीटर |                                            | 2586                     | 0.00                                       | 3371                                             | 6372                                                       | 3001               | 0                         |          |
| योग                        |                |                                                                                      |           |            |                                            |                          |                                            |                                                  |                                                            |                    |                           | 84212571 |
| निविदा दर 6.45: कम (कटौती) |                |                                                                                      |           |            |                                            |                          |                                            |                                                  |                                                            |                    |                           | 5431711  |
| शुद्ध योग                  |                |                                                                                      |           |            |                                            |                          |                                            |                                                  |                                                            |                    |                           | 78780860 |

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/ag/chhattisgarh/en>

